राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क १०] द्वितीय विधान सभा के दशम् सत्र, १६६१ का ४३वां दिवस [संख्या २६

गुरूवार, दिनांक ६ अप्रेल, १६६१

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर ८ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरन्जनाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[आयुर्वेद, पंचायत, सिंचाई, कृषि, गृह, स्वायत्त शासन, वित्त, विधि, वन, यातायात एवं राजस्थान कैनाल-विभाग]

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न, डॉ० बहादुरसिंह।

आयुर्वेद विभाग द्वारा श्रेणी-बद्ध वैद्य

७८२. डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या आयुर्वेद मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि आयुर्वेद विभाग द्वारा वैद्यों को श्रेणी-बद्ध किया गया है ? यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि वह ए. बी. व सी. श्रेणियां हैं ?

(२) क्या निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी में पद-वृद्धि के लिये विभाग द्वारा कोई भी नियम नहीं हैं ? यदि नियम हैं, तो नियमों की प्रति सदन में प्रस्तुत करें।

(३) क्या यह भी सत्य है कि श्रेणी वृद्धि के नियम न बनने तक श्रेणी वृद्धियों को रोका जाय, ऐसा आदेश सचिवालय से दिया गया है ? यदि हां, तो कब ?

(४) श्रेणी वृद्धि के आदेश के उपरान्त कितनी श्रेणी वृद्धियां की गई और किस आधार पर व किस नियम से ?

आयुर्वेद मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) जी नहीं। आयुर्वेद विभाग द्वारा श्रेणी-बद्ध नहीं किया गया है, अपितु राज्य सरकार द्वारा ही वैद्यों की ए., बी., सी. तीन श्रेणियां विभिन्न वेतन स्तरों में वर्गीकृत की गई हैं।

Page No 2

(श्री भीखाभाई)

(२) निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी में पद वृद्धि के लिये सबोर्डिनेट सेवा नियम सरकार के विचाराधीन हैं। वर्तमान में व्यक्ति को पदोन्नत करते समय निम्न मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाता है :

योग्यता, अनुभव, व्यक्तित्व तथा वरिष्ठता

(३) जी हां। दिनांक १६—७—१९६० को।

(४) अनिवार्य परिस्थिति में केवल निम्न व्यक्तियों को पदोन्नत किया गया है जिसके कारण उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित हैं :—

वैद्य जिनको पदोन्नत किया गया है:—

१. वैद्य श्री रामधन, वैद्य बी. श्रेणी से वैद्य ए. श्रेणी में स्थानापन्न पदोन्नत

वरिष्ठता से पदोन्नत किये गये हैं।

२. वैद्य श्री भगवतीदत्त, वैद्य बी. श्रेणी से वैद्य ए. श्रेणी में स्थानापन्न पदोन्नत

वरिष्ठता से पदोन्नत किये गये हैं।

३. वैद्य श्री देवेन्द्रप्रसाद वैद्य सी श्रेणी से कॉलेज जयपुर में विवेचक, पद पर स्थानापन्न पदोन्नत।

योग्यता भिषगाचार्य, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हैं। कॉलेज में इस प्रकार की योग्यता वाले व्यक्ति की सेवाओं की ही आवश्यकता है।

४. वैद्य श्री अम्बालाल त्रिवेदी वैद्य सी. श्रेणी से बी. श्रेणी पद पर स्थानापन्न पदोन्नत।

योग्यता भिषगाचार्य व आयुर्वेद रत्न और अनुभवी है, तथा गोल्ड मेडलिस्ट हैं साथ ही सफल चिकित्सक होने के नाते इनकी अस्थाई पद वृद्धि की गई है।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या राजस्थान सरकार अपने विभाग और अपने स्वयम् को अलग अलग समझती है ?

श्री भीखाभाई : विभाग सरकार का ही एक भाग है।

डॉ० बहादुरसिंह : यदि सरकार का विभाग है तो फिर प्रश्न स्पष्ट है कि आयुर्वेद विभाग से सरकार आयुर्वेद मंत्री से नहीं मानती है या विभाग और सरकार दोनों श्रेणियां विभिन्न हैं ?

श्री भीखाभाई : अलग अलग क्यों ?

डॉ० बहादुरसिंह : कैसे विभाजन किया ?

श्री भीखाभाई : ए., बी., सी. श्रेणियां हैं उन पर किया गया।

डॉ० बहादुरसिंह : योग्य वैद्य यदि सी श्रेणी में रखते हैं तो सी. में आयेगा और अयोग्य को ए. में रखते हैं तो ए. में आवेगा ?

श्री भीखाभाई : कोई रिजिड नहीं (नियम) है। रूल्स वचाराधीन हैं।

Page No 3

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : पदोन्नति की गई थी तो यह विभाग द्वारा की गई थी या सरकार द्वारा ?

श्री भीखाभाई : जनरल सबोर्डिनेट सिविल सर्विस रूल्स हैं। वैसे हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट को अधिकार है।

श्री भैरोंसिंह : माननीय मंत्री महोदय, ने अपने उत्तर में बताया था कि सबोर्डिनेट सर्विस रूल्स विचाराधीन हैं, तो विभाग ने ये प्रमोशन्स किये थे या सरकार ने ये प्रमोशन्स दिये थे ?

श्री भीखाभाई : विभागों के जनरल सबोर्डिनेट सिविल सर्विस रूल्स बने हुए हैं, उनके अन्तर्गत ये प्रमोशन्स दिये हैं।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या यह सही है कि इससे पूर्व विभागाध्यक्ष को यह आज्ञा सरकार की ओर से दी गई थी कि जब तक सबोर्डिनेट सर्विस रूल्स फाइनल न हो जाय तब तक कोई भी प्रमोशन न दिये जाय ?

श्री भीखाभाई : इसका मैं उत्तर दे चुका हूँ।

श्री भैरोंसिंह : उत्तर दिया नहीं है इसका आपने। आपने तो क्लासिफिकेशन दे दिया। लेकिन पर्टिकुलरली पदोन्नति की है उसके लिए कोई उत्तर नहीं दिया।

श्री भीखाभाई : भाग (३) में मैं बता चुका हूँ।

श्री भैरोंसिंह : कुछ नियमों पर सरकार विचार कर रही है और श्रेणी बद्ध किया है और अन्तिम प्रश्न के उत्तर में आपने बताया था कि विभाग ने कुछ प्रमोशन्स दिये हैं, तो क्या सरकार ने, विभागाध्यक्ष द्वारा इस प्रकार सरकार की आज्ञा होते हुए भी कि जब तक रूल्स फाइनल न हो जाय प्रमोशन्स न दिये जाय, सरकार को कौन सी आज्ञा से ये प्रमोशन्स दिये हैं ?

श्री भीखाभाई : जनरल सबोर्डिनेट सिविल सर्विस रूल्स मौजूद हैं। आयुर्वेद विभाग के सबोर्डिनेट सर्विस रूल्स जब तक फाइनल न हो जाय कोई प्रमोशन न किये जाय, इस प्रकार की आज्ञा दे रखी है। अत्यावश्यक होने से केवल चार आदमियों का टेम्पोरेरी प्रमोशन किया है।

डॉ० बहादुरसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि १६-७-६० को इस प्रकार की सरकारी आज्ञा हुई कि किसी को प्रमोशन न दिये जाय फिर ऐसी क्या आवश्यकता हो गई थी कि विभागाध्यक्ष ने पदोन्नति की ?

श्री भीखाभाई : पूरे कारण आपके सामने पढ़ चुका हूँ। टेम्पोरेरी प्रमोशन्स हैं।

डॉ० बहादुरसिंह : टेम्पोरेरी तो हैं, लेकिन ये प्रमोशन्स नाजायज़ करते हैं तो वास्तव में जिनका अधिकार है उनको नहीं मिलता है और उस हालत में जब कि १६-७-६० की ऐसी आज्ञा निकल चुकी थी कि प्रमोशन्स न दिये जाय। इससे लोगों के राइट्स खत्म होते हैं। सरकार श्रेणी बद्ध करती है और फिर डाइरेक्टर पद वृद्धि किस नियम से करते हैं ?

श्री भीखाभाई : टेम्पोरेरी प्रमोशन्स हैं। और माननीय सदस्य को एतराज़ है और

Page No 4

(श्री भीखाभाई)

किसी माने में इन्ट्रेस्टेड हों तो उनके लिए ध्यान रख कर फिर इस पर विचार किया जा सकता है। रूल्स के बारे में भी बता दें कि यदि किसी की हकतल्फी हुई है तो मैं उसको जरूर देखूंगा।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : प्रमोशन किस प्रकार ....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

(विराम)

श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सरकार ने निषेधाज्ञा दी थी उसमें यह था कि जो जनरल सबोर्डिनेट सिविल सर्विस रूल्स हैं उनमें भी प्रमोशन और टेम्पोरेरी प्रमोशन न दिये जाय।

श्री भीखाभाई : यह नहीं था कि टेम्पोरेरी प्रमोशन्स न दिये जाय।

डॉ० बहादुरसिंह : ऑर्डर जो १६–७–६० को किया था उसकी एक कॉपी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

श्री भीखाभाई : कॉपी इस वक्त तो मेरे पास नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

डॉ० बहादुरसिंह : यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। हजारों वैद्यों का सवाल है। माननीय मंत्री महोदय इसको अगली टर्न पर रख दें तो अच्छा हो।

श्री उपाध्यक्ष : Would it cause some inconvenience to you if it is placed on the Table of the House ?

श्री भीखाभाई : I don't have it with me, but I shall look into the matter.

श्री मुरलीधर व्यास : नियुक्ति जहां तक है टेम्पोरेरी हो सकती है, लेकिन प्रमोशन्स किस प्रकार टेम्पोरेरी होते हैं ?

डॉ० बहादुरसिंह : एक सवाल सामने यह आयेगा कि गवर्नमेंट के क्लीयर ऑर्डर्स हैं कि किसी हालत में भी पदोन्नति न की जाय, तो जिनकी की गई उनकी कैन्सिल करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : आपके पास वह ऑर्डर है ?

डॉ० बहादुरसिंह : नहीं है। मैं यह चाहता था.... ...

श्री उपाध्यक्ष : He has promised to go through it.

डॉ० बहादुरसिंह : डॉक्यूमेन्ट के बारे में फिर क्या तय करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : He has assured the House that he will look into the matter in the light of this particular order.

डॉ० बहादुरसिंह : आप एक मिनट जरा ठहरिये, इसके बारे में मन्त्रीजी क्या जवाब देते हैं ?

Page No 5

श्री भीखाभाई : माननीय सदस्य यह बता दें कि किसी की सीनियोरिटी, हकतल्फी हो रही है और उस हालत में चार वैद्यों के प्रमोशन कैंसल किये जावे तो किये जा सकते हैं।

डॉ० बहादुरसिंह : पूरी सीनियोरिटी लिस्ट तो मेरे पास नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति सीनियर नहीं हैं सीनियर कर दिया गया और दूसरों की इस प्रकार से हकतल्फी हुई।

श्री उपाध्यक्ष : जिस ऑर्डर का रेफरेन्स दिया उसके प्रकाश में वे स्थिति को देखेंगे। That would suffice for the present.

प्रश्न संख्या ७८३.

श्री रामनारायण वर्मा।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री शंकरलाल।

सोमेसर पंचायत के सरपंच द्वारा बूसी-सोमेसर सड़क की पट्टी पर नाजायज ढालिये का निर्माण

७८४. **श्री शंकरलाल** (रायपुर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि सोमेसर पंचायत के सरपंच ने बूसी-सोमेसर सड़क की पट्टी पर नाजायज ढालिया (बरामदा) बना दिया है जिससे बाजार का गन्दा पानी निकलना बन्द हो गया है तथा उसको अवैधानिक बताते हुये तहसील पंचायत, देसूरी ने हटवाने का आदेश दे दिया है, परन्तु सरपंच नहीं हटा रहा है ? यदि हां, तो सरकार उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

(ख) क्या यह सही है कि जनता ने एवं मुख्य लोगों ने फैसले की तामील करा कर ढालिया हटवाने का पंचायत समिति, रानी को कई बार लिखा परन्तु आज तक ढालिये को हटाने में पंचायत समिति, रानी ने अपनी अयोग्यता जाहिर की है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों और अब कब तक ढालिया हटवा दिया जायेगा ?

(ग) क्या यह सही है कि सहायक इन्जीनियर, जन कार्य विभाग, पाली ने जिलाधीश पाली, एस. डी. ओ. बाली व सरपंच सोमेसर को कई मर्तबा लिखा है परन्तु आज तक कार्यवाही नहीं की गई है तथा गन्दे पानी का निकलना बन्द होने से जन स्वास्थ्य दिन दिन खतरे में जा रहा है ? यदि हां, तो जिलाधीश, पाली इसमें ढिलाई क्यों बरत रहे हैं ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): जी हां। सरपंच ने अपनी व्यक्तिगत हैसियत से ढालिया बनाया है। पंचायत समिति, रानी की स्थायी समिति द्वारा उक्त ढालिया नहीं हटाने तथा जमीन का शुकराना लेकर नियमानुसार पट्टा देने का निर्णय किया जा चुका है जिससे सरपंच के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सहायक अभियन्ता, पाली की रिपोर्ट प्राप्त होने पर जन कार्य विभाग को लिखा जा रहा है कि यदि ढालिया जन कार्य विभाग की अवाप्त भूमि में आता है तो सम्बन्धित नियमों के अनुसार कार्यवाही करे।

श्री शंकरलाल : आखिर हुआ क्या ? कब लिखा गया ? इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : रिपोर्ट प्राप्त हुई है। असिस्टेन्ट इन्जीनियर को आदेश दिये जा रहे हैं कि सरकारी जमीन में बनाया जा रहा है तो कार्यवाही करें। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए अर्ज कर दूं कि पंचायत ने पट्टा दे दिया है और हटाने का सवाल नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री उम्मेदीलाल ।

तहसील करौली में बरखेड़ा नदी पर बांध का निर्माण

७८५. **श्री उम्मेदीलाल** (करोली-सु.) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :–

क्या सरकार को विदित है कि तहसील करोली में बरखेड़ा नदी पर बांध बनाने से वहां के आसपास का सारा इलाका सरसब्ज हो सकता है और बेरोजगारी भी दूर हो सकती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस बांध को बनाने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक ?

सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) : इस स्थान पर कोई बांध बनाने की तजवीज़ नहीं है, कारण यह है कि बरखेड़ा नदी गम्भीर नदी की सहायक नदी है। इसको रोकने से गम्भीर नदी के पानी में कमी आने का अन्देशा है जिससे भरतपुर के गांवों में सिंचाई कम हो जायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन ।

बीकानेर जिले के कृषकों में वितरित नालीदार चद्दर

७८६. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या कृषि मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :–

बीकानेर जिले में सन् १९५७-५८ व ५९ तथा १९६० में कृषकों के लिए नालीदार चद्दरों का कितना २ कोटा अलॉट किया गया था तथा कितना २ वास्तव में वितरित किया गया ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : बीकानेर जिले में सन् १९५७ में नालीदार चद्दरों का वितरण कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया था। सन् १९५८, ५९ व १९६० में अलॉट तथा वितरित की गई चद्दरों का विवरण तालिका में दिया गया है, जो सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि सन् ५९-६० में जहां १०० टन चद्दर अलॉट की उस साल में एक टिन भी काश्तकार को वितरित नहीं किया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : २० टन प्राप्त हुआ, जितना आया उतना बांट दिया ।

श्री भीमसेन : १०० टन आया, फिर २० टन कैसे अलॉट किया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कलकत्ता से आने में देर हो जाती है। अलॉटमेंट तो हमने कर दिया । दिक्कत की कहां बात है ?

Page No 7

श्री भीमसेन : जितना अलॉट हुआ उतना मिला या नहीं, इसके लिए सरकार क्या कहती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : भारत सरकार का डिपार्टमेंट है। चीफ कन्ट्रोलर ऑफ आइरन है।

श्री भीमसेन : खैर, २० टन का वितरण बताया, तो वह वास्तव में वितरित हुआ भी या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सूचना यही दी है कि ५६ में सौ टन में से २० टन १५ ह० १ क्वा० २६ पौंड प्राप्त हुआ और उतना ही वितरित कर दिया। और जानकारी दे तो दुबारा जानकारी करने के लिए तैयार हूँ।

एक माननीय सदस्य : वितरण हुआ तो किस किस के नाम से हुआ ?

ग्राम सिढ़ा (जोधपुर) से फरार किये गये बिश्नोई जाति के लड़के की ना-बरामदगी

७८७. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि लगभग ३ अगस्त, १९५९ से पूर्व जोधपुर जिले के बाप थाने के अन्तर्गत सिढा गांव से एक बिश्नोई जाति के लड़के को कुछ व्यक्ति उठा कर ले गये ?

(२) क्या यह सही है कि इस मामले की रिपोर्ट थाने में की गई, लेकिन कोई मुकदमा नहीं बनाया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या यह सही है कि लड़का अभी तक बरामद नहीं हो पाया है तथा पुलिस उसमें कोई कार्यवाही नहीं कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी हां।

(२) लड़के के पिता ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट ही की थी, अतः उस वक्त कोई मुदकमा कायम नहीं हुआ किन्तु बाद में लड़के के पिता ने डी. एस. पी., फलौदी के पास लिखित में विस्तृत रिपोर्ट की जिससे लड़के का फरार किया जाना पाया जाने से दिनांक १–३–६० को थाना बाप पर मुकदमा कायम हुआ।

(३) काफी कोशिशों के बावजूद भी लड़का अभी तक बरामद नहीं हो सका है।

श्री भैरोंसिंह : जिस समय गुमशुदगी की रिपोर्ट की थी, यह रिपोर्ट किसके द्वारा हुई थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : ऐसी रिपोर्ट हुई थी, पहले पंचायत में हुई थी। थाने में बाद में हुई।

श्री भैरोंसिंह : थाने में जो रिपोर्ट दर्ज की गई वह किसके द्वारा की गई थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : कोई रिश्तेदार था उनका।

श्री भैरोंसिंह : क्या वह रिश्तेदार उस लड़के का बाप था ?

श्री रामकिशोर व्यास : संभवतः बाप ही था।

श्री भैरोंसिंह : पहले तो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर दी और दूसरी दफा उठा कर ले जाने की बात थाने में कह दी तो उस समय सरकार ने यह जानकारी नहीं की कि गुमशुदगी की रिपोर्ट ठीक है या उठा कर ले जाने की ?

श्री रामकिशोर व्यास : रिपोर्ट पहले हुई थी, पंचायत में हुई थी, उसके बहुत दिनों के बाद उसने डी. एस. पी. को लिखा कि मेरा लड़का फरार हो गया, किसी ने उड़ा लिया है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिसने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई उसके तुरन्त बाद ही डी. एस. पी. को इस बात की शिकायत की कि लड़का फरार कर लिया गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : उसने किस प्रकार की शिकायत की, वह एप्लीकेशन तो मेरे पास नहीं है लेकिन डी. एस. पी. को जो शिकायत की उसमें यह हो सकता है।

श्री भैरोंसिंह : गुमशुदगी की रिपोर्ट करने के तुरन्त बाद ही फरार होने की शिकायत कर दी। जिसने यह रिपोर्ट दर्ज की उस सब-इन्सपेक्टर के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह रिपोर्ट मेरे पास नहीं है। एप्लीकेशन के मामले में अगर सब-इन्सपेक्टर की किसी प्रकार की गलती रही है, उस थानेदार ने प्रोपरली उस रिपोर्ट को नहीं लिखा, गुमशुदगी का लिखा कर फिर फरार होने का लिखा लिया, यदि इस प्रकार की कोई बात हुई है तो हम देख लेंगे इस चीज को।

म्युनिसिपल बोर्ड्स के अन्तर्गत इन्जीनियरिंग डिपार्टमेंट खोलना

७८८. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर [श्री अनूपसिंह (बालोतरा) द्वारा पूछा गया] : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(क) क्या यह सही है कि नगरपालिका के अन्तर्गत जो डेवलपमेंट वर्क्स चालू कराये जाते हैं उनकी स्वीकृति एक्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर पी. डब्लू. डी. से लेनी पड़ती है और समय पर स्वीकृति न आने के कारण विकास कार्य में बाधा पहुँचती है ?

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिये अलग इन्जीनियरिंग डिपार्टमेंट म्युनिसिपल बोर्ड्स के अन्तर्गत रखने का सरकार का विचार है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सम्पतराम): (क) नगरपालिकाओं को केवल उन्हीं विकास कार्यों के लिये एक्ज़ीक्युटिव इन्जीनियर पी. डब्लू. डी. से स्वीकृति लेनी आवश्यक है जिनके लिये सरकार द्वारा ऋण या विशेष सहायता प्रदान की गई है और ऋण या विशेष सहायता देते समय सरकार से स्वीकृति लेने हेतु अंकित किया है। शेष साधारण विकास कार्य जो नगरपालिका अपनी आय से करती है उनमें स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

जिन कार्यों के लिए स्वीकृति ली जाती है अगर उनकी स्वीकृति समय पर नहीं आती है तो कार्य में बाधा अवश्य होती है।

(श्री सम्पतराम)

(ख) अलग इन्जीनियरिंग स्टाफ रखने की योजना सम्बन्धी मामला सरकार के विचाराधीन है।

श्री किशनाराम (रतनगढ़) : जो रिपोर्ट टाइम पर आती नहीं उसके लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ? इन्जीनियरिंग विभाग द्वारा समय पर स्वीकृति नहीं मिल रही है जैसा कि अभी आपने कहा उसके सम्बन्ध गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी अख्त्यार की है ?

श्री सम्पतराम : जैसा कि मैंने निवेदन किया इन दिक्कतों को मद्देनजर रखते हुए इन्जीनियरिंग स्टाफ रखने का विचार है।

बीमा विभाग में फर्दर डक्लेरेशन के पश्चात् अधिक बीमे का अनुबन्ध

७८६. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : क्या वित्त मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :--

(१) क्या यह सही है कि बीमा विभाग में फर्दर डिक्लेरेशन आने के पश्चात् यदि व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ हो तो उसका अधिक बीमा अनुबन्ध किया जाता है ?

(२) सन् १९५५ के बाद ऐसे कितने व्यक्तियों का बीमा अनुबन्ध किया गया व कितनों का नहीं किया गया जिनकी कि डिक्लेरेशन देने के पश्चात् मृत्यु हो गई ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) जी हां।

(२) सिवाय १५ कर्मचारियों के तमाम व्यक्तियों के जीवन पर जिनके अधिक घोषणा पत्र मृत्यु से पहले इस विभाग में आगये हैं और जो अधिक घोषणा पत्र के आधार पर स्वस्थ पाये गये उनके जीवन पर बीमा अनुबन्ध जारी कर दिये गये हैं। सन् १९५५ से अब तक कुल १,५०,०४२ अधिक बीमा अनुबन्ध जारी किये गये हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : इनके स्वस्थता के प्रमाणपत्र प्राप्त हो जाने के बाद रिजेक्ट किस आधार पर किये जाते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : किस आधार पर, यह तो मैं नहीं कह सकता, १५ आदमी कुल हैं जिनको नहीं किया गया।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : कुछ लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाता है और कुछ को ले लिया जाता है, इसका क्या कारण है जब कि दोनों के पास स्वस्थ होने के प्रमाणपत्र होते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : १ लाख में केवल १५ आदमी ऐसे हैं जिनके कारणों की जानकारी अभी नहीं है, मैं वह जानकारी आपको दे दूंगा।

तहसील अलीगढ़ में सर्किल इन्सपेक्टर, श्री जगन्नाथप्रसाद, द्वारा सरपंचों की गिरफ्तारी

७९०. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि दि० २-१-६१ को अलीगढ़ तहसील, उनियारा में सर्किल इन्सपेक्टर श्री जगन्नाथप्रसाद ने कुछ सरपंचों को गिरफ्तार किया था ? अगर हां, तो किन

Page No 10

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

किन को किस जुर्म में ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ख) क्या यह सही है कि दि० ३-१-६१ को वोटिंग़ के लिये उपरोक्त सरपंचों को पुलिस की हिरासत में लाया गया ? अगर हां तो क्यों ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या यह सही है कि सर्किल इन्सपेक्टर ने इन सरपंचों को गिरफ्तार नहीं किया जो अलीगढ़ में मौजूद थे ?

श्री रामकिशोर व्यास : गिरफ्तार नहीं किया गया।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मौजूद थे या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : आपने तो गिरफ्तारी के लिये पूछा था।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या यह सही है कल्याणमल महाजन ने सर्किल इन्सपेक्टर को दर्ख्वास्त दी कि रामकरण सरपंच को समझाया जाय, इस दर्ख्वास्त पर उनको बुला कर रात को बन्द कर दिया ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने कहा किसी को पकड़ा नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या मन्त्री महोदय इसकी इन्क्वायरी करायेंगे और साबित हो जाय तो सजा देंगे ?

श्री रामकिशोर व्यास : आप मुझे लिख कर दे दें आप किस बात की इन्क्वायरी कराना चाहते हैं, जरूर इन्क्वायरी करेंगे।

जयपुर शहर के सिटी केम्प के शरणार्थियों को कच्चा बन्धा रोड पर बसाने सम्बन्धी योजना

७६१. डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या जयपुर शहर के सिटी केम्प के शरणार्थियों को कच्चा बन्धा रोड पर बसाने के लिये कोई योजना बनी है ? यदि हां तो यह योजना कब बन चुकी थी ?

(२) क्या इस योजना के अन्तर्गत शरणार्थियों को प्लॉटों का अलॉटमेंट करके उसकी रकम भी जमा हो चुकी है ? यदि हां, तो यह अलॉटमेंट किस तारीख को हुआ ?

(३) क्या उक्त जमीन बसने के लायक ठीक ठाक करके सम्बन्धित लोगों को दी जा चुकी है ?

(४) क्या यह सच है कि इस जमीन में कुछ लोग पहले रह रहे हैं और उनमें कुछ के पक्के मकान हैं? यदि हां, तो यहां कुल कितने परिवार रह रहे हैं और कुल कितने पक्के मकान हैं ?

(५) उक्त जमीन पर पहले से बसे हुए लोगों की क्या व्यवस्था होगी तथा इस योजना

Page No 11

(डॉ० चन्द्रकला)

के अनुसार शरणार्थियों को जमीन कब तक दे दी जायेगी ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सम्पतराम): (१) जी हां, यह योजना ता० २८–३–६० को राज्य सरकार द्वारा स्वीकार की गई।

(२) जी हां अलॉटमेंट ता० २४–२–६१ से ३–२–६१ के बीच हुए हैं।

(३) यद्यपि जमीन बसने लायक हो गई है, पर कुछ सुविधाओं की कमी के कारण अभी सम्बन्धित शरणार्थियों ने कब्जा नहीं लिया है।

(४) जी हां, यह अवश्य है कि कुछ लोग थोड़े अर्से से ही आकर रहने लगे हैं। परिवारों की संख्या लगभग २०-२२ है। यहां कोई पक्का मकान नहीं है !

(५) यहां पर रहने वाले परिवारों को यथासंभव यहीं पर भूखण्ड दे दिये जावेंगे। शरणार्थियों को भी भूमि के समतल होते ही भूखंडों का कब्जा दे दिया जावेगा ! विकास के अन्य कार्य जैसे पानी, सड़क, बिजली आदि का प्रबन्ध चालू हो गया है।

डॉ० चन्द्रकला : माननीय मन्त्री महोदय ने बताया कि कुछ असुविधायें हैं, तो वे क्या असुविधायें हैं बताने की कृपा करेंगे ?

श्री सम्पतराम : मैंने प्रश्न के भाग (५) के उत्तर में उन असुविधाओं का वर्णन किया है।

डॉ० चन्द्रकला : मंत्री महोदय बता सकते हैं कि शरणार्थियों के कितने परिवार जाकर वहां बस गये हैं ?

श्री सम्पतराम : वहां बसने का सवाल कहां है जब तक लेवलिंग नहीं होता, सड़क, पानी का इन्तजाम नहीं होता तब तक ?

डॉ० चन्द्रकला : माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि वहां शरणार्थियों के मकान बने हुए हैं और लोग बसे हुए हैं। मैं तो यह जानना चाहती हूँ वहां लेवलिंग नहीं हुआ है, पट्टे जब दे दिये गये हैं, पैसे जमा करा दिये गये हैं, लेकिन पज़ेशन देने में सरकार देरी क्यों कर रही है ?

श्री सम्पतराम: मैं माननीय सदस्या का ध्यान प्रश्न के भाग (४) की ओर आकर्षित करता हूँ: "क्या यह सच है कि इस जमीन में कुछ लोग पहले से रह रहे हैं और उनमें कुछ के पक्के मकान हैं ? यदि हां तो यहां कुल कितने परिवार रह रहे हैं और कुल कितने पक्के मकान हैं।" इसके लिये मैंने अर्ज किया वहां मकान हैं जिनमें शरणार्थी लोग नहीं हैं लोकल लोग बसे हुए हैं।

डॉ० चन्द्रकला : मैं यह जानना चाहती हूँ कि जब लैन्ड का पट्टा दे दिया गया, पैसे लेकर जमा कर लिये लैन्ड का पज़ेशन नहीं मिल रहा है, इसका क्या कारण है ?

श्री सम्पतराम : पज़ेशन देना महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता, वहां जमीन का लेवलिंग हो रहा है। पानी, बिजली की व्यवस्था की जा रही है। मैंने स्वयं ने जाकर उस भूमि को देखा है। वहां सड़क बनाई जा रही है। जितना जल्दी काम होना चाहिए हो रहा है। उसके बाद लैन्ड अलॉट कर दी जायेगी।

Page No 12

कानूनों व नियमों सम्बन्धी सरकारी विज्ञप्तियों व आज्ञाओं में समय समय पर परिवर्तन व संशोधन होने से कठिनाइयां

७६२. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि कानून व नियमों सम्बन्धी सरकारी विज्ञप्तियों व आज्ञाओं में समय समय पर परिवर्तन व संशोधन होते रहते हैं जिससे आम जनता के अलावा इस क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों को तत्संबन्धी पूर्ण जानकारी रख सकना कठिन प्रतीत हो रहा है? अगर हां तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : समय समय पर नियमों व कानूनों में परिवर्तन और संशोधन होते रहते हैं। सरकार को इस विषय में कोई जानकारी नहीं है कि आम जनता या इस क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों को इस वजह से कोई कठिनाई प्रतीत हो रही है।

इस सम्बन्ध में सरकार ने राजस्थान कोड भाग १,२,३, प्रकाशित कर दिये हैं। इनमें मुख्य कानून प्रकाशित हुए हैं। राजस्थान कोड भाग ४ प्रकाशनार्थ मुद्रणालय में है जिसमें १६६० तक के कानून सम्मिलित हैं।

राज्य सरकार नियम कोड (रूल्स कोड) भी प्रकाशित करने की तैयारी कर रही है।

श्री भीमसेन : मेरा निवेदन रूल्स के बारे में है। रूल्स जो बनते हैं उनका कन्सोलिडेशन एक जगह पर है नहीं। इस बारे में रिक्वेस्ट है कि इस प्रकार को व्यवस्था करें जिससे रूल्स एक जगह आ सके।

श्री उपाध्यक्ष : That is what he says, they are making efforts.

श्री रामकिशोर व्यास : पहले एक्ट्स कम्पलीट हो जायें उसके बाद रूल्स का कम्प्लीशन होगा।

भूमि अवाप्तिकरण अधिनियम के तहत भूखण्ड अवाप्ति सम्बन्धी प्रस्ताव का प्रत्याहरण

७६३. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि सरकार ने Department publication No. F. 3 (168) L. S. G./59 Dated 18-6-60 published in the Rajasthan Rajpatra (Extraordinary) Dated 20-6-60 के द्वारा जिन प्लॉट्स को Land Acquisition Act के तहत acquire करने का जो प्रोपोजल था उसको वापिस ले लिया है ?

(ख) ये प्लॉटस किस लिये acqwire किये जा रहे थे और अब इनकी आवश्यकता क्यों नहीं रही ?

(ग) ये प्लाट किन किन व्यक्तियों के थे ? कृपया इसकी तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(घ) ये प्लॉटस किस उपयोग में लिये जा रहे हैं ?

(ङ) इन प्लॉट्स पर इन व्यक्तियों का अधिकार कब से और किस प्रकार से हुआ है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सम्पतराम): (क) जी हां।

(ख) ये भू—खण्ड लोगों को काफी अर्से पहले दिये गये थे और उन्हें अब तक उन पर मकान बना लेने चाहिये थे, पर उनके ऐसा न करने पर राज्य सरकार को उनकी अवाप्ति की कार्यवाही करना आवश्यक हो गया। इनमें से कुछ लोगों ने यह विश्वास दिलाया कि वे शीघ्र ही मकान बना लेंगे तो नोटिफिकेशन वापिस ले लिया गया।

(ग) तालिका संलग्न है।

(घ) इसका उत्तर तालिका में दे दिया गया है।

(ङ) इसका उत्तर तालिका में दे दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि उन सब को जिनको नोटिस दिया गया था उन सब के लिए नोटिस वापिस नहीं लिये गये ?

श्री सम्पतराम : जी हां, यह सही है।

श्री भैरोंसिंह : कितने लोगों के लिए लिया गया ?

श्री सम्पतराम : उनकी तादाद तो याद नहीं, पर हो सकता है, पांच--सात हों।

श्री भैरोंसिंह : जिन १७ के नाम लिये गये हैं उनके खिलाफ क्या नोटिस वापिस ले लिये ?

श्री सम्पतराम : इसकी डिटेल्स मेरे पास नहीं हैं। यह डिटेल्स का प्रश्न है, समय लगेगा। मेरे पास फाइल है। आप मेरे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह लैण्ड एक्वीजीशन एक्ट के तहत जो नोटिस अवाप्ति के जारी किये गये तो क्या इनके जारी करने का कारण यह था कि उन लोगों ने मकान नहीं बनाये उन भू—खण्डों पर, यही कारण था ?

श्री सम्पतराम : जी हां, ये भू—खण्ड बहुत दिनों से खाली पड़े थे। ऐसी सूरत में यही समझा गया कि ये मकान नहीं बनाना चाहते थे। पर जब उन्होंने एश्योरेन्स दिये मकान बनाने को तो विथड्रा कर लिये नोटिस।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि उन नोटिसों में यह लिखा गया था कि ये प्लॉट सार्वजनिक कार्य के लिए अवाप्ति करना आवश्यक हैं, इसलिये अवाप्त किये जावेंगे ?

श्री सम्पतराम : जी हां, यह सही है।

श्री भैरोंसिंह : अब जब आप यह कह रहे हैं कि मकान चूंकि वे बना नहीं रहे थे इसलिये नोटिस दिये गये और आश्वासन दे दिया मकान बनाने का तो छोड़ दिये गये, तो फिर पब्लिक इन्टरेस्ट इसमें कौनसा रह गया था ?

श्री सम्पतराम : यह तो जनरल प्रिन्सिपल है। किसी की प्रोपर्टी को जब एक्वायर किया जाता है तो यही किया जाता है। अदरवाइज़ यह कार्यवाही इल्लीगल हो जाती है। इसलिये ऐसा करना वाजिब था।

Page No 14

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि लैण्ड एक्वीज़ीशन एक्ट के तहत जब एक्वायर करने जाते हैं तो एक्वायर करने से पहले प्लान बनाना पड़ता है कि सरकार का यह सार्वजनिक काम करने का प्लान है, जब एक्वायर की कार्यवाही होती है ?

श्री सम्पतराम : ज़मीन जब हमारे कब्जे में आती है तब नक्शा बनाने का सवाल सामने आता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि एक्ट के अनुसार जब तक प्लान पहले नहीं बनता है तब तक इस एक्वीजीशन एक्ट के तहत कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती ?

श्री सम्पतराम : वह प्लान क्या हो, यह तो ज़मीन कब्जे में आने के बाद ही हो सकता है, वह प्लान क्या हो गवर्नमेंट बिल्डिंग बनेगी या क्या बनेगी । पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है यह।

श्री भैरोंसिंह : जब तक गवर्नमेंट का पहले प्लान न बने तब तक प्राइवेट प्रोपर्टी को ऐसे प्लान के अभाव में किस तरह से पब्लिक इन्टरेस्ट में लेने का ढंग आता है ?

श्री सम्पतराम : वह तो पब्लिक पर्पज से एक्वायर करने की कार्यवाही कर दी, बाकी पीछे देखेंगे कि उसका क्या किया जायेगा ।

श्री भैरोंसिंह : पर पहले यह तो मालूम होना चाहिये कि उसका पब्लिक पर्पज़ है क्या ?

श्री सम्पतराम : यही कि उसको लेकर प्लॉट काटें और माननीय भैरोंसिंहजी को प्लॉट दें सरकारी बिल्डिंग बनावें, तार घर या पोस्ट ऑफिस बनावें या चिल्ड्रन्स पार्क बनावें। कई हो सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble member is rightly compensated.

श्री भैरोंसिंह : Thanks for this commitment, Sir.

तहसील करौली की भैंसावटी नदी पर बांध का निर्माण

७६४. **श्री उम्मेदीलाल** (करौली-सु.): क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार तहसील करौली की भैंसावटी नदी पर बान्ध बनाने का विचार रखती है ? अगर हां, तो उक्त बांध कब तक बना दिया जावेगा ?

सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) : जी नहीं।

स्टेट गेरेज की गाड़ी नम्बर आर. जे. एल. ३५३६ का श्री पूनमचन्द बिश्नोई द्वारा बिना टोकन के प्रयोग

७६५. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) [श्री अनूपसिंह (बालोतरा) द्वारा पूछा गया]: क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या स्टेट गेरेज की मोटरें बिना टोकन राजस्थान में चल सकती हैं ?

(श्री लक्ष्मीचन्द)

(ख) यदि नहीं, तो क्या यह सही है कि २६ जनवरी, १९६१ को स्टेट गेरेज की गाड़ी नम्बर आर० जे० एल० ३५३६ श्री पूनमचन्द बिश्नोई, उप मन्त्री शिक्षा लेकर जालोर क्या आये थे और उस गाड़ी के टोकन नहीं था ? उसकी सूचना जिला जालोर के सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस को दी गई थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास): स्टेट मोटर गेरेज की गाड़ियां टोकन बगैर नहीं चल सकती हैं ।

(ख) दिनांक २५–१–६१ को श्री पूनम चन्दजी की ड्यूटी में गाड़ी नम्बर आर. जे.-एल. ३५३६ भेजी गई थी जालोर आदि के दौरे में उस समय उसमें टोकन नहीं था। टोकन फॉर्म भर कर आर. टी. ओ. के कार्यालय में भेजा जा चुका था और पुराना टोकन भी उसी फॉर्म के साथ भेज दिया गया था। सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस को इत्तला देने की जरूरत नहीं थी।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या यह सही है कि मोटर विहीकल एक्ट के अनुसार बिना टोकन गाड़ी इस्तेमाल नहीं हो सकती, और जब ऐसा है तो टोकन प्राप्त करने में देर कहां से हुई ?

श्री रामकिशोर व्यास : वहां उनके दफ्तर में देर हुई।

श्री भैरोंसिंह : जिन्होंने देर की उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री रामकिशोर व्यास : देरी जिस कारण से हुई मेरे खयाल से जहां तक है क्वीन्स विजीट के टाइम में प्रेशर ज्यादा था इससे हुई।

श्री भैरोंसिंह : यह तो बाद में प्रश्न सामने आवेगा । सवाल अभी तो यह है कि क्या ट्रान्सपोर्ट विभाग का यह काम है एक्शन लेने का ?

श्री रामकिशोर व्यास : अगर कहीं गलती है तो है ही।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या इसमें कोई तजवीज़ की है उन्होंने एक्शन लेने की ?

श्री रामकिशोर व्यास : नहीं।

श्री किशनाराम (रतनगढ़) : क्या यह सही है कि जब गाड़ी जा रही हो तो चालान करने वाली ऑथोरिटी रसीद भी न हो और टोकन भी न हो तो कोई बहाना नहीं स्वीकार करती ?

श्री रामकिशोर व्यास : गड़बड़ी की बात है तब जब डिपार्टमेंट बेईमानी करना चाहता हो, टैक्स पे नहीं करना चाहता हो। पर जब डिपार्टमेंट ने पैसा जमा करा दिया तो कोई प्रश्न नहीं रहता ।

श्री किशनाराम : कोई विहीकल रनिंग में हो और ऑथोरिटी को मिल जावे चालान करने वाली को और कोई प्रूफ इसका न हो........

श्री उपाध्यक्ष : This is hypothetical question. We proceed on.

प्रश्न संख्या ७९६

श्री मोगजी भाई।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

नागरिक रसद विभाग के कर्मचारियों की स्थायी विभागों में नियुक्ति

७६८. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) [श्री अनूपसिंह (बालोतरा) द्वारा पूछा गया]: क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या नागरिक रसद विभाग के कुल कर्मचारियों को अन्य राजकीय सेवाओं में ले लिया जाकर उन्हें स्थायी कर दिया है ?

(२) यदि नहीं, तो राजस्थान में ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनकी नियुक्ति करनी बाकी है ?

(३) क्या ऐसे भी कर्मचारी हैं जिन्होंने राजकीय सेवा में आना पसन्द किया और उनकी अनुमति भी मिली है, परन्तु उनकी नियुक्ति स्थायी विभागों में अभी तक नहीं हुई है ?

(४) यदि हां, तो सरकार इन लोगों को स्थायी विभागों में कब से नियुक्त करने का विचार रखती है ?

श्रम मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) नागरिक रसद विभाग के कुल कर्मचारियों को सिवाय कुछ कर्मचारियों के जो कि मुख्य लेखाधिकारी के कार्यालय में सप्लाई सम्बन्धित काम कर रहे हैं राजकीय सेवाओं में प्राप्त उपयुक्त स्थानों पर स्थायी अथवा अस्थायी ले लिया गया है।

(२) केवल ६ लेखक कर्मचारी (क्लर्क) मुख्य लेखाधिकारी के कार्यालय में और सात कर्मचारी डिविजन में (३ कोटा कोषाध्यक्ष के कार्यालय में, २ जोधपुर कोषाध्यक्ष के कार्यालय में और एक दो कर्मचारी उदयपुर और बीकानेर के कोषाध्यक्षों के कार्यालयों में) सिविल सप्लाई सम्बन्धी काम कर रहे हैं। काम पूरा होने पर इनको भी अन्य राजकीय विभागों में ले लिया जावेगा।

(३) प्रश्न (२) के उत्तर से स्थिति स्पष्ट है।

(४) प्रश्न (२) के उत्तर के स्थिति स्पष्ट है।

राज क्रय-विक्रय संघ को मिले ऋण की अदायगी

७६८. श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सरकार ने सन् १९६०—६१ में कब किस कार्य के लिये राज्य क्रय—विक्रय संघ को कितना ऋण किन किन शर्तों पर तथा किस जमानत पर दिया ? कृपया पूरे विवरण की तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) क्या यह सही है कि क्रय-विक्रय संघ द्वारा इन शर्तों का पालन किया गया ? यदि नहीं, तो किन किन शर्तों की अवहेलना की गई ?

(३) क्या इस ऋण का वापिस भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो अब कितना बाकी है ?

(४) क्या यह सही है कि बाकी ऋण को राइट ऑफ करने के लिये क्रय-विक्रय संघ

(श्री भैरोंसिंह)

ने सरकार से मांग की है ? यदि हां, तो किन कारणों से और सरकार ने उस पर क्या निर्णय लिया है ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) संघ को माह जून ६० में रु० १,१०,०००)रु० कपास के बीज के वितरण के लिए व जुलाई ६० में रु० १७,००,०००) गेहूँ की खरीद एवं वितरण के लिये संलग्न शर्तों के मुताबिक दिया गया।

(२) हां, लगभग सभी शर्तों का पालन किया गया था। कपास का जो पैसा उन्हें माह अगस्त तक जमा कराना था उसमें से ३५,६६२) बाकी हैं।

(३) गेहूँ के ऋण में से १६,६३,४८७ रु० ५.४ नये पैसे जमा हो चुके हैं। सूरतगढ़ फार्म से लिये गये बीज की रकम जमा कराना बकाया है। कपास के ऋण में से ३५,६६२) रु० बाकी हैं।

(४) जी हां।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भैरोंसिंह : यह रुपया किस सम्बन्ध में दिया गया था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : गेहूँ का बीज खरीद कर पंचायत समिति को देने के लिये।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह गेहूँ वही है जो सूरतगढ़ फार्म से खरीदना था।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : जब सूरतगढ़ के लिये १७ लाख उधार दिया गया तो १६ लाख की बकाया किस प्रकार से हो गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने तो, १६ लाख वसूल हो गये, यह कहा है। बकाया के लिये नहीं कहा।

श्री भैरोंसिंह : तो १७ लाख के एवज में १६ लाख कैसे हो गये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसमें ऐसी बात है कि उनको फार्म का गेहूँ ८० हजार मन और दिया गया था। उत्तर में यही अर्ज किया कि सूरतगढ़ की रकम बाकी है और ६१ तक की मयाद है।

श्री भैरोंसिंह : केवल ८० हजार मन गेहूँ की कीमत ही जमा कराई है, इसका मतलब यह हुआ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ८० हजार मन दिया तब १७ लाख से ज्यादा एक्सटैन्ड कर दिया और १६ लाख जमा करा दिया। कुछ कपास के मद्द में भी ३५,६६२) बाकी हैं।

श्री भैरोंसिंह : वैसे कुल बकाया कितनी है स्पष्ट कहें ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं समझता हूँ कि ८० हजार मन में से १४ लाख की कीमत और थी १७ लाख पहले दिया और यह १४ लाख ८० हजार मन गेहूँ की कीमत थी। इसमें से इस तरह ६१ लाख कुल लेना रहा, इसमें से १६ लाख जमा हो गये। इसमें से ६.५१ हजार रुपयों का गेहूँ पंचायत समितियों

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

को जो दिया गया उसका रुपया हमारे यहां पर जमा हो रहा है। इसके अलावा कुछ रुपया है तीन लाख के करीब उसका एक अकाउन्ट और दिया है। बाकी दिसम्बर तक की मयाद है उसमें आ जावेगा।

श्री भैरोंसिंह : यह रकम कब तक जमा हो जानी चाहिये थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दिसम्बर १९५९ तक।

श्री उपाध्यक्ष : Next.

श्री भैरोंसिंह : एक प्रश्न और....

जब १९५९ में रकम जमा होनी चाहिये थी तो अब तक वह हुई क्यों नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ५९ नहीं, ६१ बताया है मैंने। १८ महीनों का टाइम दिया था।

श्री उपाध्यक्ष : Next, श्री लक्ष्मीचन्द।

एक **माननीय सदस्य** : एक क्वेश्चन है।

श्री उपाध्यक्ष : I proceed to the next question.

मिनिस्टीरियल ग्रेड्स के वेतन में अन्तर

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) [श्री अनूपसिंह (बालोतरा) द्वारा पूछा गया] : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या राजस्थान में मिनिस्टीरियल स्टाफ के ग्रेड्स राजस्थान सेक्रेटेरियट व दूसरे महकमों में एक ही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों और यह अन्तर राजस्थान होने के बाद कब से चालू किया गया है ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) हां, मिनिस्टीरियल स्टाफ के ग्रेड्स (वेतन श्रृंखला) राजस्थान सचिवालय तथा अन्य महकमों (विभागों) में एक ही हैं।

कृषकों को जंगलात के पत्थर लाने हेतु परमिट प्राप्ति का स्थान

८००. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या वन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान में कृषकों को कृषि फार्म के लिए कुआं बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए और अन्य कृषि सम्बन्धी निर्माण करने के लिए जंगलात से पत्थर लाने की छूट है ?

(२) अगर हां, तो क्या उनको कोई पर्मिट लेने की आवश्यकता होती है ? अगर हां, तो ऐसे पर्मिट वह कहां से प्राप्त कर सकता है ?

(३) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार द्वारा ऐसे कोई आदेश जारी किये गये हैं कि अब इस प्रकार की पत्थर लाने की आज्ञा जिला वन अधिकारी से ही प्राप्त की जा सकती है ?

वन मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (१) जी हां।

(श्री सम्पतराम)

(२) जी हां, सम्बन्धित क्षेत्र के तहसीलदार या माइनिंग इन्जीनियर या सहायक माइनिंग इन्जीनियर से।

(३) जी नहीं ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या यह सही है कि तहसीलदार जब काश्तकारों को मकान बनाने के लिए पर्मिट देता है उस समय फोरेस्ट गार्ड जो होता है उस एरिया में वहां रहने वाला वह उसको फेंक देता है और कहता है कि डी० एफ० ओ० की इजाजत लाओ, हम तहसीलदार की नहीं मानते ?

श्री सम्पतराम : माननीय सदस्य अगर कोई स्पेसिफिक बात कहें तो मैं उसको एग्ज़ामिन कर सकता हूँ और उसकी इन्क्वायरी करा सकता हूँ। वैसे डिपार्टमेंट से ऑर्डर जारी कर दिया है कि इन इन मामलों में जंगलात का कोई ताल्लुक नहीं है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : अगर आप स्पेसिफिक पूछते हैं तो क्या यह सही है कि तहसीलदार देवली ने १० पर्मिट कोट उनको फेंक दिया और जब पंचायत समिति की मीटिंग हुई तो वहां फोरेस्ट गार्ड भी था और मैं भी मौजूद था वहां पर उसने तहसीलदार को डाट दिया....

श्री उपाध्यक्ष : श्री किशनाराम ।

स्टेट रोडवेज़ बस का जयपुर–देहली सड़क पर एक्सीडेन्ट

८०१. **श्री किशनाराम** (रतनगढ़) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या दिनांक १२–१२–६० को राजस्थान स्टेट रोडवेज़ की बस का जयपुर–देहली रोड़ पर हाल ही में एक एक्सीडेन्ट हुआ है ? यदि हां, तो उसने कितने पैसेन्जर्स जख्मी हुए और कितनों की मौत हुई ?

(ख) क्या यह सही है कि बस के ड्राइवर की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई
हां, तो उसके परिवार के लिए सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है ?

(ग) घटनाग्रस्त बस का नम्बर क्या था बस का कितना नुकसान हुआ ?

(घ) क्या यह सही है कि एक्सीडेन्ट के समय पर यातायात विभाग का एक उच्चाधिकारी मौके पर मौजूद था और उसने मृत ड्राइवर की मोटर के स्टीरियंग व्हील से लटका हुआ देख कर भी कोई मदद नहीं की ?

(ङ) वह अधिकारी कौन था और क्या वह उस दिन छुट्टी पर था ?

यातायात मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : जी नहीं । २२–१२–६० को कोई....

श्री किशनाराम : २२–१२–६० नहीं १२–१२–६० है ।

श्री रामकिशोर व्यास : छपने में गलती रह गई होगी ।

Page No 20

(श्री रामकिशोर व्यास)

....कोई दुर्घटना नहीं हुई। जयपुर-देहली रूट पर राजस्थान स्टेट रोडवेज़ की बस नं० आर. जे. एल. ७२७५ की दुर्घटना दिनांक १२-१२-६० को अवश्य हुई थी। जिसमें कोई भी यात्री जख्मी नहीं हुआ। बस ड्राइवर की मृत्यु तत्काल ही घटनास्थल पर हो गई।

(ख) यह सही है कि ड्राइवर की मृत्यु घटना-स्थल पर हो गई थी। उसके परिवार के लिए रोडवेज़ के अन्य कर्मचारियों द्वारा दिये हुये चन्दे की रकम तुरन्त ही भिजवा दी गई थी। इसके अलावा उसके उत्तराधिकारी की ओर से प्रार्थनापत्र आने पर नियमानुसार प्रबन्ध किया जावेगा।

(ग) घटनाग्रस्त बस का नं० आर० जे० एल० ७२७५ था। और उसमें लगभग ७२०० रुपये का नुकसान हुआ।

(घ) यह असत्य है कि एक्सीडेन्ट के समय पर यातायात विभाग का कोई अधिकारी मौके पर मौजूद था या उसने ड्राइवर को लटका देखकर कुछ नहीं किया।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री किशनाराम : क्या यह सही है कि यातायात विभाग का कोई उच्च अधिकारी उस दिन छुट्टी पर था?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने (घ) में अर्ज कर दिया है।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : जो ७२०० का नुकसान बताया है तो यह किन किन का नुकसान हुआ है, यह विस्तार के साथ बता दें।

श्री रामकिशोर व्यास : डिटेल्स मेरे पास नहीं हैं, लेकिन मोटा अन्दाजा करीब ७२०० का लगाया है।

श्री किशनाराम : एक ड्राइवर मर गया और आपके डिपार्टमेंट का उच्च अधिकारी वहां पर मौजूद था और पैसेन्जर ने कहा कि इसकी मदद करो, लेकिन उसने नहीं सुना?

श्री उपाध्यक्ष : But he has denied it.

(विराम)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

पंचायत समिति ओसियां द्वारा बाहरा खुर्द एवं बाहरा कलां ग्रामों की पाठशालायें बन्द किया जाना

८०२. श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : क्या पंचायत मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति ओसियां ने बाहरा खुर्द एवं बाहरा कलां गांवों की दो पाठशालाओं को बन्द कर दिया है?

(२) यदि हां, तो क्यों?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) जी नहीं।

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

२ प्रश्न नहीं उठता।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : वहां पाठशालायें बन्द पड़ी हैं और आप कहते हैं 'जी नहीं।'

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : विकास अधिकारी ने यह सूचना दी है कि बाहरा खुर्द एवं बाहरा कलां की पाठशालायें चालू हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : यह वापिस चालू कर दी गई या बन्द पड़ी हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : वे कन्टीन्यू हैं, चालू हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या पहले कभी बन्द की गई थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो सूचना मुझे प्राप्त हुई उसके अनुसार यह है कि विकास अधिकारी ने बताया है कि बाहरा खुर्द एवं बाहरा कलां की पाठशालायें चालू हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : यह प्रश्न मिलने पर या पहले से ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मालूम होता है कि पहले से ही हैं।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि वहां के अध्यापकों का ट्रान्सफर कर दिया गया है ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रावतमल पारीक।

राजस्थान नहर

८०३. **रावतमल पारीक** (नोखा) : क्या मंत्री, राजस्थान कैनाल विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) राजस्थान नहर का निर्माण पंजाब में कितनी मील तक व राजस्थान में कितनी मील तक मुकम्मिल हो चुका है, पानी की पहली किश्त राजस्थान को कब तक मिल सकेगी तथा कुदरती ढलान के आखिरी छोर तक पानी कब तक पहुंच सकेगा ? यह नहर कितने फीट चौड़ी होगी और क्या इसमें नौका नयन हो सकेगा ?

(२) राजस्थान को मिलने वाले राजस्थान कैनाल के पानी से ही क्या पंजाब सरकार ने अब सरहिन्द कैनाल निकालने की योजना बनाली है ? राजस्थान कैनाल का अन्तिम रूप से स्वीकृत नक्शा सदन की मेज पर रखा जाये।

(३) क्या यह सत्य है कि राजस्थान नहर की लिफ्ट इर्रिगेशन की स्कीम, जो बीकानेर जिले की लगभग १६ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई करने में समर्थ हो सकती थी, को स्थगित या रद्द कर दिया गया है ?

राजस्थान नहर मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (१) पंजाब में राजस्थान फीडर के आखरी ७ मील में खुदाई और लाइनिंग के कार्य समाप्ति के प्राबृद्ध चरण (advanced stage of completion) पर हैं। ऊपरी १०३ मील में खुदाई का काम ५० प्रतिशत और लाइनिंग का काम २० प्रतिशत समाप्त हो चुका है।

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

राजस्थान में २३ मील लम्बाई के राजस्थान फीडर का काम भी समाप्ति के प्रावृद्ध चरण पर है।

पानी की पहली किश्त राजस्थान को सन् १९६१ की ग्रीष्मकाल में मिल जावेगी। बशर्ते कि अन्तिम फीडर के ३१ मील का कार्य पूर्ण करने के लिए सीमेन्ट और कोयला पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते रहें। १९७६ के ग्रीष्मकाल तक कुदरती ढलान के आखिरी छोर तक पानी पहुँच सकेगा। शीर्ष पर (at the head) पक्की (Lined) नहर की चौड़ाई १३४ फीट और गहराई २१ फीट होगी। नहर में नौका-नयन का प्रश्न अभी भारत व राजस्थान सरकार के विचाराधीन है।

(२) जी नहीं। नक्शे की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) पोंग बांध बन जाने पर, यानी १९६९–७० के बाद लिफ्ट इर्रिगेशन की स्कीम, पानी की अवीरामी उपलब्धि (perennial supply) होने पर क्रियान्वित की जायेगी।

(नक्शा विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : सन् १९६१ में जो राजस्थान कैनाल से पानी मिलेगा वह कितना पानी मिलेगा ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : उससे करीब २६ हजार एकड़ ज़मीन की सिंचाई हो सकेगी।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : आपने कहा कि ग्रीष्मकाल से मिलना प्रारम्भ होगा तो यह ग्रीष्मकाल कब से शुरू होता है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : ग्रीष्मकाल जून से सितम्बर तक रहता है।

श्री मुरलीधर व्यास : दो महीने बाद मिलना प्रारम्भ हो जायेगा आपके कहने के अनुसार।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने अभी निवेदन किया जवाब में कि आगे कोयला और सीमेन्ट प्राप्त होता रहा, जैसा कि पिछले दिनों बिल्कुल नहीं मिला तो हमारा काम करीब १५ दिन पीछे पड़ गया, अगर बराबर यह मिलता रहा तो अगस्त में पानी आ जायेगा।

श्री भैरोंसिंह : यह पानी कितने क्यू-सेक्स होगा ? जो राजस्थान कैनाल से पानी मिलेगा वह कितने क्यूसेक्स होगा ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : १८॥ हजार क्यूसेक्स।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिस समय नहरी पानी विवाद के ऊपर सरकार से वार्तालाप हुई उससे पहले १८ हजार के स्थान पर सरकार ने ३० हजार क्यूसेक्स पानी इर्रिगेशन के लिए मिलने के लिए लोगों को आश्वासन दिया था ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : कभी नहीं।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या यह सही है कि लिफ्ट इर्रिगेशन की स्कीम अभी तक नहीं बनी है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : लिफ्ट इर्रिगेशन की स्कीम, जैसा अर्ज किया कि अभी १० साल तक उसकी सम्भावना नहीं है। इसलिए इसकी स्कीम बन रही है।

श्री उपाध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

उनियारा नगरपालिका की सीमा

८०४. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि उनियारा म्युनिसिपल कमेटी की सीमा दो दो मील तक है ? अगर हां, तो कहां कहां तक और इसमें कौन कौन सी आबादी शामिल है ?

(२) क्या यह सही है कि मीणों को झोपड़ियां, गौडों की झौपड़ियां, भाटनाड़ा मालियों की झौपड़ियां व पगड़ी भी म्युनिसिपल एरिया उनियारा में शामिल है ?

(३) अगर नहीं, तो यह एरिया किसमें रखा गया है और किन किन आधारों पर ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (१) जी नहीं, सीमा निम्न प्रकार है :

(क) पूर्व—ठाकुर नार्डन से पुराना सरदार बाग तक होते हुए मलवा होते हुए भीमांजी की कोठी।

(ख) दक्षिण—छप्पनजी का तालाब होते हुए बागर तक।

(ग) पश्चिम—संग्राम विलास तक।

(घ) उत्तर—मोहम्मडन ग्राउण्ड होते हुए मसीमांजी से जा मिलती है।

(२) जी नहीं।

(३) यह सूचना इस विभाग से नहीं दी जा सकती।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

बूंदी में सहायक जिलाधीश व मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट को पुनः चालू कराना

८०५. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि बूंदी से सहायक जिलाधीश व मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लॉस की कोर्ट हटा दी गई है ? यदि हां, तो कब और क्यों ?

(ख) क्या यह सही है कि इस कोर्ट के हटाये जाने के कारण एस० डी० ओ० तथा मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, बूंदी की कोर्ट में मुकदमों का नम्बर ज्यादा बढ़ गया है जिससे मुकदमों की सुनवाई में अत्यधिक देरी होती है ?

(ग) मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लॉस की कोर्ट हटाये जाने पर उपरोक्त दोनों कोर्ट्स में इस कोर्ट के मुकदमे ट्रान्सफर होने के पश्चात् इन दोनों कोर्ट्स में कितने कितने मुकदमेथे

Page No 24

(श्री भैरोंसिंह)

और उसके बाद अब तक कितने नये मुकद्दमे दायर हुए और कितनों का फैसला हो गया और अब कितना कितना बैलेन्स है ?

(घ) क्या सरकार कोर्ट को आवश्यकता को अनुभव कर वहां इस कोर्ट को फिर से चालू करने का विचार नहीं रखती ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी हां। प्रशासकीय कारणों से सहायक कलेक्टर व मजिस्ट्रेट का न्यायालय अक्टूबर, १९५९ में हटाया गया।

(ख) जी हां।

(ग) सहायक कलेक्टर व मजिस्ट्रेट का न्यायालय हटने के बाद वहां के १०९ फौजदारी व १२१ रेवेन्यू मुकदमात में से एस० डी० ओ० बूंदी के न्यायालय में १२१ रेवेन्यू व ६८ फौजदारी तथा मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालय में ४१ फौजदारी मुकदमे दिये गये अक्टूबर ५९ से फरवरी ६१ तक दायर व फैसल हुये मुकदमों का ब्यौरा इस प्रकार है :

न्यायालय	पहले के बकाया	दायर मुकदमें	योग	फैसल मुकदमे	बकाया
१	२	३	४	५	६
एस० डी० ओ० बूंदी	२२२	१५७३	१७९५	१४८४	३११
मुन्सिफ मजिस्ट्रेट बूंदी	७२	१७१	२४३	१३४	१०९

(घ) नवम्बर १९६० में एस० डी० एम० बूंदी की अदालत में फौजदारी मुकदमों की संख्या बढ़ जाने से १९५ मुकदमें एस० डी० एम० की अदालत में मुन्तकिल कर दिए गए थे।

(ङ) यह विषय सरकार के विचाराधीन है।

श्री भैरोंसिंह : प्रशासनिक कारणों में क्या यह कारण है कि फर्स्ट क्लॉस मजिस्ट्रेट की कोर्ट में मुकदमों का नम्बर कम है, इसलिए इस कोर्ट को हटा दिया गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह मैं निवेदन नहीं कर सकता हूँ। यह रेवेन्यू डिपार्टमेंट से होता है, होम डिपार्टमेंट से नहीं होता है। मेरे पास उसके मुफस्सिल वजूहात नहीं है क्योंकि वह रेवेन्यू डिपार्टमेंट डील करता है।

श्री भैरोंसिंह : कोर्ट्स में इस प्रकार से मुकनमें ज्यादा हो रहे हैं, तो फिर सरकार अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार नहीं है और उस कोर्ट को वापिस स्थापित कर दे।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने जवाब दिया है कि विचाराधीन है।

श्री उपाध्यक्ष : सरकार के विचाराधीन है।

ग्राम पंचायत बर (पाली) की अंकेक्षा प्रतिवेदन पर कार्यवाही

८०६. **श्री शंकरलाल** (रायपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि पाली जिले की रायपुर तहसील की ग्राम पंचायत बर का जो ऑडिट दिनांक ४.११.६० को समाप्त हुआ उसकी रिपोर्ट में ऑडिट पार्टी द्वारा रकम के दुरुपयोग व गबन करने का हवाला दिया गया है ?

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऑडिट रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि हां नहीं,तो क्यों ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) जी हां।

यह सही है कि पाली जिले की रायपुर तहसील की ग्राम पंचायत बर का ऑडिट हुआ था। ऑडिट दिनांक ४. ११. ६० के बजाय दिनांक १२. ११. ६० से दिनांक १६. ११. ६० तक हुआ। ऑडिट ने अपनी रिपोर्ट में रकम के अनावश्यक खर्च एवं वाउचर के अभाव बाबत संकेत किया है।

(ख) उक्त ऑडिट रिपोर्ट की ग्राम पंचायत बर द्वारा अनुपालन करवाने की कार्यवाही जारी है।

श्री शंकरलाल : क्या आप यह बतायेंगे कि किन आदमियों ने गबन किया है ? यह रिपोर्ट में है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : डेफिनिट सूचना तो नहीं है, किन्तु कुछ व्यक्ति हैं। ऑडिट फण्ड का जो कानून है उसके मुताबिक वह ऑडिट रिपोर्ट पंचायत को भेज दी है। तीन महीने के अन्दर उसका जवाब आयेगा। उसके बाद में वे क्या जवाब भेजते हैं उस पर कार्यवाही की जायगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन

तहसील नोहर के भाखरा क्षेत्र में असिंचित घोषित भूमि के मालिकों को १५० बीघा भूमि दिलवाना

८०७. **श्री रामकिशन** (नोहर) : क्या मन्त्री, भाखरा प्रोजेक्ट निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) तहसील नोहर के भाखरा क्षेत्र में जो भूमियां पहले सिंचित करार दी जाकर लोगों को दे दी गई थीं, उनमें कितनी भूमियां अब असिंचित घोषित की गई हैं ?

(२) क्या उक्त भूमियां लेने वालों को १५० बीघा भूमि दी जाने के सम्बन्ध में सरकार कोई कदम उठा रही है ?

आबकारी मन्त्री(श्री रामचन्द्र चौधरी): माननीय उपाध्यक्ष, इसका सम्बन्ध राजस्व मन्त्रीजी से है। वे अपनी टर्न पर इसका जवाब देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : Postponed.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : इसका जवाब कब तक मिलेगा ?

Page No 26

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट टर्न पर।

प्रश्न संख्या ८०८

श्री अर्जुनदास।

(अनुपस्थित)

रावराजा श्री सरदारसिंह।

जोइन्ट फार्मिंग सोसाइटी, सरकाबाद (टोंक)

८०९. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या पंचायत मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) क्या यह सही है कि कोई जोइन्ट फार्मिंग सोसाइटी के नाम से सोसाइटी सरकाबाद, तहसील देवली, जिला टोंक में रजिस्टर्ड है ? अगर हां, तो यह कब से है और इसके कितने सदस्य हैं ?

(२) सोसायटी के पास कृषि योग्य जमीन कितनी है और उसमें कितनी काश्त होती है ? इस वर्ष रबी और खरीफ की फसल की कुल पैदावार के आंकड़े देने की कृपा करें।

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त सोसाइटी ने कूआं लगाने के लिए पंचायत समिति से कोई धनराशि ली है ? अगर हां, तो कितनी धनराशि और क्या वह कुआ तैयार हो चुका है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : उपाध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अगली टर्न पर मिल सकेगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : एक तहसील देवली का मांगा था। सारे राजस्थान का नहीं मांगा है।

श्री उपाध्यक्ष : On the next turn.

धौलपुर नगरपालिका का चुनाव

८१०. **डॉ० बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) धौलपुर नगरपालिका की अवधि कब समाप्त हो रही है ?

(२) राज्य सरकार निर्वाचन कब तक पूर्ण कराना चाहती है ?

(३) क्या वार्डों का विभाजन हो गया है ? यदि हां, तो प्रति सदन में प्रस्तुत करें।

स्वायत शासन मन्त्री (श्री सम्पतराम): (१) दिनांक १७–७–६१ को।

(२) चुनाव सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्यवाही जारी है। पूर्ण होते ही चुनाव के कार्य की व्यवस्था की जायगी।

(३) वार्डों का विभाजन अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए सदन की मेज पर रखने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

डॉ० बहादुरसिंह प्रारम्भिक कार्यवाही क्या जारी की जा रही है ?

श्री सम्पतराम : शिड्यूल्ड कास्ट्स की सीट्स का डिटर्मिनेशन कर दिया है।

Page No 27

डॉ० बहादुरसिंह : प्रारम्भिक कार्यवाही तो वार्डों के निर्माण की है। वह तो हुई नहीं। यह मालूम करना चाहता हूँ। सीट तो हैं। १८ सीट्स हैं, उससे क्या डिक्लेयर करते। सवाल यह है कि प्रारम्भिक कार्यवाही क्या की गई? वार्ड बनाये नहीं हैं। शायद डेट फिक्स की है क्या?

श्री सम्पतराम: यह मैंने माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में कहा है कि चुनाव सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्यवाही जारी है। टोटल नम्बर ऑफ सीट्स डिटर्मिन कर दी हैं। इसके बाद वार्डस वगैरह बनेंगे, उसके बाद चुनाव होगा। पीरियड काफी है इसलिए चिन्ता की जरूरत नहीं है।

डा० बहादुरसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कार्यवाही जारी है तो मैं यह मालूम करना चाहता हूँ कि कितने पेपर्स निकल गये हैं? कितने लेटर इश्यू किये गये हैं चुनाव सम्बन्धी कार्यवाही के लिए?

श्री संम्पतराम : लैटर्स वगैर की तारीख और नम्बर तो मेरे पास नहीं हैं कि कहां कहां से किस किस ने इश्यू किये हैं, लेकिन इसके बारे में सवाल कहीं से पैदा नहीं होता है। उसकी अवधि १७–७–६१ को समाप्त हो रही है। उसके बाद में दिक्कत आये तो माननीय सदस्य कह सकते हैं।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं एडवान्स में बात करता हूँ। चुनाव के लिए, जनरल इलेक्शन के लिए वार्डस तैयार हो गये हैं तो इलेक्टोरल रोल्स का सवाल है। वार्डस तैयार नहीं होते तो वह किस तरह से बनेगी। इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या कार्यवाही की गई। कुछ तो बता दें।

श्री सम्पतराम : चुनाव कराना चाहते हैं। फ्यूचर की बातों को एन्टीसिपेट करके जवाब देना ठीक नहीं समझता हूँ।

डॉ० बहादुरसिंह : फ्यूचर की बात नहीं है। ४ या ३ महीने पहले की बात है। अभी वार्ड बनेंगे, उसके लिए एतराजात मांगेंगे। वार्ड दुबारा कन्फर्म होंगे, उसके बाद में वोटर्स लिस्ट बनेगी उसमें टाइम लगेगा। इसलिए मालूम करना चाहता हूँ कि प्रारम्भिक कार्यवाही क्या करना चाहते हैं?

श्री सम्पतराम: मेरे ख्याल से माननीय सदस्य ने प्रश्न जो पूछा है, वे इस बात से खुद ही संतुष्ट हैं। इस बात का डिटेल में जवाब देने की जरूरत नहीं है। चुनाव जिनका खत्म होता है उसके लिए प्रयत्न यह किया जाता है कि जल्दी से जल्दी चुनाव कराये जायं। वही प्रयत्न धौलपुर के बारे में जारी हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : नगरपालिकाओं की अवधि समाप्त होने आती है उसके पहले ४ महीने में तैयारी कर लेते हैं या उसके बाद में करते हैं?

श्री सम्पतराम : कोशिश तो यही की जाती है कि पहले से ही तैयारी की जाय, मगर कोई दिक्कत आती है तो बाद में भी कर लेते हैं।

तहसील नोहर की ग्राम पंचायतों के अंकेक्षा प्रतिवेदन में अंकित एतराजात की विभागीय जांच

८११. **श्री रामकिशन** (नोहर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि लोकल फण्ड ग्राम पंचायतों की ऑडिट रिपोर्ट सन् १९५७-५८ व १९५८-५९ में काफी मामलों को विभागीय जांच करने बाबत लिखा गया था ?

(२) यदि हां, तो क्या उन सब एतराजात की विभागीय जांच सम्पन्न हो गई है ?

(३) यदि नही, तो क्यों ? इन समस्त एतराजात की जांच करवाने में कितना समय लगने की संभावना है?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) जी हां। २४ पंचायतों के मामलों की विभागीय जांच करने बाबत लिखा है।

पंचायत के नामों की सूची संलग्न है ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

(२) सब एतराजात की विभागीय जांच अभी तक सम्पन्न नहीं हुई। विकास अधिकारी पंचायत समिति नोहर द्वारा पंचायतों को नोटिस दे दिया गया है और जांच जारी है।

(३) इन समस्त एतराजात की पूर्ति करवाने में डेढ़ माह का समय लगने की संभावना है।

श्री रामकिशन : कब लिखा है ?

श्री उपाध्यक्ष : He wantls the date.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह ५८–५९ में एतराज हुआ। डेफिनिट तारीख नहीं है, लेकिन जांच का काम जारी है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : ५८–५९ में एतराज हुआ था तो कौन सी तारीख को लिखा है ? उसके बाद में कितने साल हो गये हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : तारीख मेरे पास नहीं है, लेकिन ऐसा है कि जांच का काम जारी है, वह डेढ़ महीने में पूरा हो जायगा।

प्रश्न संख्या ७८३

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री मोगजी भाई।

बांसवाड़ा जिले में खोली जाने वाली चीप कार्ड बोर्ड फैक्ट्री

७९६. **श्री मोगजी भाई** (बांसवाड़ा) : क्या वन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :–

(१) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जिले में एक चीप कार्ड बोर्ड फैक्ट्री खोलने की सरकारी योजना है ?

(श्री मोगजी भाई)

(२) क्या यह सही है कि उक्त कार्ड बोर्ड फैक्ट्री को राज्य सरकार ने ३० वर्ष के लिये समस्त जिले की गैर इमारती लकड़ी के जंगल दिये हैं ? यदि हां, तो किन शर्तों पर ?

वन मंत्री (श्री सम्पतराम): (१) जी हां। एक चीप कार्ड बोर्ड फैक्ट्री खोलने की योजना है।

(२) अभी मामला विचाराधीन है।

श्री मोगजी भाई : यह कब तक खुल जायगी ?

श्री सम्पतराम : जल्दी ही खुलने का प्रयत्न किया जा रहा है।

प्रश्न संख्या ८०८

श्री उपाध्यक्ष : श्री अर्जुनदास।

(अनुपस्थित)

(दिनांक २२ मार्च, १९६१ का स्थगित प्रश्न)

बीकानेर शहर के बीच में स्थित श्मशान घाट तथा धोबी घाट का स्थानान्तरण

४७२. **श्री रावतमल पारीक** (नोखा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सत्य है कि बीकानेर शहर में श्मशान घाट तथा धोबी घाट आबादी के बीचों बीच स्थित है ? क्या नगरपालिका या सरकार ने इसको आबादी से बाहर ले जाने के लिये कोई कदम अब तक उठाया है? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सम्पतराम) : बीकानेर शहर का विस्तार हो जाने के कारण कई श्मशान घाट आबादी में आ गये हैं। आबादी के बीच कोई धोबी घाट नहीं है। श्मशानों को शहर से उठाने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, जो इस विषय में उचित कार्यवाही कर रही है।

श्री रावतमल पारीक : कमेटी किस कानून के तहत बनी है ?

श्री संपतराम : गवर्नमेंट ने इस प्रकार की एक कमेटी बनाई है कि उसका कोई सोल्यूशन निकाल कर गवर्नमेंट को सलाह दे। इस उद्देश्य से निर्माण किया है।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्वेश्चन ७८३ का जवाब नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : जब मैंने नाम एनाउन्स किया है, निश्चय रूप से माननीय सदस्य यहां पर उपस्थित नहीं थे।

श्री मदनसिंह : आपने नाम फर्माया था उस वक्त ये बोल रहे थे खड़े होकर।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने पहली मर्तबा, दूसरी मर्तबा वापिस आपका नाम पुकारा। यह बात अलग है कि इसको वापिस ले सकते हैं।

श्री रावतमल पारीक : यह कमेटी कब तक काम पूरा कर लेगी ?

श्री संपतराम : यह ठीक बात है इसकी निर्माण को देखते हुए टाइम जरूर लग गया है,

(श्री सम्पतराम)

लेकिन कोशिश की जायगी कि कमेटी जल्दी ही इस संबंध में अपनी रिपोर्ट दे ताकि उस पर कार्यवाही की जा सके ।

श्री रावतमल पारीक : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बतलाया है कि कोई धोबी घाट नहीं है। मैं अर्ज करूं कि मौके पर जाकर देखें कि जहां धोबी रहते हैं वहां हर घर के आगे धोबी घाट लग रहा है, इसकी जानकारी कर लें ।

श्री उपाध्यक्ष : घरों पर कपड़े धोते हैं, लेकिन वहां पर कोई धोबी घाट ऑथोराइज्ड नहीं है ।

(दिनांक २३ मार्च, १९६१ का स्थगित प्रश्न)

रतनगढ़ म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन, श्री मोहनलाल सारस्वत के विरुद्ध हुई शिकायतों पर कार्यवाही

५११. **श्री किशनाराम** (रतनगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(क) क्या यह सही है कि मगी हरिजन ने रतनगढ़ म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन द्वारा इसके वेतन की रकम में गड़बड़ करने की शिकायत की थी, जिस पर रीजनल इन्सपैक्टर लोकल बॉडीज़, बीकानेर डिवीजन ने बाद जांच डाइरेक्टर, लोकल बॉडीज़, राजस्थान, जयपुर को अपनी जांच रिपोर्ट करते हुए श्री मोहनलाल पर आरोप सन् ५५ व ५६ में लगाये थे ? यदि हां, तो इस जांच रिपोर्ट पर आज तक क्या एक्शन लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं लिया गया ? इस जांच रिपोर्ट की फायल अब कहां है ?

(ख) क्या यह भी सही है कि श्री पूनमचन्द वैद्य, रतनगढ़, के मकान के आगे बने हुये में श्री मोहनलाल पर गड़बड़ करने व गबन आदि करने की शिकायत पेश हुई थी, जिसकी जांच रीजनल इन्सपेक्टर, लोकल बॉडीज़ बीकानेर ने करके डाइरेक्टर, लोकल बॉडीज़, जयपुर को सन् ५६ में भेजी थी ? यदि हां, तो उस पर क्या एक्शन लिया गया व यह मिसल अब कहां है ? इस विषय में रीजनल इन्सपेक्टर की जांच रिपोर्ट सरकार के पास कब पहुंची ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सम्पतराम) : जी हां, शिकायत उसके पति द्वारा की गई थी । रजिनल इन्सपेक्टर लोकल बॉडीज़ बीकानेर द्वारा जांच करते समय मगी व उसके पति श्री जगनाराम द्वारा यह लिखित में दे दिया गया कि उसका कोई वेतन नगरपालिका द्वारा नहीं काटा गया था और शिकायत केवल विरोधी सदस्यों के बहकाने से की गई थी । जांच रिपोर्ट में श्री मोहनलाल के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाये गये । जांच रिपोर्ट निर्देशक, स्थानीय निकाय, के विभाग में ३१–२–५७ को तथा उनके द्वारा इसकी सूचना तथा सिफारिशें दिनांक २२–२–५७ से सरकार को मिली ।

जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही करने का प्रश्न पैदा नहीं होता । जांच रिपोर्ट सम्बन्धी फाइल निर्देशक स्थानीय निकाय के विभाग में है ।

(ख) जी हां, पर उन शिकायतों से यह स्पष्ट नहीं होता कि ये श्री पूनमचन्द वैद्य के

(श्री सम्पतराम)

मकान के आगे के खुर्रे से सम्बन्धित थी अथवा नहीं । रीजनल इन्सपेक्टर लोकल बॉडीज बीकानेर को रिपोर्ट निर्देशक स्थानीय निकाय की सिफारिशों के आधार पर श्री मोहनलाल को शो कॉज नोटिस दिया गया । अनियमितताओं के सिद्ध होने के कारण श्री मोहनलाल को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया ।

(ग) जी हां, सन् १६५४ में । उनकी रिपोर्ट पर जो कार्यवाही हुई है उसकी सूचना प्राप्त की जा रही है ।

श्री किशनाराम : क्या हरिजनों की शिकायत प्राप्त होने के बाद रीजनल इन्सपेक्टर को जांच करने के लिये कहा गया और उन्होंने इस तरह की रिपोर्ट दी या दुबारा जांच कराई गई ?

श्री सम्पतराम : माननीय सदस्य ने इस नगरपालिका के बारे में बहुत से सवाल पूछे हैं और उनमें से कई सीरियस नेचर के हैं । मैंने कलेक्टर चूरू को इन्क्वायरी ऑफिसर नियुक्त किया है जो डिटेल्ड जांच करेंगे । जांच की रिपोर्ट आने पर आगे कुछ किया जा सकेगा ।

श्री किशनाराम : बड़े आदमियों के बड़े नाम होते हैं । इस म्युनिसिपैलिटि के बारे में ज्यादा प्रश्न इसलिये पूछे जाते हैं कि ज्यादा गड़बड़ियें हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : Shri Ramnarain Verma, Question No 783 is to be replied.

ग्राम बागावास (बैराठ) के चन्द्रामीणा की 'चोर विरोधी अभियान' के अन्तर्गत पिटाई

७८३. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपल्दा—सु०) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या ग्राम बागावास (तहसील बैराठ) जिला जयपुर के चन्द्रा आत्मज देवकरण मीणा को 'चोर विरोधी अभियान' में पकड़ कर अजीतगढ़ व चन्दवाजी शिविर में लाया गया था ?

(ख) क्या यह भी सत्य है कि इसे ३० मई से १५ जून तक हिरासत में रखा एवं जूतों, डंडों एवं बिजली द्वारा असह्य यातनाएं, श्री लक्ष्मीनारायण सी. आई. द्वारा दी गई थीं ?

(ग) क्या चन्द्रा मीणा का एक लड़का रेल्वे में सब इन्सपेक्टर तथा दो लड़के अध्यापक हैं और स्वयं खेती एवं दूकानदारी करता है ?

(घ) क्या चन्द्रा मीणा को इससे पूर्व भी कभी किसी चोरी में पकड़ा गया था ?

(ङ) यदि नहीं, तो इसे किस अपराध में पकड़ा और किस चोरी का कितने मूल्य का माल इसके पास बरामद हुआ ?

(च) यदि नहीं, तो इसे क्यों पकड़ा एवं दंडित किया गया ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी नहीं । चन्द्रा मीणा को न तो बुलाया

Page No 32

(श्री रामकिशोर व्यास)

गया न गिरफ्तार ही किया गया, पर वह खुद कई बार दीगर मीनों के साथ पुलिस की इमदाद के लिये चन्दवाणी केम्प अवश्य आया था। अजीतगढ़ केम्प में उसे नहीं बुलाया गया।

(ख) जी नहीं।

(ग) ऐसा पता चला है कि चन्द्रा मीणा के दो पुत्र मास्टर हैं व एक रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स में है। चन्द्रा मीणा काश्तकार है। उसके कोई दुकान नहीं है, दुकान उसका भाई गोरू मीणा करता है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) चन्द्रा मीणा को गिरफ्तार नहीं किया गया और न कोई माल उससे बरामद किया गया।

(च) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : क्या यह सही है कि चन्द्रा मीणा के सम्बन्धियों ने शिकायत की है कि चन्द्रा मीणा को गिरफ्तार किया गया और मारा गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : ऐसी शिकायत मेरी जानकारी में नहीं आई।

(१२. १० म. प.)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(विराम)

Legislative Business, Shri Bhairon Singh to resume the debate.

जनलेखा एवं प्राक्कलन समितियों हेतु निर्वाचन का समय बढ़ाना

श्री भैरोंसिंह : (श्री माधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में बोलने से पूर्व मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आज विशेष दुर्घटना के कारण सदन के कई माननीय सदस्य बाहर चले गये हैं और जन लेखा समिति और प्राक्कलन समिति में मतदान करने से वंचित रह जायेंगे। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि चुनाव के लिये आज का २ बजे का समय कल २ बजे तक निश्चित कर लिया जाय, तो जो लोग दुर्घटना के कारण चले गये हैं वे भी मतदान कर सकें।

श्री हरिदेव जोशी (घाटोल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इनसे सहमत हूँ और निवेदन करता हूँ कि समय बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि चुनाव का समय कल २ बजे तक बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

राजस्थान न्यायालय शुल्क तथा वाद-मूल्य निर्धारण विधेयक, १९६०

(अग्रेतर खण्डशः विचार–विमर्श)

श्री भैरोंसिंह : मैंने कल ही कह दिया था जो कुछ कहना था।

Page No 33

श्री उपाध्यक्ष : thank yov very much.

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : उस पर मुझे बोलना है।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस खण्ड पर अभी विचार हो रहा है उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रस्ट के अंदर कोई भी व्यक्ति दान करता है, ट्रस्ट हो रहा है या उसके सम्बन्ध में दावा हो कि मैं ट्रस्टी हूँ तो कोर्ट फीस ली जायगी, इसमें ऐसा बताया गया है। मेरा यह निवेदन है कि कई मामलों में ट्रस्ट होते हैं। आमतौर से धार्मिक या सामाजिक या मानव उपयोगी दृष्टिकोण से ट्रस्ट होते हैं। जितने भी ट्रस्ट हैं वे करीब करीब सभी एक उद्देश्य से होते है, किसी एक व्यक्ति के लाभ के लिये नहीं होते हैं। लेकिन कॉम्युनिटी के इन्टरेस्ट के लिये या किसी विशेष वर्ग के हित के लिये या विशेष स्थिति में लोगों को लाभ पहुँचाने के लिये या बेनिफिशिरीज को लाभ देने के लिये ट्रस्ट क्रिएट करते हैं। अब यदि इन ट्रस्टस में किन्हीं व्यक्तियों की वजह से या और किसी वजह से धांधली होती है और कोई उसके विरुद्ध दावा प्रस्तुत करता है तो उसको इस बात के लिये मजबूर करेंगे कि कोर्ट फीस दे। दरअसल में उसका कोई पर्सनल इन्ट्रेस्ट नहीं है वे ट्रस्ट के सदस्य बनना चाहते हैं वे निजी स्वार्थ या लाभ के लिये नहीं बनना चाहते हैं या ट्रस्ट का कार्य ठीक तरह से संचालित नहीं होने की वजह से करते हैं। ऐसी अवस्था में जो कोर्ट फीस की बाधा रखी है वह उपयुक्त नहीं है क्योंकि हमको खुद को ट्रस्ट ठीक प्रकार से चलाने का प्रोत्साहन देना चाहिये। हम आम तौर से देखते हैं कि ये वे ही लोग होते हैं जो ईमानदारी से विचार करते हैं कि ट्रस्ट से अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके, ऐसा विचार करके करते हैं। चाहिये तो यह कि इस प्रकार के लोगों को प्रोत्साहन मिले, लेकिन इसके साथ ही साथ ज्यादा कोर्ट फीस लगाकर रोकना नहीं चाहिये। यह ऐसी चीज है जिस पर सरकार को विचार करना चाहिये और ट्रस्ट के मामले में उदारता पूर्वक विचार करके कोर्ट फीस कम करनी चाहिये।

श्री रामचन्द्र चौधरी (आबकारी व कर मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, इस क्लॉज़ २७ के बारे में अभी तक कोई अमैन्ड-मेंट तो हमारे सामने नहीं है। लेकिन श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने और बाडमेर के माननीय सदस्य ने अभी एक ऐतराज किया है। मैं यह समझता हूँ कि शायद वे कानूनी हेर फेर बतायेंगे लेकिन उन्होंने कोई कानूनी हेर फेर नहीं बतलाई। लेकिन वे दूसरी बहस कर रहे हैं कि गवर्नमैंट ट्रस्ट को कब्जे में ले लेगी, जिसका कोर्ट फीस एक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। इसमें जो कोर्ट फीस मुकर्रर की गई है वह भी कोई ऐसी नहीं है जो एग्ज़ोर्बिटेन्ट हो क्योंकि इसमें लिखा है :

"....fee shall be computed on one-fifth of the market value of the property subject to a maximum fee of rupees two hundred or where the property has not market value, on rupees one thousand."

यदि कोई प्रोपर्टी ऐसी है जिसकी कोई मार्केट वेल्यू नहीं की जा सकती है तब तो १००० रु० कोर्ट फीस के लगेंगे, नहीं तो २०० से ऊपर, चाहे लाख या करोड़ रुपये की भी मालियत है, तो भी २०० से ऊपर कोर्ट

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

फीस नहीं लगेगी। यह एग्ज़ोर्बिटेन्ट नहीं है। इस पर ऐतराज करना चाहिये, ऐसी बात है। इसलिये जैसा यह क्लॉज़ है वैसा ही पास करने के लिये निवेदन करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २७ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २७ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

प्राक्कलन एवं जन-लेखा समितियों में निर्वाचन सम्बन्धी

(पूर्व क्रम से)

श्री उपाध्यक्ष : चुनाव का समय बढ़ाने के बारे में मेरा विश्वास है कि सदन की सम्मति है कि आज सांय ५ बजे तक और कल प्रातः ८ से ११ बजे तक का समय रखा जाय ?

श्री तनसिंह : इसका मतलब यह है कि आज भी कोई चाहे तो वोट दे सकता है और कल भी दे सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष : आज चाहें तो आज दे सकते हैं और कल प्रातः ८ से ११ बजे तक मत दे सकते हैं।

राजस्थान न्यायालय शुल्क तथा वाद मूल्य निर्धारण विधेयक १९६१

(अग्रेतर खण्डशः विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉज़ २८, डा बहादुरसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ेज २८ से ४२ तक विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ेज़ २८ से ४२ तक विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज़ ४३, डॉ० बहादुरसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ेज़ ४३ व ४४ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

(क्लॉज़ेज़ ४३ व ४४ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉज़ ४५ डॉ० बहादुरसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : यह हो जायगा, यों ही निकल जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉज़ेज़ ४६ से ६१

(विराम)

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ेज़ ४६ से ६१ तक विधेयक के अंग बनें ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ेज़ ४६ से ६१ तक विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

(विराम)

क्लॉज़ ६२, डॉ. बहादुरसिंह ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६२ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज ६२ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज ६३, श्री रामचन्द्र ।

(अनुपस्थित)

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६३ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६३ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

Clause 64. Hon'ble ministter.

श्री रामचन्द्र चौधरी (आबकारी तथा कर मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रूल ६४ में, जो अपना क्लॉज़ ६४ है, उसमें जो नियम बनाने हैं कोर्ट फीस के नीचे उनको हाउस में रखने का प्रावधान किया गया है, उसमें यह थोड़ा अमेंडमैंट करना चाहता हूँ । ६४ में आखिरी लाइन में जो लिखा गया है

"Substitute the brackets and letters '(h)' for '(u)' appearing in the sixth line" यह होना चाहिए । यह गलती से छपा है, (यू) की जगह (एच) करना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ ६४ पर मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६३, संशोधित रूप से विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ६४, संशोधित विधेयक रूप से, विनेयक में जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज़ ७०, डॉ. बहादुरसिंह ।

(अनुपस्थित)

क्लॉज़ेज़ ६५ से ७०

(विराम)

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ ६५ से ७० तक विधेयक में अंग रूप से जोड़े जांय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ेज़ ६५ से ७० तक विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

(विराम)

क्लॉजेज़ ७१ से ७३ तक ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ७१ से ७३ तक विधेयक के अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ ७१ से ७३ तक विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

क्लॉज़ ७४ । ओनरेबल मिनिस्टर ।

श्री रामचन्द्र चौधरी (आबकारी व कर मन्त्री) : इसमें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक अमेंडमेंट सजेस्ट करता हूँ ।

Substitute the following for sub clause (2):-

"(2) All rules made under this Act shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the House of the State Legislature, while it is in session, for a period of not less than fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessione and, if, before the expiry of the session which they are so laid or of the session immediately following the House of the State Legislature makes any modification in any of such rules or resolves that any such rule should not be made, such rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of any thing previously done thereunder."

पहले इस रूल में एक महीने का प्रावधान किया गया था, अब इसमें कम से कम १४ दिन असेम्बली की टेबल पर रूल्स को ले डाउन किया जाय। वह एक सेशन में न हो तो दूसरे सक्सेसिव सैशन में किया जाय और १४ दिन से कम नहीं लें, किया जाय, यह प्रावधान किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ ७४ पर मन्त्री महोदय ने प्रस्तुत किया है, उसको स्वीकार किया जांय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ७४, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ७४, संशोधित रूप से, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज़

(विराम)

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ७५ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ७५ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

शिड्यूल १, डॉ. बहादुरसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री भीमसेन।

(अनुपस्थित)

शिड्यूल २, नो।

प्रश्न यह है कि शिड्यूल १ स्वीकार किया जाय....

श्री रामचन्द्र चौधरी (आबकारी मंत्री): शिड्यूल १ है ना ?

श्री उपाध्यक्ष : जी हां। आपका अमेंडमेंट शिड्यूल २ में है। यस, शिड्यूल १, श्री भीमसेन।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : Substitute the following for item (1) and renumber the other items:—

"(1) When the amount of value of the subject matter in dispute does not exceed Rs. 100/-for every five rupees or part thereof......thirty five naye paise.

(ii) When the amount or value exceeds one hundred rupees, for every ten rupees, or part there of upto one thousand rupees...... seventy five naye paise."

उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरा अमेंडमेंट है। इसमें मूव करने की मन्शा यह है कि एग्ज़िस्टिंग जो हमारी कोर्ट फीस है उसमें भी अभी हम साढे सात पर्सेन्ट कोर्ट फीस लेते हैं और हमारा सेन्ट्रल कोर्ट फी एक्ट है उसके मुताबिक साढे सात पर्सेन्ट कोर्ट फी लेने का प्रावधान है! तो इस तरह से १ हजार तक फीस है वह ७५ नये पैसे के हिसाब से ली जाय तो इसमें ठीक होगी और एग्ज़िस्टिंग फी है, उससे एक्सेस नहीं करेंगे। इस मन्शा से अमेंडमेंट मूव किया है। मैं समझता हूं सदन इसको स्वीकार करेगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि शिड्यूल १ पर....

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : वे एक्सेप्ट तो करेंगे।

श्री रामचन्द्र चौधरी (आबकारी मन्त्री) : १८७० से कोर्ट फीस एक्ट लगा हुआ है, तब से है। मैं समझता हूं कि यह मुनासिब है कि इसे मन्जूर किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन शिड्यूल १ पर श्री भीमसेन ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

प्रश्न यह है कि शिड्यूल १, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

शिड्यूल १, संशोधित रूप से, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

श्री उपाध्यक्ष : Schedule 2, Shri Ram Chandra.

(अनुपस्थित)

श्री शिवनाथसिंह।

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस शिड्यूल के आर्टिकल ११ में मेरा नीचे लिखे अनुसार संशोधन है :

"In items (d) and (e) for 'rupee one' in each clause, substitute '50 n. p."

उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय पर मैं अधिक न कह कर इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि आर्टिकल ११ है उसमें कम्प्लेन्ट और एप्लीकेशन देने के लिये कोर्ट फीस मुकर्रर की है, इस वक्त ५० नये पैसे एप्लीकेशन पर है, पर नया कानून पास करने जा रहे हैं उसमें इस पर १) रु० रखा गया है। इसके लिये मेरा निवेदन है कि ५० नये पैसे जो अभी रेट है वही रखी जाय, इसको बढ़ा कर १) रु० नहीं किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : Yes, Hon'ble Minister.

श्री शिवनाथसिंह : मेरे और अमेंडमेंट्स हैं। उन्हें भी एक साथ ही पेश कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष : शिड्यूल २ पर हैं ? Please move them.

श्री शिवनाथसिंह : इसके अलावा आर्टिकल ११ के पार्ट एल. में नीचे लिखे अनुसार मेरा संशोधन है :

"(a) In item (1), part (1) substitute 'five rupees for, every one thousand rupees or part thereof' for 'twenty five rupees.'

(b) In item (1), part (2) substitute 'ten rupees for every one thousand rupees or part thereof over rupees 5,000' for 'one hundred rupees.'

(c) In item (m), part (2) substitute 'Rupaees fifteen for every one thousand rupees over Rs. 5000/- or part thereof for 'one hundred rupees.'

(d) In item (t) substitute Rs. 'ten' for 'fifty rupees.'

उपाध्यक्ष महोदय, आर्टिकल ११ एल. है उसमें "application to set aside an award..." इसके लिये कोर्ट फीस का प्रोविजन रखा है :

"If the value of the subject matter of the award does not exceed Rs. 5,000.-twenty five rupees.

इसके लिये २५) रुपया रखा है। ५ हजार से १० हजार तक १०० रुपया रखा है और १० हजार से ऊपर के लिये २५०)

(श्री शिवनाथसिंह)

रु० रखा है । २५) रुपया रखा है वह ५ हजार तक के लिये रखा है, चाहे चार हजार हों, दो हजार हों, पांच सौ हों, चाहे २०० ही हों उसके लिये २५ रु० कोर्ट फीस के रूप में देना पड़ेगा। मैं इसमें यह चाहता हूँ कि एक हजार पर पांच रुपया रख दिया जाय और इसके बाद आगे के हर एक हजार के अमाउन्ट पर ५ रुपये के हिसाब से कोर्ट फीस बढ़ाते जायं। इससे बिल में जो रखा गया है उसका भी मकसद पूरा हो जायगा और जिनका छोटा अमाउन्ट है उनको रिलीफ मिलता है। मैं समझता हूँ इसके अनुसार करने में मंत्री महोदय को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये।

इसी तरह पार्ट एम में ५ हजार तक १५ रुपया, पांच हजार से १० हजार तक १०० रुपया रखा है। इसके लिये मैंने यह रखा है कि अमाउन्ट के छोटे छोटे टुकड़े करके एक हजार पर छोटी फीस रख दो जाय और फिर आगे के हर एक हजार पर उतनी ही और फीस रख दी जाय। इससे आपका मकसद है वह भी पूरा हो जायगा और छोटे अमाउन्ट वालों को रिलीफ मिल जायगा।

पार्ट डी है उसमें इलेक्शन पिटीशन के लिये ५०) रुपया फीस रखी है। इसके लिये मेरा निवेदन है कि ५० के बजाय १० रुपया रखा जाय। वह है :

"Election petition questioning the election of a person in respect of the office of member of Chairman or Vice Chairman of a local authority."

अब तक इलेक्शन पिटीशन देते आ रहे हैं, उनमें आठ आने का स्टाम्प लगाते हैं। चाहे पार्लियामेंट की इलेक्शन पिटीशन हो या विधान सभा की इलेक्शन पिटीशन हो, ५० रुपये किसी पर नहीं है। तो लोकल बॉडीज के इलेक्शन होंगे चाहे चेअरमैन का इलेक्शन हो, चाहे वाइस चेअरमैन का हो, चाहे किसी सदस्य का इलेक्शन हो, उनके खिलाफ इलेक्शन पिटीशन करने वाले को ५० रुपया देना पड़ेगा। कोई म्युनिसिपैलिटी का मेम्बर इलेक्शन जीत कर आता है तो उसके लिये इलेक्शन पिटीशन करने वाले को ५०) रु० देना पड़ेगा और सिक्योरिटी का अमाउन्ट अलग देना पड़ेगा। सिक्योरिटी का अमाउन्ट तो इलेक्शन पिटीशन स्वीकार हो जाने पर वापिस मिल जाता है, पर यह कोर्ट फीस तो उसे मिलने वाली नहीं है ऐसी सूरत में यह जो ५०) रुपया रखा है यह बहुत ज्यादा है। वैसे इलेक्शन पिटीशन पर बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, अगर बढ़ाना भी चाहते हैं तो १०) रु० रख दी जाय ताकि इलेक्शन पिटीशन करने वाले को दिक्कत न हो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस शिड्यूल के आर्टिकल ११ टी में मेरा अमेंडमेंट इस प्रकार है :

"In Article 11 part (t) substitute "rupee one" for "Rupees fifty"

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी निवेदन किया है इलेक्शन पिटीशन में पंचायतों के, म्युनिसिपैलिटीज़ के इलेक्शन्स के बारे में

(श्री भीमसेन)

पिटीशन्स होते हैं, उसमें ५०) रुपया फीस रखी है वह बहुत ज्यादा है। छोटे छोटे इलेक्शन्स की पिटीशन्स के लिये इस प्रकार ५०) रु० फीस रखना, इसके माने यह हैं कि हम जस्टिस डिनाई करना चाहते हैं, यह एक-तरह से प्रोहीबिटरी फीस लगा रहे हैं । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अभी केवल आठ आना कोर्ट फीस है तो समझ में नहीं आता कि आठ आने की जगह एक दम ५०) रुपया रख रहे हैं इलेक्शन पिटीशन के लिये, छोटी छोटी पंचायतों और म्युनिसिपैलिटीज की इलेक्शन पिटीशन के लिये ५०) रु० कोर्ट फीस रख देंगे तो यह तो एक तरह से जस्टिस डिनाई करना हो जायगा।

लॉ कमीशन ने इस तरह की रिकमन्डेशन की है कि कोर्ट फीस किसी भी स्टेट के लिये सोर्स ऑफ इन्कम नहीं होनी चाहिये। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, यह तो सरकार की ड्यूटी है, न्याय देना सरकार की एक्टिविटी है, सरकार की ड्यूटी है, इसके लिये सरकार इतनी एक्सेसिव कोर्ट फीस लगाती है तो दूसरे रूप में सरकार जस्टिस को डिनाई करना चाहती है। तो लोकल बॉडीज के इलेक्शन के लिये कोर्ट फीस ५०) रुपया रख रहे हैं, अभी आठ आने लगते हैं। वैसे देखा जाय तो बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अगर बढ़ाना ही चाहते हैं तो १) रु० रख सकते हैं। इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है। इसको मंत्री महोदय स्वीकार कर लेंगे तो फीस भी बढ़ जायगी और इलेक्शन को डिनाई करने वाली बात भी नहीं रहेगी। मैं आशा करता हूँ कि इलेक्शन पिटीशन की कोर्ट फीस के बारे में मैंने संशोधन रखा है उसे मन्त्री महोदय स्वीकार करने का कष्ट करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : Yes, Hon'ble Minister.

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय उपाध्यक्ष, इस शिड्यूल में कई नये आइटम्स लगाये गये हैं और सब नये आइटम्स में जो कोर्ट फीस लगाई है वह काफी लगाई है।

पहले तो आर्टिकल ३ सब आर्टिकल (४)........

"Memorandum of appeal from an order inclusive of an order determining any question under section 47 or section 144 of the Code of Civil Procedure, 1908 and not otherwise provided for when present to the State Government in pursuance of a statutory right to appeal for which no court is leviable under any other enact-feliment."

अब सेक्शन ४७ और १४४ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की हैं। मेरा तो ख्याल है ४७ सेक्शन रिव्यू की है, १४४ का अच्छी तरह ध्यान नहीं तो यह जो ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट का रिव्यू करे उसके लिए ५) रु० रखी है। माननीय उपाध्यक्ष, रिव्यू में देखा जाय तो जजमेंट देने वाली ऑथोरिटी स्वयं अपने ही इनीशियेटिव पर रिव्यू कर सकती है। रिव्यू में तो स्पष्ट रूप से एक चीज देखी जाती है कि जजमेंट में कानून की दृष्टि से कोई खामी तो नहीं रह गई है।

(श्री तनसिंह)

यदि खामी रह जाती है तो जो ऑथोरिटी फैसला देती है, वह खुद रिव्यू हो सकता है। इसमें तो यहां तक भी है कि तीसरी पार्टी भी एप्लाई करे तो रिव्यू हो सकता है। तो जब स्वयं गवर्नमेंट भी रिव्यू करा सकती है तो इसमें कोर्ट फीस लगाना बिल्कुल बेजा चीज होगी। रिव्यू में सिर्फ इतनी ही चीज देखी जाती है कि कहीं कानून की खामी तो नहीं रह गई है जिसके कारण यह फैसला हो रहा है।

तो इसमें सिवाय कानूनी मसले के कोई दूसरे फैक्टर्स पर नहीं जाते हैं। ऐसी हालत में जजमेंट जिस ऑथोरिटी ने पास किया है वह इनहेरेन्टली गलत होता है। इसलिए रिवीजन करनी होती है। उसमें गलती उस आदमी की नहीं होती लेकिन ऑथोरिटी की गलती होती है जिसने ठीक प्रकार से कानून के अनुसार फैसला नहीं किया। गलती तो ऑथोरिटी की है और उस गलती को ठीक कराने के लिये अगर कोई व्यक्ति दरख्वास्त देता है तो उससे इतनी ज्यादा कोर्ट फीस नहीं ली जानी चाहिये। दरख्वास्त देकर ऑथोरिटी को उसकी गलती को ध्यान में लाया जाता है। वैसे तो उसको इसमें किसी प्रकार की अर्जी देने की जरूरत नहीं। अगर वह गलती ऑथोरिटी के ध्यान में आ जाये तो वह भी उसको ठीक कर सकते हैं। इसलिये मैं यह कहूँगा कि आपने जो इसके लिये ५)रु० का प्रोविजन रखा है वह गलत है।

इसके बाद में आर्टिकल ६ पर है :

"Copy of any revenue or judical proceeding or order not otherwise provided for by this Act or copy of any account, statement, report, or the like taken out of any court or office of any public officer for every document——seventy five naye paise."

इसका मतलब उपाध्यक्ष महोदय, यह हुआ है कि राजस्व कोर्ट में जुडिशियल के अतिरिक्त नकल लेने के अन्दर यह प्रावधान है उसके अलावा और लेना चाहता है तो उसको ७५ नये पैसे और देने होंगे। मैं यह निवेदन करूंगा कि ऐसे बहुत से डॉक्युमेंट्स हैं जो पब्लिक डॉक्युमेंट हैं और जिनकी नकल लेने की आवश्यकता रहती है, इसलिये ७५ नये पैसे उन पर लगाना न्यायोचित नहीं होगा।

इसके अलावा आपका यहां पर आर्टिकल १० है वह नया है। इसमें फिर भी यह सोचा जाता है कि जब कोई रीजनल ऑथोरिटी के पास कोई याचिका या ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी के पास या उसके सेक्रेट्री या चेयरमैन को पेश की जाय तो २॥) रु० दिये जाते हैं। ये नये नये आइटम हैं। जिसको ज्यादा फायदा हो उसको तो २॥ रु० देने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ऐसी चीज़ है जिसमें कानूनन गलती रह गई हो उसको ठीक करने के लिए कोई प्रार्थना-पत्र पेश करे तो उसके लिए इतनी फीस लगाना वाजिब नहीं होगा। इसके अलावा और भी नये नये आर्टिकल्स हैं। जैसे फोरेस्ट ऑफिस का है उसमें भी आपने ५) रु० रखा है। ये सारे ४ या ५ आइटम्स नये हैं। इन सब को दुबारा देने की आवश्यकता है। इसको हेपहैजार्ड रूप से पास करना ठीक नहीं होगा। आर्टिकल ११

(श्री तनसिंह)

(ख) में (टी) पर भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इलेक्शन पिटीशन के लिए आपने ५०) रु० की कोर्ट फीस रखी है। अगर कोई किसी स्थानीय सत्ता के सदस्य या चेयरमैन या वाइस चेयरमैन के पद के लिए किसी व्यक्ति के निर्वाचन के सम्बन्ध में आपत्ति उठाई जावे तो उसको ५०) रु० की कोर्ट फीस रखी है यह गलत है। जब हम जमानत के रूप में उनसे जमा कराते हैं ५०) रु० और खर्चा वगैरह निकालने के बाद में जो बचता है वह उसको वापिस मिल जाता है। दूसरी ओर हम ५०) रु० तो कोर्ट फीस के ले लेते हैं, यह मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। हम एसेम्बली और पार्लियामेंट के इलेक्शन्स पर भी जहां तक मेरा ख्याल है कोई कोर्ट फीस नहीं रखते हैं और उधर ग्राम पंचायतों के चेयरमैन आदि के लिए इलेक्शन पिटीशन के लिए यह ५०) रुपये रखते हैं तो यह उचित नहीं होगा।........

श्री भीमसेन (लूणकरणसर): It is not only for the Chairman or the Vice Chairman, but even for a member.

श्री तनसिंह : यानी अगर मेम्बर का किसी का इलेक्शन चैलेंज करे तो उसको भी ५०) रु० देने पड़ते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि इसको डिलीट करना चाहिये। मैं यह कहूँगा कि इसके अलावा भी आपके पास आमदनी के दूसरे कई साधन हैं। कानूनन गल्तियें होने पर ही तो इलेक्शन पिटीशन्स होती हैं। यदि अब यह समझते हैं कि गलती हुई है तो उसको रोकना है। इसको रखने के बजाय दूसरा इलाज हो सकता है जो जो आपने ५०) जमा रखने का प्रावधान है वह ज्यादा बढ़ा सकते हैं। जमानत ज्यादा बढ़ा सकते हैं और जब्त भी कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट फीस इस पर लगाना जनतन्त्र में, मैं समझता हूँ कि उचित नहीं होगा। इसमें सैकड़ों पिटीशन हो सकती हैं और उससे आपको आमदनी अच्छी हो सकती है। लेकिन वास्तव में यह इलेक्शन पिटीशन कोई रिलीफ सीक करने के लिए ही करता है और जब आप इतनी अधिक फीस लगा देंगे तो उनको रिलीफ नहीं मिल सकेगा। मेरे ख्याल से यह ५०)रु० इलेक्शन पिटीशन के लिए कोर्ट फीस के रखे हैं यह ठीक नहीं है। यदि आप इसके लिए फीस रखना ही चाहते हैं तो जैसा बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है कि ज्यादा से ज्यादा एक रुपया रख दें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन करूंगा कि माननीय मन्त्री महोदय इस पर विचार करेंगे और आवश्यक कदम उठावेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : You would like to compensate what you have not moved......

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुसूची २ में कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। जहां कि तलाक के बारे में आपने जो २०) रु० रखे हैं वे ज्यादा हैं और मैं इसमें निवेदन करूंगा....

एक माननीय सदस्य : इससे केसेज कम होंगे।

डॉ० बहादुरसिंह : आप मुसलमानों की हालत नहीं जानते। उनकी हालत ठीक

Page No 43

(डॉ० बहादुरसिंह)

मालूम नहीं है। आपको उनकी हालत मालूम नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : ज्यादा तलाक नहीं होने देंगे ।

डॉ० बहादुरसिंह : यह सही है ।

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर-सु०) : इनके धौलपुर में अधिक होते हैं ।

डॉ० बहादुरसिंह : आप तो कहीं के ही नहीं हैं, आपको क्या कहें ? धौलपुर से हट गये ।

श्री हरिप्रसाद यादव : हमारे बडेरे तो धौलपुर के थे । मेरे बाप-दादे आपके पड़ोस में रहते थे । मैं उदयपुर में रहता हूँ । आप इस हाउस में बैठ कर XXX करते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद यादव, आपको ऐसे शब्द प्रयोग नहीं करने चाहिये । आपने डॉ० बहादुरसिंह के लिये जिन शब्दों का उपयोग किया है उन शब्दों को प्रोसीडिंग्ज से निकाल दिया जावे ।

श्री हरिप्रसाद यादव : कल मेरे साथ भी XXX के शब्द को काम में लिया था, उसको आपने वापिस क्यों नहीं लेने की व्यवस्था दी....

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !!

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्य-विवरण में से निकाले गये ।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं इतना निवेदन करूंगा कि हमारे कई सामाजिक मामले हैं उनमें बहुत कम खर्च रखना चाहिये और इसी भावना से हमें यहां पर भी रखना चाहिये । एक व्यक्ति को तलाक देने चाहिये, चाहे मुसलमान हो चाहे पारसी हो, स्पेशल मैरेज एक्ट है उसमें चीज रखी है। मैं समझता हूँ कि वास्तव में देखा जावे तो तथ्य यह है कि मुसलमानों में शादी में विशेष ज्यादा खर्चा नहीं होता है । वहां पर दो, ढाई रुपयों में काम हो सकता है । हमारे यहां से सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिये बहुत सस्ता रखा जाता है । अगर कोई कोर्ट की शरण लेना चाहे तो उसको २०) देने होते हैं यह उचित नहीं होगा । इसमें अगर इतनी कोर्ट फीस रहेगी तो मैं यह निवेदन करूंगा कि उन लोगों को बहुत हार्डशिप रहेगी । इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अगर कोई इस संबन्ध में याचिका प्रस्तुत करे तो इतनी फीस होनी चाहिये जो हर व्यक्ति साधारण तौर से दे सके ।

दूसरी बात जो पिटीशन के बारे में है, इसके लिये मैं यह निवेदन करूंगा कि यह कहा जा सकता है कि ज्यादा फीस रखने से पिटीशनें कम होंगी । लेकिन फिर भी यदि किसी जगह पर निर्वाचन में अन्याय या अव्यवस्था या इन्जस्टिस होगा तो उसको करेक्ट करने की जरूरत है । म्युनिसिपैलिटी और पंचायतों में इतनी ज्यादा फीस नहीं होनी चाहिये । अगर विधान सभा या लोक सभा में ज्यादा फीस हो तो कोई दिक्कत नहीं । हम देखते हैं कि म्युनिसिपल बोर्ड और लोकल बॉडीज़ में अक्सर गड़बड़ी हो जाती है । पंचायतों के चुनाव होते हैं उनमें कभी कभी

(डॉ० बहादुरसिंह)

वगैर जानकारी के या फेवरिटिज्म चल जावे, उसको अगर कोई व्यक्ति यह चाहता है कि अदालत में जाकर उससे राहत पाए तो वह कर सकता है। इसलिये मैं समझता हूँ कि यह जो फीस रखी गई है वह बहुत ज्यादा है। माननीय मंत्री परामर्श कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि वे कम कर देंगे, विशेष रूप से तलाक की बात है उसमें भी ध्यान रखेंगे। इसमें २०) की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्री इस पर विचार करेंगे और मैं समझता हूँ कि यह इतनी ज्यादा नहीं रखनी चाहिये, कम रखनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : Hon,ble m!nister-in-charge.

श्री भीमसेन (लूणकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय........

श्री उपाध्यक्ष : You have moved the amendment.

श्री भीमसेन : I am speaking on the schedule as whole.

श्री उपाध्यक्ष : You could have taken that right when you moved you amendments. I am sorry.

श्री रामचन्द्र चौधरी (पृथक राजस्व मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ सदस्यों ने........

श्री उपाध्यक्ष : The Honble Ministe will move his amendments first and then reply.

श्री रामचन्द्र चौधरी : आर्टिकल १० ए (१) में जी. एच होने चाहिये। इसमें एच. आई. लिख दिया गया। क्लेरिकल मिस्टेक है। यहां जी. एच. कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : Then you are now to reply as against the amendnents moved by the honble members.

श्री रामचन्द्र चौधरी : उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ एतरांज उठाये हैं। एक तो उन्होंने अवार्ड पर अमेंडमेन्ट मूव किया है कि २५) के बजाय ५) रुपये होने चाहिये और वह कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : उदयपुर से आने वाले कौनसे माननीय सदस्य ?

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): उदयपुर-शेखावाटी।

श्री रामचन्द्र चौधरी: उनका अमेन्डमेन्ट यह था कि एक हजार के पीछे २५) के बजाय ५) कर दिया जाय। ऐसा है कि एक से पांच हजार तक २५) रखा है और दस हजार तक १००) रखा है। उन्होंने यह कहा कि पांच हजार से ऊपर हो जाय तो १००) हो जाता है। लेकिन लॉ को सिम्पलीफाई करने के लिए यह किया है। लॉ में अलग अलग रेट्स प्रेस्काइब नहीं की जा सकती हैं। सिम्पलीफिकेशन के लिए यह फीस रखी गई है।

जैसा कल मैंने माननीय सदस्यों को बताया था कि मद्रास, यू. पी, मैसूर, आन्ध्र आदि प्रदेशों में कोर्ट फीस एक्ट बने हैं उनका मिलान कर यह कोर्ट फीस रखी

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

गई है। हमारे यहां सबसे कम रखी है। लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि इलेक्शन पिटीशन पर ४००) रखा गया है और लोकल बोडीज़ में चुनाव होंगे तो ५०) रखा गया है। उनके लिए मैं गुजारिश करूं कि दूसरे प्रोविन्सेज में जैसे यू. पी हैं १२५) रखा गया है। बोम्बे में ५०, मद्रास में २५ से १००) रुपया रखा गया है। "Election petition questioning the election of a person in respect of the office of member or Chairman or vice chairman of a local authority." जो अपने यहां है उसके लिए अर्ज करूं कि १२५), ५०), २५) से २००) रु० ये अलग अलग प्रोविन्सेज में रखे गये हैं, मैसूर में १०) रु० से २००) रु० हैं।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : यह जरूर समझा दें कि १०) रु० से २००) रु० कैसे रखे हैं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह समझा देता हूं। अगर मेम्बर की चुनाव पिटीशन है तो १०) और अगर वाइस चेयरमैन की चुनाव की इलेक्शन पिटीशन है तो २५)। कॉरपोरेशन का मेम्बर ५०), चेयरमैन है तो २००)। इस तरह से अलग अलग रखी हैं। अपने यहां ५०) रखा है। मेम्बर्स की राय को देखते हुए मैं मुनासिब समझता हूँ कि कोई अपने यहां भी तरमीम कर दें। मैं यह स्पष्ट कर दूं........

डॉ. बहादुरसिंह : कॉर्पोरेशन की जगह कौंसिल कर दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। कॉर्पोरेशन राजस्थान में हैं ही नहीं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैं तो और ही सजेस्ट कर रहा हूँ। लोकल बोडीज़ के मेंम्बर्स हैं तो १०) चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सरपंच और उप-सरपंच के २५), प्रधान, प्रमुख........

श्री तनसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एतराज यह है कि सरपंच और उप-सरपंच पहले नहीं थे। नये ले रहे हैं। पहले तो वाइस चेयरमैन और चेयरमैन पर ही लगाते थे अब सरपंच और उप-सरपंच को भी इसमें ला रहे हैं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : अमेन्डमेन्ट यह था कि पंचायतों के मेम्बर भी पिटीशन करेंगे तो ५०) लिये जावेंगे।

उपाध्यक्ष : May I Know, whether you have supplied these amendments to the Chair as well ?

अमेन्डमेन्ट मूव कर रहे हैं, इसकी एडवान्स कॉपी आसन को मिली है या नहीं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : It has not been supplied

श्री उपाध्यक्ष : It should be supplied

श्री तनसिंह : यदि सरपंच और उप-सरपंच को लाना चाहते हैं तो डिबेट का मौका मिलना चाहिये। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए तो मन्त्रीजी जाने।

श्री उपाध्यक्ष : Likewise, what about the amendments on the defe-

(श्री उपाध्यक्ष)

rred clauses? उनकी भी कॉपी मिलनी चाहिये, we have not received the amendments to the deferred clauses that the Government wants to move.

श्री रामचन्द्र चौधरी : अभी मैं दे देता हूं।

श्री तनसिंह : वे लावेंगे तो अब कैसे अमेन्डमेन्ट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे ? इम्पोर्टेंट क्लॉज़ेज़ हैं। डेफर्ड हैं, उनके साथ ही ये सर्कुलेट हो जाने पर कल ले लिये जाय।

श्री उपाध्यक्ष : Let us move with the present amendment and then we shall see the position.

श्री रामचन्द्र चौधरी : सदन के माननीय सदस्यों की ज्यादातर यह राय देख कर कि इलेक्शन पिटीशन में कोर्ट फीस कम होनी चाहिये, दूसरी स्टेट्स में भी देखा तो उनके मुताबिक अपने यहां कम कर रहे हैं। उसके लिये अमेन्डमेन्ट सजेस्ट कर रहा हूं।

मेम्बर १०) रु.

चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सरपंच, उप-सरपंच २५) रु.

प्रधान, प्रमुख, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, म्युनिसिपैलिटीज़ क्लास १ व क्लास २ ५०)रु.

श्री तनसिंह : इस अमेन्डमेन्ट के लिये मैं एतराज उठाता हूं, और रूल इसके लिए काम में लाया जाय। पहले डिस्ट्रीब्यूट होकर डिस्कशन का मौका दिया जाय। चेयरमैन वाइस चेयरमैन के लिए तो कोई बात नहीं है। लेकिन सरपंच उप सरपंच के लिए रखते हैं तो फिर वादविवाद का मौका दिया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो फिगर का ही प्रश्न है।

श्री तनसिंह : This is a new item. पहले चेयरमैन वाइस चेयरमैन, लोकल ऑथोरिटी, म्युनिसपैलिटीज़ के सम्बन्ध में ही यह था। लेकिन सरपंच और उप-सरपंच का इसमें नया लॉ ला रहे हैं इसलिए पहले वह डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिये और फिर उस पर बहस का मौका मिलना चाहिये।

श्री रामचन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से माननीय सदस्य को कुछ गलतफहमी है। शिड्यूल दो का क्लॉज़ ११ है उसके सब क्लॉज़ (२) में दिया हुआ है–

"Election petition questioning the election of a person in respect of the office of member or Chairman or Vice Chairman of a local authority........"

लोकल ऑथोरिटीज़ में पंचायतों के चुनाव भी शामिल हैं इसलिये वह तो लागू होगा।

श्री तनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एतराज यह है कि इसमें चेयरमैन, वाइस-चेयरमैन के लिए होता तो कोई एतराज नहीं था लेकिन इसमें आप पंचायतों के पंच-सरपंच भी शामिल करना चाहते हैं, इसमें मुझे एतराज है। मैं इस सम्बन्ध में रूल्स ऑफ बिज़नेस के नियम २६६ के अन्तर्गत एतराज उठाता हूं, जो इस प्रकार है :

(श्री तनसिंह)

"Notice of an amendment to a motion shall be given one day before the day on which the motion is to be considered, unless the Speaker allows the amendment to be moved without such notice." तो मेरा यह निवेदन है कि इसमें यह महत्वपूर्ण अमेन्डमेन्ट करने जा रहे हैं, इसलिए इस पर बहस करने का मौका दिया जाना चाहिये। जब डेफर्ड क्लॉजेज़ को कल ले रहे हैं तो इसको भी कल के लिये डेफर कर दिया जाय।

श्री रामचन्द्र चौधरी : डेफर्ड क्लॉजेज़ भी आज ही लिए जायेंगे।

श्री तनसिंह : हम उस पर अमेन्डमेन्ट देना चाहेंगे, इसलिये एक दिन का समय मिलना चाहिये।

श्री रामचन्द्र चौधरी : राजस्थान जनरल क्लॉजेज़ एक्ट के अन्दर लोकल ऑथोरिटी को इस तरह से डिफाइन किया गया है, वह मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए पढ़ देना चाहता हूं :—

'Local authority shall mean a Municipal Board, Commitee, Corporation or Council, a District Board, a Pachayat or other authority legally entitled to or entrusted by the Government......'

श्री तनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यदि इस प्रकार का जनरल क्लॉजेज़ एक्ट में है तो ये सरपंच, उप-सरपंच का स्पष्टीकरण करने की क्या आवश्यकता है ? जब आप कहते हैं कि लोकल ऑथोरिटी में ग्राम पंचायत आती है then it will come.

आपने लोकल आथोरिटी के बारे में जो पढ़ कर सुनाया उससे तो विलेज पंचायत और ग्राम पंचायत के लिए यह एप्लाई नहीं हो सकता। इसमें जो रखा है मेम्बर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, if there is no Chairman or Vice-Chairman in any Gram Panchayat this Clause will not apply and therefore your amendment is entirely a new amendment and it should be circulated before it is taken up.

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसका जिक्र इसमें इसलिए कर रहे हैं कि मेम्बर की फीस को कम किया है पंच और सरपंच के लिए ज्यादा रखा गया है इसलिए अलग अलग बताना आवश्यक है।

श्री तनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस अमेन्डमेंट का मैंने इसलिए विरोध किया है कि पोजीशन क्लीयर हो जाय। सरकार जिस प्रकार का मतलब लगा रही है चेयरमेन, वाइस चेयरमेन मेम्बर ऑफ लोकल ऑथोरिटी, ग्राम पंचायत, सरपंच, उप-सरपंच को जब इसमें सम्मिलित कर रहे हैं तो हमें इस पर बहस का मौका दिया जाना चाहिये।

दूसरा मेरा निवेदन है कि यह जो अमेन्डमेन्ट मन्त्री महोदय ने प्रस्तुत किया है वह सर्कुलेट नहीं हुआ है, अतः इसको नहीं लिया जाना चाहिये।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : इसमें एक रोज और बढ़ा दिया जाय तो क्या आपत्ति है ?

श्री तनसिंह : इसके अलावा मेरा यह भी निवेदन है कि हमने डैफर्ड क्लॉजेज़ कुछ अलग रख दिये हैं बाकी सब पास कर दिये हैं। वैसी हालत में डेफर्ड क्लॉजेज भी सर्कुलेट होने चाहिये, ताकि हम उनको स्टडी कर सकें। वह अगर नहीं होता है तो समय बढ़ाया जा सकता है, कल एक-दो घन्टा ज्यादा बैठ सकते हैं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने निवेदन किया कानून इसमें साफ है कि जो अमेन्डमेंट लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है वह साफ है। मेम्बर और चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सरपंच, उप-सरपंच शामिल नहीं होते हैं तो इसके लिए मैंने जनरल क्लॉजेज़ एक्ट को पढ़ कर सुनाया था। लोकल ऑथोरिटी में पंचायतें शामिल हैं। जब तक एक फीस रखी थी सब के लिए मेम्बर और चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के लिए तब तक कोई दिक्कत नहीं है और मेम्बर के लिए जब अलग से सुझाव दे रहे हैं उसके लिए दस रुपया रखा है। चेयरमैन, वाइस चेयरमेन के लिए अलग फीस रखी है, प्रमुख के लिए अलग से रखी है।

श्री तनसिंह : I would like to know Sir, what is the exact working of the amendment which he is going to move or he is going to accept ? That we should know first.

श्री उपाध्यक्ष :Yes, this is the amendment:

"Substitute the following for item (t):'Election petition Questioning the election of a person in respect of the office of:—

(i) Member of any local authority Rs. 10/-

(ii) Chairman, Vice Chairman of Municipal Boards, Sarpanch,Up Sarpanch of a village Panchayat -Rs. 25/-

(iii) Pradhan, Up-Pradhan of Panchayat Samiti, Pramukh, Up-Pramukh of Zila Parishad, Chairman, Vice 'Chairman of Municipal Council ....Rs. 50/-"

श्री भीमसेन (लूणकरणसर): राजस्थान में (ए), (बी) और (सी) श्रेणी इस प्रकार के म्युनिसिपल बोर्ड्स हैं नहीं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : एक्ट में केवल म्युनिसिपल बोर्ड और म्युनिसिपल कौन्सिल है।

श्री तनसिंह : यह अमेन्डमेन्ट सर्कुलेट नहीं हुआ है इसलिए रूल्स ऑफ प्रोसीजर के नियम २६६ के अन्तर्गत मैं एतराज उठाता हूं। इम्पोर्टेन्ट अमेन्डमेन्ट है, इसे सर्कुलेट किया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : I do feel this. This is a departmental classification not

Page No 49

(श्री उपाध्यक्ष)

contained in the Act itself. How can they have a bearing ? Your amendment needs amendment. This is a departmental classification with which the Legislature has nothing to do.

श्री रामचन्द्र चौधरी : But for purposes of this Act...

श्री उपाध्यक्ष: But how can you bring it ?

श्री तनसिंह : These amendments should first be got circulated.

श्री उपाध्यक्ष : We can meet after an hour or so if the House consents till then these amendments may be circulated.

श्री तनसिंह : And in that course, if the Hon'ble members like to move the amendments ?

श्री उपाध्यक्ष : Yes, the Chair can relax, in that case.

I think the House agrees to adjourn to meet at two. Till then the amendments put up by the Hon'ble Minister will be circulated amongst the members here, so that we may discuss.

श्री तनसिंह : Amendments on Deferred Clauses also...

श्री उपाध्यक्ष : Yes. They should have been circulated here, till then.

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. १ बजे, म. प. २ बजे तक के लिये स्थगित हुई ।)

(विधान सभा की कार्यवाही पुनः म. प. २ बजे प्रारम्भ हुई)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष पदासीन)

श्री रामचन्द्र चौधरी (पृथक रास्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय,शिड्यूल २ के आर्टिकल (११) में मैं एक अमेंडमेंट मूव करना चाहता हूँ :

"Substitute the following for item (t) :—

"Election petition questioning tne election of a person in respect of the office of–

(i) Member of any local authority– Rs. 10

(ii) Chairman, Vice Chairman of Municipal Boards, Sarpanch, Up-Sarpanch of a Village Panchayat– Rs. 25

(iii) Pradhan, Up-Pradhan of Panchayat Samiti, Pramukh, Up-Pramukh of Zila Parishad, Chairman, Vice Chairman of Municipal Council– Rs. 50"

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा संशोधन है कि शिड्यूल (२) में सरपंच, उप–सरपंच ग्राम पंचायत और (३) में Up-Pradhan of Panchnyat somiti और Up-Pramukh of Zila Parishad डिलीट कर दिये जावें।

माननीय मंत्री महोदय ने आर्टिकल ११ के पार्ट (२) में रखा है, उसमें मेरा जो संशोधन है, वह इसलिये है कि....

श्री उपाध्यक्ष : आपका संशोधन क्या है ?

डॉ० बहादुरसिंह : पार्ट (२) में "Sarpanch and Up Sarpanch of a Village Panchayat"

पार्ट (३) में "Up Pramukh of Zila Parishad" को delete कर दिया जावे।

एक माननीय सदस्य : वे जावेंगे कहां ?

डॉ० बहादुरसिंह : वे पार्ट (१) में जहां Member of any Local Authority रखा है उनके लिये १०) रुपये हैं, उसके साथ रखना चाहिये।

क्योंकि इनके लिये नोमिनेशन की फी नहीं है। जिनके नोमिनेशन में कोई फीस नहीं है उनके लिये इलेक्शन पिटीशन के लिये आप २५) रु० रखते हैं तो मैं समझता हूँ कि यह उचित नहीं होगा। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अगर वे सरपंच, उप–सरपंच, ग्राम पंचायत व उप–प्रधान, पंचायत समिति व उप–प्रमुख जिला परिषद् को पार्ट (२) से निकाल कर पार्ट (१) में रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। यह मेरा वर्बल अमेंडमेंट है।

श्री तनसिंह (बाडमेर): यह अमेंडमेंट हमें एक मिनट पहले मिला और इतने थोड़े से समय में यह पोसीबल नहीं है कि हम अपना कोई अमेंडमेंट दे सकें। इतने थोड़े समय में अमेंडमेंट देना मुश्किल है।

श्री उपाध्यक्ष : That concession I have given that the amendment even though orally made will be entertained.

श्री तनसिंह : (डॉ० बहादुरसिंह से) आपने क्या अमेंडमेंट दिया है ?

डॉ० बहादुरसिंह : मैं फिर दोहराता हूँ :

"In item No. (i), after the words 'local authority' the words 'Sarpanch, Upsarpanch of a Village Panchayat, and Up-Pramukh of Zila Parishad' may be inserted, and these words may be deleted from items (ii) and (iii)." इसी तरह से कर दिया जावे।

श्री तनसिंह (बाडमेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अमेन्डमेंट माननीय प्रभारी मन्त्रीजी ने रखा है उससे स्थिति यह हो जाती है कि लोकल ऑथोरिटीज़ का कोई मेम्बर, विलेज पंचायत का कोई पंच, पंचायत समिति का, जिला परिषद् का कोई मेम्बर, किसी भी मेम्बर के लिए दस रुपया कोर्ट फीस रखी गई है। अलग अलग तरीके से अलग अलग फीस रखी गई है और डिफ्रेन्शियेट

(श्री तनसिंह)

किया है चेयरमैन वाइस चेयरमैन म्युनिसिपल बोर्ड, सरपंच, उप-सरपंच इनके लिए २५) रखा है, प्रधान, उप-प्रधान पंचायत समिति के, प्रमुख, उप-प्रमुख जिला परिषद् के, चेयरमैन, वाइस-चेयरमैन म्युनिपिल कौंसिल के उनके लिए रखा है ५०) । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण अन्तर है इन सबके अन्दर। वह यह है कि 'member of Local Authority' वह किसी प्रकार हटाया नहीं जा सकता है सिवाय इलेक्शन पिटीशन के । चेयरमैन, वाइस चेयरमैन म्युनिसिपल बोर्ड के, प्रधान, उप-प्रधान पंचायत समिति के, प्रमुख, उप-प्रमुख जिला परिषद् के, उनको हटाने के दूसरे रास्ते भी हैं। मान लीजिये, एक आदमी ने पिटीशन कर दी, दुबारा इलेक्शन हुआ, उसमें अन्तर कुछ नहीं पड़ने का है। जब कभी चुना जावेगा मेम्बर की मेजोरिटी से ही चुना जावेगा। जब मेजोरिटी से चुनेगा तो पिटीशन्स डिस्करेज होंगी । सरकार भी नहीं चाहती है कि पिटीशन्स अधिक हों। दो तीन महीने अदालत में कौन जावे ? एक आदमी को निकाल दिया, पिटीशन मन्जूर भी हो गई तो कोई अन्तर पड़ने वाला नहीं है। यदि वह आदमी और किसी पार्टी का आदमी जीतना चाहता है तो भी मेजोरिटी होनी चाहिये और मेजोरिटी है तो लॉ के अन्दर जिस ढंग से प्रेस्क्राइब है वह हो जायगा और पिटीशन की जरूरत नहीं होगी। इसलिए यह सब सुपरफ्लुयस है आपका।

इसके सिवाय उप-सरपंच, सरपंच को साथ नहीं मिलाया जा सकता है। उप-सरपंच का चुनाव पंचों से होता है और सरपंच को हटाने के लिए ३।४ की मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। उस सूरत में सरपंच और उप-सरपंच के लिए २५) रखा गया है वह वास्तव में बहुत ज्यादा है। दरअसल देखा जाय, पिटीशन होगी, लोग रिसोर्ट करेंगे वे सब members of Local Authority है उप-सरपंच उनके सिवाय पिटीशन होगी। वह हाई कोर्ट फीस होने पर नहीं हो सकती। लोकल ऑथोरिटीज़ को हटाने के लिए, सरपंच को हटाने के लिए पिटीशन हो। यह जो फरेन्शियेट किया गया है कि मेम्बर के लिए १०), सरपंच, उप-सरपंच के लिए २५) रु०, मेरा निवेदन है कि डिफरेन्शियेट करने की जरूरत नहीं है। कारण यह है कि इसमें एक और चीज़ रहेगी। न्याय पंचायतें हैं। उनके इलेक्शन पिटीशन्स को तो आपने छोड़ ही दिया है। न्याय पंचायतों में पंच को, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन को हटाने के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा है। लोकल ऑथोरिटीज़ में १०) मेम्बर के लिए रखा है और जो मेम्बर लोकल ऑथोरिटीज़ में हैं, शामिल होंगे उसमें ही ये सारी की सारी पंचायत के इलेक्शन के खिलाफ पिटीशन्स होगी। यदि इसको अलग अलग रखा जाय तो मेम्बर की १०) हो गई, सरपंच की २५) हो गई। इस प्रकार ३५) वसूल हो गया। उप-सरपंच के लिए फिर २५) अलग हो गया। इलेक्शन पिटीशन होती है तो पूरा का पूरा इलेक्शन चेलेन्ज होगा। फिर क्या कोर्ट फीस होगी, यह इसमें नहीं है। मान लीजिये कि पंच के लिए १० और उप–सरपंच के लिए २५) हो गया। ग्राम पंचायतों के इलेक्शन को ही चेलेन्ज करे तो उसके लिए अलग होना चाहिये, म्युनिसि–पैलिटीज़ के लिए अलग होना चाहिये ।

(श्री तनसिंह)

डिफरेन्शियेट करने का जो तरीका अपनाया गया है वह कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं है। लोग डिफरेन्ट इन्टरप्रटेशन करेंगे। मैं समझता हूँ कि कोई इलेक्शन हुई तो अलग अलग मिला कर कोर्ट फीस मांगी जावेगी और रिजेक्ट होंगे नहीं कानून तो ऐसा बनाना चाहिये जो समझ में आ सकता हो, सामान्य आदमी भी उसको समझ सके। आर्टिकल ११ को देखा है, इसमें अमेन्डमेन्ट किया है वह ठीक ढंग का और वैज्ञानिक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें क्लॉज़ २४ और ९ भी आ गये हैं। इसको थोड़ा और कोई बोलें जब तक मैं स्टडी कर लूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष: What is the position of Nyaya Panchayatt? I think it has been embodied here.

श्री रामचन्द्र चौधरी(आबकारी मंत्री): I think so.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: उपाध्यक्ष महोदय, चुनाव जो होते हैं वैसे ही पैसे वालों की इन चुनावों में लड़ने की स्थिति मजबूत होती है, बेईमानी करने को भी स्थिति मजबूत होती है पैसे वालों की और उसके बाद गरीब आदमी जीत जाय तो उसको दिक्क करने की स्थिति मजबूत होती है। पैसे वाले सुप्रीम कोर्ट तक रगड़ सकते हैं। समझ में आ सकती थी सरकार की पॉलिसी यदि पिटीशन सीरियस हो, कोई कर्व करने के लिए रखी जाती तो समझ में आता। पिटीशन के साथ सिक्योरिटी रखी जाती है। उसको बढ़ाया जा सकता है। लेकिन समझ में नहीं आता कि पिटीशन पर इस तरह की कोई फीस लगाना और वह फीस किन पर लगाना, जिसके लिए जैसा कि ऑनरेबल मेम्बर तनसिंहजी ने कहा। एक इलेक्शन दो तरह का है। एक तो एक रिमूव किया जा सकता है मेजोरिटी, माइनोरिटी से और दुबारा वह इलेक्शन होता ही नहीं। जो एम. एल. ए. का इलेक्शन है, कौंसिल के मेम्बर का इलेक्शन है, नो कान्फिडेन्स है, किसी मेम्बर को, उसकी आपकी तो क्या कहूँ, कॉन्स्टीटयुएन्सी से दस्तखत करवा करके उसको हटा दिया जाय ऐसी स्थिति तो पैदा नहीं होती। उप–सरपंच सरपंच इनके लिए इस तरह की फीस रखना, अल्टी-मेटली रोजमर्रा के काम चलते हैं, मैं तो पिटीशन की ही जरूरत नहीं समझता हूँ।

सरकार को क्या अपने ऑफिसरों पर विश्वास नहीं रहा? खुद तो जाकर इलेक्शन करावें और मेम्बर्स लोग कहें कि इलेक्शन नहीं है, यह सरकार के पास इस प्रकार का हथियार है मैं नहीं समझ सकता कि इस प्रकार की हरकत कोई भी अफसर कर सकता हो। जब तक किसी प्रकार की रूकावट किसी अफसर के कार्य में न हो वह अफसर अपने ढंग से काम करेगा। अगर सरकार मजबूत हो तो कोई भी अफसर इस प्रकार की हिम्मत नहीं कर सकता कि चुनाव में आये कौन और डिक्लेयर किसी को करें।

मेम्बर को रिमूव करने का सरकार पॉवर रखती है। जहां तक चुनाव में आने का सवाल है, उसके बाद अगर कोई पिटीशन दायर होती है तो उसमें देखने की बात है। नोमीनल फीस आप कपम खाने को ले आये

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

हों तो नोमीनल चीज रख ली जाय। इतना नहीं होता है तो एक बात होनी चाहिये। डाइरेक्ट या इर्रिवोकेबिल इलेक्शन होते हैं उन पर तो पिटीशन होनी चाहिये और यदि चुनाव के ऊपर पिटीशन रखी जाती है तो उसकी फीस नोमीनल होनी चाहिये। दो हजार विलेजेज हैं। एक पिटीशन कहीं होती है तो उसको लिटीगेशन में हम ले जाते हैं। जो चुन कर आते हैं उनके लिये एक चर्चा चल पड़ती है। मेरा इसमें सुझाव यह था कि आज अगर इस क्लॉज़ को पोस्टपोन कर दें, कल तक आपस में विचार करके इस सिलसिले में निर्णय ले ले, नहीं तो यह भस्मासुर वाली बात हो रही है। जैसे भस्मासुर को वरदान मिल गया वह जिस किसी पर हाथ रख दे वह भस्म हो जाता था तो उसने महादेवजी को भस्म करना चाहता। तो घबड़ा कर वे इधर उधर जाने लगे तो नारदजी ने किसी तरह से उसको सिखा कर उसका अपना हाथ उसी पर रखवा दिया और वह अपने आप भस्म हो गया। हमारे साथ भी यही हो रहा है हमको ही नचा कर हमारे ही सिर पर हाथ रखवाया जा रहा है। हमी को आपस में लड़ाया जा रहा है....

श्री बिशम्भरनाथ जोशी (बांदीकुई) : You are supposed to be addressing the Chair. Are all these references meant for the Chair then ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : क्या फर्माया आपने ?

श्री बिश्वम्भरनाथ जोशी: You are supposed to be addressing the Chair. Are all these references meant for the Chair then ? I think not.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह आपने जो जवाब दिया है उसकी मैं तारीफ करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : This would better be directed against the hon'ble member who has just spoken.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं आपकी मार्फत सरकार से अपील करूंगा इस तरह की बात है जब फीस हमने लागू कर दी वह हमीं से लेंगे। इस तरह से मैं जानता हूँ यह फीस किसी दूसरे के खातिर नहीं लगाते हैं। भारत सरकार ने पार्लियामेन्ट के लिये जो चुनाव याचिका करने का है उस पर किसी प्रकार की फीस नहीं देनी पड़ती है। अपने यहां की असेम्बली का चुनाव है उसमें किसी प्रकार की फीस नहीं होती। तो जो लोकल चुनाव हैं जिनके चुनाव की हम जिम्मेदारी लेते हैं उन पर फीस लेते हैं। एम० पी० के लिये जमानत हो जाने के बाद पिटीशन हो जाती है। लिये सरकार के जुडिशियल अधिकारी बैठे हैं वे पिटीशन का झगड़ा तय करें। इसलिये मेरा तो यह निवेदन है कि इस प्रकार की फीस लगाना एक प्रकार से गलत तरीका होगा। अगर लगानी ही है तो वह नोमीनल होनी चाहिये। कोई आदमी म्युनिसिपल कमेटी का चेयरमैन या वाइस-चेयरमैन चुना जाता है। वाइस-चेयरमैन और चेयरमैन के लिये है नो कॉन्फीडेन्स का मोशन लाकर उसको हटाया जा सकता है और दूसरी प्रकार के जो चुनाव हैं वहां रिमूव करने के पॉवर वहां के लोगों के पास हैं। वे हटा सकते हैं। वहां पर भी यदि पिटीशन लागू कर देंगे तो क्या होगा कि वह

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

भी सब-जुडिस हो गया। उस पर विचार नहीं कर सकते उस पर स्टे आगाये और स्टे आने के बाद वह बराबर बैठा रहेगा ? इन सब झंझटों के बावजूद भी वह बैठा रहेगा ! इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इस पर दुबारा विचार करने की जरूरत है। भारत सरकार के इलेक्शन कमीशन ने कभी इस प्रकार की जब फीस के बारे में नहीं सोचा, आपने जो सोचा है उसके लिये मुबारिकबाद देता हूँ। आप जब फीस का ले आये हैं तो नोमीनल फीस रख दीजिये। इससे गरीब आदमी को बहुत दिक्कत होगी और बडे और पूंजीपति लोग इससे फायदा उठायेंगे। इसलिये यह जो दिक्कत है उसको जरा साफ कर दें तो तबीयत ठीक रहेगी।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टैक्स रूपी भस्मासुर से बचने के लिये नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : भस्मासुर टैक्स है, यह मैंने नहीं कहा।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : आपने जिस प्रकार से कहा कि सरकार जो टैक्स बढ़ा रही है वह भस्मासुर की तरह है। इस प्रकार का आपने मार्ग दर्शन दिया है और जिस प्रकार नारदजी ने भस्मासुर को नाट्य सिखाकर उसको अपने ही हाथ से भस्म करा दिया उसी प्रकार यह टैक्स जो भस्मासुर की तरह है अपने ही हाथ से भस्म होने वाला है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह पंचायत और नगरपालिकाओं के सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय ने कोर्ट फीस की व्यवस्था की है लेकिन पंचायत समिति एक्ट को हम देखते हैं तो उसमें इसके साथ ही और व्यवस्था है। यह जो कोर्ट फीस सरकार लेती है उसके साथ प्रधान, उप-प्रधान इलेक्शन के लिये पिटीशन करें तो उसके लिये २५०) रुपये की सिक्योरिटी देनी होगी और उसके बाद ५०) रुपये की कोर्ट फीस देनी होगी। नगरपालिका के सदस्य को चुनाव याचिका प्रस्तुत करनी पड़ती है तो उसके लिये १०० रुपये सिक्योरिटी के देने पड़ते हैं। इस तरह से प्रधान, उप-प्रधान और मेम्बर के लिये यह कितना भारी पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति जो चुनाव लड़ता है, प्रधान के लिये फॉर्म भरता है उसके लिये कोई सिक्योरिटी नहीं, उसको चुनाव लड़ने पर कोई फीस नहीं। अगर हम विधान सभा का चुनाव देखें वहां फॉर्म भरने पर २५०) रुपया लेते हैं पार्लियामेन्ट के लिये ५००) रुपया लेते हैं वहां पर पिटीशन के लिये कोई फीस नहीं। अगर कोई पिटीशन करता है तो २५०) रुपये सिक्योरिटी और ५०) रुपये कोर्ट फीस के दे। विधान सभा के लिये कोई पिटीशन करता है तो वह मंहगी नहीं, उससे भी अधिक महंगी चुनाव याचिका इसमें हो रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें सरकारी कर्मचारियों का भी हाथ हो सकता है जिनको गड़बड़ियों के कारण चुनाव याचिका करनी पड़ती है। सरकार ने देखा कि चुनाव याचिकायें बहुत सी आ गई हैं, उनसे कमाई किस प्रकार से कर सकते हैं, तो सरकार ने यह उपाय निकाला। किसी आदमी को लाभ होना होता है, किसी आदमी का रुपया डूबता है,

Page No 55

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

किसी को जायदाद मिलती है तो वैसी हालत में कोर्ट फीस लगाई जाती है, यह दूसरी बात है । लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी अधिकारियों के कारण, उनकी गल्ती के कारण कोई फैसला होता है और उसके लिये चुनाव याचिका होती है और किसी आदमी के साथ अन्याय होता है तो उसके लिये चुनाव याचिका करता है उस पर फीस ली जाती है, वह वाजिब नहीं है । चुनाव लड़ने का और चुनाव याचिका प्रस्तुत करने का हमारा मूलभूत अधिकार है । यह फीस लगा कर चुनाव याचिका से कमाने का नया तरीका निकाला जा रहा है, यह किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं कहा जा सकता । अगर आप फीस लगाना ही उचित समझते हैं तो वह एक रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिये सरकार ने पिटीशन के लिये ५०, २५ और १० रुपया रखा है वह किसी प्रकार से भी जायज नहीं है । इसमें केवल एक रुपये की दरखास्त रख कर ही चुनाव पिटीशन फाइल हो सकती है, इस प्रकार प्रावधान किया जाना चाहिये ।

ज्यादातर उपाध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट में जितने मामले हुए हैं उनमें अधिकतर चुनाव सम्बन्धी हुए हैं और वे सारे सरकारी अधिकारियों की गलतियों के कारण से हुए हैं। रतनगढ़, कोटा आदि के मामले हैं हमारे सामने । हर मामले में सरकारी अधिकारियों को गलतियों के कारण चुनाव याचिकायें हुई हैं । तो जिस चुनाव प्रणाली में हमने जनतन्त्र के सिद्धान्त पर सब को अधिकार दिये हैं, गरीब–अमीर सब इसमें भाग ले सकते हैं वहां इस प्रकार का आर्थिक प्रतिबन्ध लगाना किसी प्रकार से न्याय संगत नहीं कहा जा सकता । इसलिये इस संशोधित रूप को स्वीकार नहीं किया जावे । हां, एक रुपया, दो रुपया आप चाहें तो भले ही रख दें । इससे अधिक नहीं ।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : जब हमने डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन को लागू किया है और उसमें चाहते हैं कि अच्छे आदमी चाहे पैसा उसके पास न भी हो तो भी आवे तो फिर हमें फीस बहुत कम रखनी चाहिये । इसलिये मैं एक संशोधन इस आशय का रख रहा हूँ । पहले आइटम में दस के बजाय पांच रख दिया जावे,

श्री उपाध्यक्ष : Are you moving an amendment or is it just a suggestion to the Hon'ble Minister ?

श्री सोहनलाल भटनागर : आपने इजाजत दी थी कि संशोधन रख सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष yes.

श्री सोहनलाल भटनागर : चेयरमैन, वाइस चेयरमैन....

श्री उपाध्यक्ष : I have the amendment now.

श्री सोहनलाल भटनागर : अगर अमेंडमेंट आ गया है तो ठीक है । इससे न सरकार को नुकसान होने वाला है और न दूसरे गरीब लोगों को ।

श्री तनसिंह (बाडमेर) : सरपंच को पहलेवाले में दाखिल कर दें ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : इलेक्शन पिटीशन की फीस बिल्कुल न रखी जावे क्योंकि हमारे राज्य ने सबसे पहले विकेन्द्रीकरण की शुरुआत की है और जहां विकेन्द्रीकरण की शुरुआत हो जाती है तो यह मानना पड़ेगा कि नीचे से लेकर आखिर तक एक जनतन्त्र प्रणाली चला रहे हैं । उसमें चुनाव ही एक ऐसा शस्त्र है जिसके जरिये आदमी अपनी सही सेवा जनता को देता है और गरीब से गरीब आदमी भी अगर सेवाभावी है तो आ सकता है । अब आप एक तरफ ऐसे सेवाभावी आदमियों की जिनके पास पैसा नहीं है उनको भी आगे लाना चाहते हैं, जनतान्त्रिक प्रणाली के जरिये और विकेन्द्रीकरण के जरिये और उस विकेन्द्रीकरण का आप सारे देश में ढोल पीट रहे हैं कि राजस्थान ही एक प्रान्त है जिसने सबसे पहले यह काम किया और इसमें हमने अपने राज्य की ख्याति भी प्राप्त की । परन्तु अब जिस चीज को आपने खड़ा किया उस ढांचे में इस प्रकार की असुविधाएं पैदा करने जा रहे हैं कि जिससे लोगों को नीचे से ऊपर तक हर इलेक्शन में पिटीशन करने पर फीस पर फीस देनी पड़े । नतीजा इसका यह होगा कि जो व्यक्ति यह चाहता है कि किसी बात को लेकर न्याय के दरवाजे पर जाना है और वह छोटे से छोटे गांव का गरीब आदमी है, जो बिना पैसे के भी अपनी सेवा के बल पर आम गांव के लोगों का समर्थन पा लेता है तो उसको भी अगर पिटीशन के लिये फीस देनी पड़े तो यह ठीक नहीं है ।

कहा गया कि अगर फीस नहीं होगी तो कोई भी पिटीशन बार बार करता रहेगा । मैं समझता हूँ, इस दलील में कोई महत्व नहीं । आखिर उसको फीस ही तो नहीं देनी पड़ेगी आपको, इसके अलावा भी अनेक प्रकार की बोदरेशन होगी, वकील के पास जाना होगा, दर्ख्वास्त तैयार करानी होगी, खर्च तो उसको वैसे भी करना ही पड़ेगा । गांव का आदमी ख्वामख्वाह किसी के लिये सिर दर्द पैदा करना कभी नहीं चाहेगा । कोई न कोई कारण और घटना के ही होने पर वह जावेगा । फिर अगर आप इस जन तान्त्रिक ढांचे को सस्ता सफल और अच्छा बनाना चाहते हैं तो ऐसी हालतों में इन मामलों में किसी प्रकार की फीस नहीं होनी चाहिये । जो ढांचा आपने रखा है उसमें जाने का रास्ता आप बिल्कुल खुला रखें, बाधा नहीं बनें किसी तरह की । तो खास कर मैं इलेक्शन पिटीशन के लिये कहता हूँ । इसकी फीस बिल्कुल नहीं रखनी चाहिये, इसको हटा देना चाहिये । हमें पैसे का रास्ता नहीं अख्तियार कर लेना चाहिये कि हर तरह से पैसा ही प्राप्त हो ।

पैसे का रास्ता वहां हो सकता है जहां व्यक्तिगत लाभ हो, व्यक्तिगत झगड़ा हो । अगर इसमें फीस लगाते हैं तो ठीक बात है । प्रोपर्टी के लेने–करने का सवाल हो तो इसमें अगर फीस लगाते हैं तो न्याय संगत हो सकता है । मूलभूत उद्देश्य और विकेन्द्रीकरण की योजना के महत्व की दृष्टि से यह ठीक नहीं है । इसलिये प्रार्थना करूंगा कि इस मामले का क्लॉज़ इसमें से हटा दें ताकि इलेक्शन पिटीशन के मामलों में कोई पैसा न हो ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु.) : हमारी सरकार ने गांव के लोगों को सस्ता न्याय दिलाने के लिये चुनाव कराये थे अभी । यह देख कर गांव के सेवाभावी सीधे सादे गरीब आदमी बड़े बड़े धनपतियों के

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

मुकाबले में सरपंच बनने को खड़े भी हुए पर धन के बल पर लोगों ने उनको वहां भी आगे नहीं आने दिया, मुझे अच्छी तरह याद है

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि आप कोई पंचायत के चुनाव को लेकर भाषण न देने लग जावें। The simple question before the House is, what should be the charges either Rs. 5, 10 or 25 ? We will not make a divergence.

डॉ० बहारदुसिंह (धौंजपुर) : जब तक इलेक्शन पिटीशन का मामला समझ में नहीं आये तब तक दिक्कत है।

श्री उपाध्यक्ष : हाउस ने इत्मिनान से समझा है इस प्रश्न को।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : मैं तो यह समझाना चाहता हूं कि याचिकाएं क्यों करने की जरूरत पड़ती है और किसको करनी पड़ती है। समय थोड़ा है, इसलिये संक्षेप में मैं कहूंगा, ज्यादा कहूंगा भी नहीं। तो मैं यह कहना चाहता था कि एक पंचायत का चुनाव हुआ और एक सेवाभावी गरीब आदमी खड़ा हुआ और गांव की जनता ने उसे खड़ा किया। पर दो सेठों ने २६–२६ हजार रुपया वोटरों को देने में खर्च कर दिया और इस तरह से वह इनके मुकाबले में सरपंच नहीं चुना जा सका। अब वह गांव की जनता का सहयोग लेकर चाहता है कि न्याय प्राप्त करने को ऊपर तक जावे। इसमें होता क्या है, अधिकारी लोग भी जो चुनाव कराने वाले होते हैं धनपतियों को बड़ा समझ कर उनका पक्षपात कर जाते हैं, बड़े आदमियों के साथ उनकी भी सद्भावना रहती है। अब गरीब आदमी बेचारा वैसे भी डरे। बन्दूक से अलग डराया और डर के मारे अपील में खड़ा ही न हो अव्वल तो, और करना भी चाहे कहने और गांव के लोगों के दबाव से तो पैसे के कारण अपील भी न कर सके। तो ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि आप गांव में सस्ते न्याय की जो बात करते हैं यह सारा न्याय आपके इस कदम लेने के कारण पूंजीपतियों के हाथ में जावेगा और वे ही सरपंच बनेंगे। ये गरीब जहां के तहां पड़े रहेंगे, कुचले जाते रहेंगे और आपका यह विकेन्द्रीकरण उनकी बिना मदद के सफल नहीं होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि अपील तो गरीब लोग करते हैं, पैसे वाला तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चला जाये। कोर्ट फी उस पर आप नहीं लगायें। जैसे किसी पंच या सरपंच की २००) रुपये से कम आमदनी है माहवार और जिसकी आमदनी २००) रु० से ज्यादा हो ऐसा पंच या सरपंच अपील करें तो उससे आप फीस ले लें, यानी यह निश्चय कर लिया जाये कि जो अपील करता है अगर वह गरीब है और उसकी आमदनी २००) रुपये माहवार से नीचे है तो उसकी फीस माफ होगी और २००) रुपये माहवार से ज्यादा आमदनी हुई, अगर वह पंच या सरपंच अपील करे तो उससे तो आप ५०) रु० तो क्या ५००) भी ले लें तो हमें एतराज नहीं होगा।

आज गरीबों के बलबूते पर पंचायतों में बैठ जायें और हमारी सरकार चाहती है कि गरीब लोग आगे आयें और अगर यह फीस आपने गरीबों पर लगा दी तो वे आगे नहीं

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

आ सकेंगे । तो मैं कहता हूं कि जिसकी आमदनी कम है उससे फीस नहीं ली जाये और जिसकी आमदनी ज्यादा है तो उसके ५०) रु० तो क्या ५००)कर दीजिए हम विरोध करने वाले नहीं हैं । या फिर आप चाहे जो निश्चित कर दें चाहे १००) रुपये ही कर दें कि १००) रुपये से नीचे की आमदनी वालों से फीस नहीं ली जायेगी और १००) से ज्यादा जिसकी होगी उससे ५०) क्या २५०) फीस ली जाती है, तो हमें एतराज नहीं । तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो चाहता हूं कि इस प्रकार का संशोधन कर दिया जाये ताकि गरीबों के हक में न्याय हो सके । पूंजीपति अपने मकान बनाने के लिए कई कई प्रकार से इसमें घुसना चाहते हैं इसको रोका जाये । इसलिए याचिकाओं और अपीलों पर यह छूट हो जाये कि इतने रुपये से ज्यादा आमदनी जिस पंच सरपंच की है उससे फीस ली जायेगी और जिसकी आमदनी कम हो उससे फीस नहीं ली जायेगी । इन शब्दों के साथ मैं अपने सुझाव रखता हूं ।

श्री **रामचन्द्र चौधरी** (आबकारी मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, कुछ माननीय सदस्यों ने इस तरमीम के बारे में एतराज पेश किया है । मैंने जो तरमीम पेश की है उसकी मंशा यह थी कि माननीय सदस्यों की बहुत ज्यादा राय जो पहले आई उसमें यह था कि उनके ५०) रुपये फीस रखी है वह ज्यादा होगी और उन्हीं बातों को रखते हुए मैंने यह अमेंडमेंट पेश किया है । जैसा मैं पहले निवेदन कर चुका हूं कि इसमें गरीब और अमीर का सवाल पैदा नहीं होता क्योंकि अगर आप बिल्कुल छूट देंगे बिना किसी कोर्ट फी के पिटीशन दायर करने की तो फिर तो बहुत ही फैबुलस पिटीशन्स आपके सामने आयेंगी और यह जो मैंने अमेंडमेंट पेश किया है यह इसको थोड़ा चैक करेगा और दूसरे जो भी जायज़ पिटीशन करेगा उससे कोर्ट फी जितनी चार्ज की जायेगी वह उसको वापिस मिलेगी पिटीशन जीतने पर । इसलिए गरीबों के ऊपर भार पड़ने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

दूसरे अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने इसका कुछ एतराज किया कि आप ही पहली बार पहले मंत्री हैं जो इस तरह की कोर्ट फी लगा रहे हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं, ऐसी बात नहीं है । मैं पहले भी बता चुका हूं कि हिन्दुस्तान में कम से कम ५ प्रदेशों में कोर्ट फी एक्ट बने हैं उनकी तो मेरे पास इत्तला है । जैसा मैंने पहले बताया कि यू० पी० में ऐसे पिटीशन पर १२५) रुपये फीस रखी है, बॉम्बे में ऐसी पिटीशन पर ५०) रुपये फीस रखी है, मद्रास में ऐसे पिटीशन पर २५) रुपये से २००) रुपये तक की कोर्ट फी मुकर्रर की है और आंध्र में ऐसे पिटीशन पर २५) से २००) रुपये की कोर्ट फी रखी है । मद्रास में १०) रुपये से २००) रु० तक ऐसे पिटीशन पर फीस रखी है। तो आपके विचार सुन कर मैंने यह अमेंडमेंट में कोर्ट फी प्रपोज़ की है । वह हिन्दुस्तान में अब तक जितनी भी कोर्ट फी है उनसे कम है । इसलिए मैं नहीं समझता कि इतनी बात होने के बाद अपने यहां कोर्ट फी के ऊपर इतना वाद-विवाद हो । जितनी भी कोर्ट फी अपने यहां प्रपोज़ की गई है जितनी भी कोर्ट फी आज तक पेश हुई हैं उनमें सबसे कम है । इन

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि जैसा इस अमेंडमेंट में आपके सामने पेश किया गया है उस तरह से पारित किया जावे।

बाडमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने सुझाव दिया वह ठीक है क्योंकि पहले तो जो मेम्बर, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन में सब लोकल पिटीशन्स शामिल हो जाती थीं। लेकिन क्योंकि अब हमने अलग से उनकी व्याख्या कर दी। इसलिए चेयरमैन और वाइस चेयरमैन न्याय पंचायत के हैं उनको अमेंडमेंट में और कर दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : "Add the words, 'Chairman of Nyaya Panchayat' at the end of part (ii) of the proposed item (t)".

श्री तनसिंह (बाडमेर): २५) रुपये ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : हां, जैसे दूसरे पंचायतों के लिए पंच और सरपंच के लिए है वही चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ऑफ दी न्याय पंचायत के लिए प्रावधान है।

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन वापिस लेना चाहता हूं।

श्री बिशम्भरनाथ जोशी (बांदीकुई) : Point of information, Sir, what about the members of the Nyaya Panchayat ?

श्री उपाध्यक्ष : They come under the "local authority".

श्री रामचन्द्र चौधरी (पृथक राजस्व मंत्री) : लोकल ऑथोरिटीज में मेम्बर का तो सब जगह एक ही है, चाहे म्युनिसिपैलिटी का हो, चाहे पंचायत का हो।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या न्याय पंचायत लोकल ऑथोरिटीज की डेफीनिशन में आती हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : That is what the Hon'ble Minister has suggested.

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : Is it in the General Clauses Act ?

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : Nyaya Panchayat is not deemed to be included in the term "local authority".

श्री उपाध्यक्ष : Let us see the General Clause Act.

श्री तनसिंह (बाडमेर) : जनरल क्लॉजेज एक्ट जब बना तब तो न्याय पंचायतें बनी हैं इसलिए हो ही नहीं सकता....

श्री रामचन्द्र चौधरी : उसमें पंचायत का जिक्र है।

श्री उपाध्यक्ष : It includes "Panchayat and other authorities legally entitled to..." It covers the position.

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन शिड्यूल पर श्री शिवनाथसिंह ने प्रस्तुत किया उसे वापिस लिए जाने की आज्ञा प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लिए जाने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ।

श्री भीमसेन (लुणकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री भीमसेनजी ने शिड्यूल २ पर रखा है उसे वापिस लिए जाने की आज्ञा प्रदान की जाये।

(मत–दान के पश्चात्)

हां पक्ष जीता।

श्री तनसिंह (बाडमेर) : 'Noes' have it, Sir, उन्होंने १ रुपया रखा है यह बिल्कुल वाजिब चीज है और होना ही चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : Then Division,

(विभाजन घंटी के पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन शिड्युलू दो पर श्री भीमसेन ने प्रस्तुत किया है उसको वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की जाये।

(मतदान के पश्चात्)

हां पक्ष जीता।

श्री तनसिंह : 'Noes' have it, Sir.

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : 'Ayes' have it.

श्री उपाध्यक्ष : संशोधन को वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री तनसिंह : "नोज़हेव इट" चेलेन्ज किया है।

श्री उपाध्यक्ष : I will request the Hon'ble members who are for 'Ayes' to stand in their seats

(कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए)

'Noes' also to rise in their seats

(कुछ अन्य माननीय सदस्य खड़े हुए)

संशोधन वापिस लिये जाने को आज्ञा प्रदान की गई।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह।

डॉ. बहादुरसिंह (धौलपुर) : मेरा इसमें कुछ संशोधन नहीं है। मैंने मूव नहीं किया है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन मिनिस्टर इन्चार्ज ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि शिड्यूल २, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

शिड्यूल २, संशोधित रूप से विधेयक में रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

We now take up Schedule 3 No amendments.

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि शिड्यूल ३ विधेयक का अंग रूप बने ?

(स्वीकृत)

शिड्यूल ३ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

We now take up Schedule 3. No amendments.

प्रश्न यह है कि क्लॉज १, प्रिएम्बिल, शोर्ट टाइटल आदि को स्वीकार किया जाय ?

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : माननीय उपाध्यक्ष, जो डेफर्ड क्लॉजेज़ हैं....

श्री उपाध्यक्ष : I am Sorry.

(विराम)

क्लॉज ६।

श्री रामचन्द्र चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष, कल इस पर बहस हो रही थी कि सेक्शन ६ में शुरू में subject to the provisions of the preceding section जो शब्द है इसको डिलीट कर दिया जाय, क्योंकि इसमें यह मुतरफ्लुअस है।

श्री तनसिंह (बाडमेर) : यह तो इसके सिवाय दूसरे मुद्दे उठाये गये थे, उसका कुछ बताया नहीं, यह पूछा गया था। यह रिडेन्डन्ट सा लगता है Subjie to the provisions of the Preceding section इसके अतिरिक्त यह बात होती है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पर कोर्ट फीस ले रहे हैं। यदि बोन्ड्स वगैरह हैं तो उसका अलग है। वह कोर्ट फीस में नहीं आता है। तो मैं समझता हूँ कि उसका स्पष्टीकरण करते तो ज्यादा अच्छा रहता।

श्री रामचन्द्र चधौरी : इसमें जो डाक्युमेन्टस हैं वह सेक्शन ४ है उसमें वर्डिंग्स हैं उनसे आपको पता चल जायेगा। जैसे मेमोरेण्डम ऑफ अपील है, मेमोरेन्डम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन्स है ये और किस्म के अदालत में पेश होते है और जो प्रोवाइड नहीं किये गये हैं उनका जिक्र है इसमें।

श्री तनसिंह(बाडमेर): यदि यही मन्शा है तो यह हेपीली वर्डेड नहीं हैं। इसलिए नहीं है कि प्लीडिंग्स एण्ड प्लेन्ट के डॉक्युमेन्ट्स को शुमार करते हैं तो कल ही एक माननीय सदस्य ने एतराज उठाया था कि बड़ी गड़बड होती है। डॉक्यूमेन्ट को डिफाइन कर देते हैं तो स्पष्टीकरण हो जाता है। डॉक्यूमेन्टस की डेफिनिशन है नहीं। प्लेन्ट को रिटन स्टेटमेंट और मेमोरेन्डम ऑफ अपील को डॉक्यूमेन्ट्स बताते हैं तो नई डेफिनिशन होगी। शायद दुनिया भर के सब कानूनों से निराला हो। इसमें स्पष्टीकरण होना चाहिए। वर्तमान स्थिति में रहेगा तो इस तरह से स्पष्टीकरण नहीं होगा और इतने कॉम्प्लीकेशन्स नहीं होंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि डॉक्यूमेन्टस के बजाय प्लीडिंग्स रख लें तब बैठ सकता है या डॉक्यूमेन्ट्स रखना चाहते हैं तो डॉक्यूमेन्टस की डेफिनिशन देदें, नहीं तो इस स्थिति में डॉक्यूमेंट से यह मतलब निकाला जा सकता है कि

(श्री तनसिंह)

प्लीडिंग्स से । वह सेन्स जैसा कि अभी बताया Documents relate to section मैं तो समझता हूँ कि हो सकता है । किसी न किसी रूप से क्लासिफाई किये बिना डॉक्यूमेन्टस का स्पष्ट रूप नहीं हो सकता ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष, मैं माननीय सदस्य की बहस से किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा कि क्या चाहते हैं उसमें, क्योंकि क्लॉज़ ४ में लेवी का और पब्लिक ऑफिस का किया हुआ है । इसमें दिया हुआ है :

"4. Levy of fee in courts and public offices-no document which is chargeable with fee under this Act shall,

(1) be filed, exhibited or recorded in or be acted on or furnished by any Court including the High Court, or

(ii) be filed, exhibited or recorded in any public office, or be acted on or furnish by any public officer."

इस तरह से इस क्लॉज़ ४ में क्लियर किया है और 'डॉक्यूमेंट' जिसका कि आप जिक्र कर रहे हैं उसका मैंने बताया कि मेमोरेन्डम ऑफ अपील है, यह डॉक्यूमेंट है या जितनी भी सर्टीफाइड कॉपीज़ पेश होती हैं वह डॉक्यूमेंट होता है । दूसरे डॉक्यूमेंट जो इस तरह से पेश किये हैं वे 'डॉक्यूमेंट है । क्रोस ऑब्जेक्शन्स हैं वे भी डॉक्यूमेंट्स हैं । ये सब डॉक्यूमेंट्स की तारीफ में आते हैं । उन पर जो कोर्ट फीस वाजिब हो दो चीजों में विभक्त होती हैं, दोनों चीजों को डिफाइन किया जा चुका है कि जो डाइरेक्ट कोर्ट फीस होती है वह लगेगी । यह तो आज भी उनका उसूल है ।

श्री तनसिंह : आज तक रिटन स्टेटमेंट पर कोई चार्ज नहीं होता था । जवाबदावे पर भी आज तक लगाया जाता है हमने नहीं सुना उस पर भी लगा रहे हैं तो मालूम नहीं कि प्लीडिंग्स और डाक्यूमेंट डिफरेंस कर सकते हैं....

श्री उपाध्यक्ष: Document has no where been defined. I is a general wide term.

श्री तनसिंह : तो ठीक है, If it relates to section 4, तो क्लासिफाई कर देना चाहिये पहले मन्त्री महोदय ने बताया था कि ऐसे ऐसे को भी शामिल करते हैं, रिटन स्टेटमेंट को शामिल करते हैं, प्लीडिंग्स को शामिल कर रहे हैं यह कैसे बैठेगा ? मेमोरेन्डम ऑफ अपील की अलग कोर्ट फीस है, प्लेन्ट होगा उसको अलग कोर्ट फीस है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : कोर्ट फीस प्रेस्काइब की हुई है जहां २ जितनी २ है ।

श्री तनसिंह : आपकी मर्जी, जैसा करना चाहे करें ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : दोनों में फाइल होता है....

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ९ पर जो संशोधन मिनिस्टर इन्चार्ज ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ६, संशोधित रूप से, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज़ २४

श्री रामचन्द्र चौधरी : माननीय उपाध्यक्षजी, क्लॉज़ २४ में एक अमेन्डमेंट मूव करता हूँ: " Substitute the figure '25' for the figure '26' appearing in second line." यह जो सेक्शन २६ है उसमें २६ के बजाय २५ होना चाहिये, गलती से २६ लिखा गया है ।

यह फॉर्मल अमेन्डमेन्ट है और इसके आगे कल कई माननीय सदस्यों ने एतराज किया था कि यदि महज़ एक डिक्लेरेटरी सूट है, जिसमें कोई कॉन्सीक्वेन्शियल रिलीफ नहीं मांगा गया है तो यदि इसको डी. में इन्क्ल्यूड करें तो दूसरों से ज्यादा पैसे बनते हैं २० रु. के बजाय २५) रु. रखे हैं । उनके एतराज को देखते हुए मैं चाहता हूं कि (डी) को (ई) कर दिया जाय और (डी) के स्थान पर नया क्लॉज़ एड कर दिया जाय । जो इस प्रकार है:—

"(d) Where the prayer is for a declaration with reference to any property and no consequential relief is prayed for, fee shall be computed on the market value of the property, subject to a minimum fee of twenty rupees."

माननीय सदस्यों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए यह अमेन्डमेन्ट लाया गया है और जो मिनिमम कोर्ट फीस २५) रु. की रखी गई थी उसके बजाय २०) रु. कर दी गई है । यह फॉर्मल अमेन्डमेंट है ।

श्री तनसिंह (बाड़मेर): माननीय मन्त्रीजी ने यह निवेदन किया कि हमने सदस्यों की इच्छानुसार परिवर्तन किया है, लेकिन मुझे बहुत खेद के साथ निवेदन करना है कि उन्होंने सदस्यों की इच्छानुसार तो नहीं, लेकिन अपनी इच्छानुसार किया है । माननीय सदस्यों ने जो बात कही थी वह और बात थी । पहले जो चीज साफ नहीं थी कि डिक्लेरेटरी सूट्स हैं जिनमें कॉन्सीक्वेन्शियल रिलीफ नहीं मांगा गया है वे किस हैड में पड़ेंगे, इसको उन्होंने क्लेरिफाई कर दिया है । इसका मतलब यह है कि आज डिक्लेरेटरी सूट्स जिनमें कॉन्सीक्वेन्शियल रिलीफ नहीं मांगा गया है उन पर १०) रु. की कोर्ट फीस थी लेकिन अब आपने कर दिया २०) रु. मिनिमम होंगे और मार्केट वेल्यू पर और भी अधिक होंगे । आपने कहा कि पहले २५) था और अब २०) कर दिया है । यह गुमराह करने की बात है । वास्तव में पहले १०) रुपये थे और अब कम से कम २०) रु. कर दिये हैं, २०) रु. तो लगेंगे ही और अगर मार्केट वेल्यू ज्यादा हुई तो और भी ज्यादा लगेगा । २०) रु. तो कम से कम है । आप अगर कोर्ट फीस बढ़ाना चाहते हैं तो रीजनेबल होनी चाहिये । यदि किसी को भूख लगी हो या प्यास लगी हो तो जरूरत से ज्यादा खा लेने या पी लेने

(श्री तनसिंह)

जैसी बात कर दी है। इस तरह से जो कोर्ट फीस एक्ट चल रहा है उस पर हमें आगे जाकर विचार करना पड़ेगा कि क्या कर दिया। आपने केवल दुगुना ही नहीं, कई गुना कर दिया है। यह तो न्याय पर और जस्टिस पर आपने टैक्स कर दिया। अभी जिस पर फीस १०) रुपये हैं उसको आप दुगुनी या तिगुनी कर रहे हैं। फिक्स्ड ५०) कर देते तो भी कोई बात नहीं। अभी ५०) हजार की भी प्रोपर्टी है तो डिक्लेरेशन के सूट पर आज १० रुपये ही होंगे। तो बाद में प्रोपर्टी पर टैक्स लगेगा, एडवेलोरेम लगेगा। यह बहुत ज्यादा लगा दिया है। मैं समझता हूँ, माननीय सदस्यों ने उचित या रीज़नेबल अमेन्डमेंट की मांग की थी उसके बजाय मन्त्रीजी ने बाकी आस्पेक्ट्स तो हटा दिये और डिक्लेरेटरी सूट का स्पष्टीकरण कर दिया और डिक्लेरेटरी पर २०) रुपये लगा दिये और कल जो बहस हो रही थी उसको मटियामेट कर दिया। यदि आप बढ़ाना ही चाहते हैं तो ढंग से बढ़ावें, इतना नहीं बढ़ावें कि हर आदमी पर कहीं आवश्यकता से अधिक बढ़ जावे।

श्री रामचन्द्र चौधरी (आबकारी व कर मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कल भी निवेदन किया था कि ये जो कोर्ट फीस के स्केल निर्धारित किये हैं वे अपने भारतवर्ष के जो दूसरे प्रदेश हैं उनके यहां की कोर्ट फीस को ध्यान में रख कर किये हैं। पहले तो सिलेक्ट कमेटी ने ही काफी कम कर दिया था, उसके बाद जो कल सैक्शन २४ में बहुत से माननीय सदस्यों ने यह जिक्र किया कि सिर्फ डिक्लेरेटरी सूट पर जिसमें कोई कॉन्सीक्वेन्शियल रिलीफ नहीं मांगा गया है उसमें २५) रुपये रहेंगे तो ज्यादा होगा। इसको ध्यान में रख कर जैसे दूसरे मुद्दों में मिनिमम २०) रुपये किये हैं उसी प्रकार से इसमें भी २०) रुपये कर दिये हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं कही कि कल कुछ कहा हो और आज कुछ कहा हो। दूसरे प्रान्तों से भी कम है। इसलिये निवेदन करता हूँ कि जिस रूप में संशोधन पेश किया है उस रूप में इसे स्वीकार करें।

श्री उपाध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह।
(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ २४ पर डॉ० बहादुरसिंह ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ २४ पर मिनिस्टर-इन-चार्ज ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जावे ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २४, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २४ संशोधित रूप से विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया गया।

(विराम)

(३. म. प.)

(श्री उपाध्यक्ष)

क्लॉज़ २५,

डॉ० बहादुरसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री शिवनाथसिंह ।

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २५ के पार्ट (१) में मेरा अमेन्डमेंट है :

"Part (i) be replaced as follows:-

(1) is rupees one thousand or less......rupees ten.

'(1a) exceeds rupees one thousand but does not exceed rupees five thousand for every one thousand rupees or part thereof......rupees ten."

उपाध्यक्ष महोदय, कल जो इस क्लॉज़ पर बहस हो रही थी उस समय माननीय मन्त्रीजी ने यह फर्माया था कि कोई सौ, दो सौ या पांच सौ या हजार-दो हजार की जायदाद पर एडॉप्शन में नहीं जायेगा इसलिये बहुत बड़ी रकम या जायदाद मिलने वाली होती है तब कोई गोद जायेगा, वर्ना कोई नहीं जावेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि तमाम राजस्थान को गंगानगर जैसा नहीं देखें क्योंकि राजस्थान में गंगानगर भी है तो उदयपुर जैसा भी डिस्ट्रिक्ट है जहां आदिवासी, भील वगैरह लोग रहते हैं। एडॉप्शन जायदाद के लिये ही नहीं होता है, बल्कि एडॉप्शन का मामला धार्मिक है। धार्मिक क्रियाओं के लिये लोग गोद लेते हैं और गोद जाते हैं। यदि हम यही देखें कि जायदाद के लिये ही गोद जाते हैं तो ठीक बात नहीं है। यदि थोड़ी देर के लिये यह भी मान लें कि जायदाद के लिये गोद जाते हैं तो भी हम यह नहीं मान सकते कि किसी भी आदमी की जायदाद ५ हजार से कम की नहीं होगी। बहुत से भाई ऐसे हैं जिनके पास मुश्किल से हजार, दो हजार की जायदाद होगी और उनके लड़के नहीं होते हैं तो उनको एडॉप्ट करना पड़ेगा। गरीब आदमियों के गोद नहीं होती है ऐसी बात नहीं है। इसलिये इस क्लॉज़ के पार्ट (१) में मैंने जो अमेन्डमेंट पेश किया है वह इस आशय का है कि यदि किसी के पास एक हजार या कम की जायदाद पर ही सूट हो तो उससे १० रुपये लिये जावें और उसके बाद हर एक हजार पर दस रुपया और ले लिया जावे, ताकि जिसकी वेल्युएशन ५ हजार से कम हो उसको ५०) रुपये नहीं देने पड़ें। अभी जो क्लॉज़ है उसके हिसाब से ५०) रुपये देने पड़ेंगे। मेरी मान्यता है कि इस कोर्ट फीस एक्ट के अलावा दुनिया का कोई ऐसा एक्ट देख लीजिये जिसमें कहीं भी इस तरह से टैक्सेशन का रूप लिया हो क्योंकि मैं कोर्ट फीस को टैक्सेशन इसलिये मानता हूँ कि आप दुनिया में किसी एक्ट को देख लें इतना बड़ा स्लेब कहीं नहीं मिलेगा।

जहां एक रुपये से लेकर पांच हजार रुपये तक और पांच हजार रुपये से लेकर दस हजार रुपये तक का एक स्लेब है, यह मेरे ख्याल से मुश्किल है। इसलिए इतना बड़ा स्लेब न रख कर इसके अलग अलग टुकड़े कर दिये जायं, एक हजार तक या एक हजार से कम का एक स्लेब, एक हजार से पांच

(श्री शिवनाथसिंह)

हजार रुपये तक एक स्लेब, दस रुपये से पांच हजार तक कोर्ट फीस ली जाय। उसके बाद जो कोर्ट फीस रखी है वह ठीक है, क्योंकि जो पांच हजार से ज्यादा की जायदाद का मालिकाना कराना चाहेगा वह सौ रुपये, दो सौ रुपये दे सकता है। इससे नीचे वाले हैं, उनके लिए इससे हार्डशिप होगी, एक ऐसी परिस्थिति पैदा होगी और उनके साथ आप न्याय नहीं करेंगे क्योंकि एक व्यक्ति को पांच हजार रुपये की जायदाद मिलने वाली है उससे भी आप पचास रुपये कोर्ट फीस के लें और जिसको पचास रुपये की जायदाद मिलने वाली है उससे भी आप पचास रुपये कोर्ट फीस के लें, यह वाजिब नहीं है। हम कई ऐसे अडॉप्शन के मामले देखते हैं जिनमें पूरी जायदाद के किसी हिस्से के ऊपर अडॉप्शन का मामला चलता है। कोई आदमी चला जाता है तो उसकी पूरी जायदाद के किसी हिस्से पर झगड़ा चल सकता है। जिस जायदाद के एक हिस्से पर झगड़ा चले उसको भी पचास रुपये देने पड़ेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि पार्ट (१) में मैंने जो संशोधन रखा है वह स्वीकार करने योग्य है और उसे मन्त्री महोदय को स्वीकार कर लेना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : मिनिस्टर-इन-चार्ज।

श्री रामचन्द्र चौधरी (आबकारी व कर मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कल भी निवेदन किया था कि अडोप्शन में जो फीस रखी गई है वह कोई एग्जोर्बिटेन्ट फीस तो नहीं है क्योंकि जो कोर्ट फीस एक्ट दूसरी रियासतों में बने हैं, दूसरे स्टेट के हैं उनको देख कर ही अपने यहां यह अडॉप्ट किया गया है....

श्री तनसिंह (बाडमेर) : यही है इनके पास तो।

श्री रामचन्द्र चौधरी : और कोर्ट फीस इसमें लगाई है वह भी एक माननीय सदस्य ने जैसा बताया कि इसके फ्रेक्शन कर दिये जायें, मैं निवेदन करूं कि इसमें सहूलियत के लिए तीन केटेगरीज़ की गई हैं। पांच हजार तक के अडोप्शन के कैसेज़ हैं उन पर पचास रुपये, पांच हजार से लेकर १० हजार तक के अडॉप्शन के केसेज़ है उन पर सौ रुपये और उससे ऊपर के जितने केसेज़ हैं उन पर पांच सौ रुपये हैं। इस तरह यह अडोप्शन की कोर्ट फीस रखी गई है। अडोप्शन के मामले में मेरी अब भी यहां मान्यता है कि जो कोई भी अडॉप्शन में जाता है उसमें कोई सौ रुपये की, पचास रुपये की जायदाद पर नहीं जाता हो सकता है, उसमें कोई एक्सेप्शन हो, लेकिन एक्सेप्शन के लिए कानून नहीं बनता। एक माननीय सदस्य ने यह बहस कि जिसको बिना कमाया हुआ धन मिलता है अगर वह इतना कोर्ट फीस के रूप में दे तो उसमें बुराई नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं कि जो हमने कोर्ट फीस रखी है कम्पेरेटिवली जो दूसरे स्टेट्स में रखी है उससे ज्यादा कोर्ट फीस नहीं लगाई गई है। साथ ही सहूलियत भी है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा फ्रेक्शन करते जायेंगे, उतनी ही उलझनें पैदा होंगी कानून के रूप में। इसलिए यह जिस रूप में रखा गया है उसी रूप में इसे स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन प्रस्ताव मैंने रखा है उसको वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २५ पर जो संशोधन डॉ० बहादुरसिंह ने प्रस्तुत किया है उसको वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की गई ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथसिंह ।

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन वापिस लेने की इजाजत चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ २५ पर श्री शिवनाथसिंह ने प्रस्तुत किया है उसको वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की जाय....

श्री शिवनाथसिंह : हां ।

श्री उपाध्यक्ष : I have not put it to vote

(विराम)

संशोधन वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की जाय !

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २५ विधेयक का अंग बने ।

स्वीकृत

क्लॉज़ २५ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज़ २६

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २६ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २६ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १, प्रिएम्बल, टाइटल इत्यादि विधेयक के अंग बनें ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १, प्रिएम्बल, टाइटल इत्यादि विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

(विराम)

श्री रामचन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

कोर्ट फीस एण्ड सूट्स वेल्यूएशन बिल, १६६० को पारित किया जाय ।

श्री तनसिंह (बाडमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं रूल ८५ के अनुसार एतराज उठाता हूँ। क्योंकि इस बिल में अमेंडमेंट्स हुए हैं और यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है । वैसे तो आप डिस्कशन इसमें अलाऊ कर सकते हैं मोशन को पास कराने में, लेकिन इन सब क्लॉजेज़ के मुतल्लिक हमें पर्याप्त तैयारी करने का अवसर नहीं मिला है और बहुत से मेम्बर्स हैं जो इधर-उधर चुनाव कार्यों में लगे हुए हैं । यह इतना महत्वपूर्ण कार्य है कि इस पर डिस्कशन ठीक ढंग से हो, इसलिए इसे आज न लेकर कल लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : How does the Hon'ble Minister-in charge of the Bill explain the position ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा पहले निवेदन किया कि इस बिल पर काफी विचार सिलेक्ट कमेटी में हुआ और उसमें छान-बीन होकर यह बिल आपके सामने आया है और इस पर बहुत लोगों ने एतराज नहीं किया है । इसका इस बात से सुबूत मिलता है कि कोई अमेंडमेंट बहुत से माननीय सदस्यों की तरफ से नहीं आये । माननीय सदस्य, जो धौलपुर से आये हैं, ने कुछ अमेंडमेंट रखे थे बाकी किसी ने अमेंडमेंट नहीं रखे, इसलिए मैं ऐसा नहीं समझता कि इतना सारा वादविवाद किया है, अब भी और दिनों के लिए पोस्टपोन किया जाय । मेरा ऐसा ख्याल है कि आज ही इसको पारित करें तो अच्छा होगा ।

श्री उपाध्यक्ष : I then exercise my discretion in favour of the third reading. The Hon'ble members will please proceed with the debate.

श्री तनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय की सरलता और सौजन्य के प्रति....

श्री उपाध्यक्ष : That has impressed the Hon'ble member very much.

श्री तनसिंह : मुझे बड़ी सहानुभूति है, विशेष कर इसलिए कि उनके हाथ ऐसा कानून दे दिया गया जो वास्तव में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है । जो मैं समझता हूँ कि राज्य सत्ता का निर्माण केवल इसलिए नहीं है कि वह व्यापार के द्वारा आदान–प्रदान करके स्वयं धन सम्पत्तिवान बन जाय । सरकार या राज्य–सत्ता की स्थिति इसलिए है कि मनुष्य और मनुष्य के बीच के सम्बन्ध पूर्ण नहीं और वे स्वाभाविक रूप से आपस में झगड़ते हैं । वे एक समाज इसलिए बनाते हैं कि वे अपनी कुछ आवश्यकतायें, कुछ आपस के झगड़ों को समाज के द्वारा पूर्ण कर लें और साथ ही व्यक्ति और समाज के बीच का सम्बन्ध भी पूर्ण नहीं, क्योंकि उसके बीच वह सत्ता नहीं है, वह शक्ति नहीं है जो शासन चला सके, जो मजबूर कर सके और इसलिए न्याय के महत्व और मौलिक आवश्यकता के कारण मनुष्य ने समाज का ही नहीं राज्य सत्ता का भी निर्माण किया । इसलिए राज्य सत्ता का निर्माण, उसका अस्तित्व इस बात का मूलभूत प्रमाण है, उसका मूलभूल कारण है न्याय की

(श्री तनसिंह)

व्यवस्था करना । इसलिए जो राज्य सत्ता न्याय के मूलभूत उत्तरदायित्व को पूर्ण नहीं करना चाहती, न्याय प्रदान करने के मूलभूत कर्त्तव्य का निर्वहन नहीं करती वह राज्य–सत्ता वास्तविक रूप में, जिस रूप में उसका निर्माण किया गया है उसका निर्वहन नहीं कर रही है । मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि राज्य–संस्था की सबसे पहली आवश्यकता है वह मनुष्य और मनुष्य के बीच में न्याय की व्यवस्था करना है । इसके बाद उसका कर्त्तव्य है दूसरे राज्यों से आक्रमण होते हैं और किसी प्रकार के आक्रमण होते हैं उनसे रक्षा करना है । पर राज्य संस्था का सबसे पहला कर्त्तव्य है न्याय की व्यवस्था करना । राज्य चलाने के लिये, राज्य–व्यवस्था चलाने के लिये पैसे की जरूरत रहती है और उसके लिये टैक्स लगाना पड़ता है । पर यह कोर्ट फीस बिल जिस रूप में हमारे सामने आया है यह कोर्ट फीस बिल नहीं कहा जा सकता, यह एक प्रकार का टैक्सेशन बिल है, फाइनेन्स बिल है । जैसे वेजिटेबल घी पर टैक्सेज़ को दुगुना कर दें, एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स को रेक्टिफाई कर दें या एक दम वापिस ले लें उसी तरह आनन–फानन, अन्धाधुन्ध कोर्ट फीस में जो कुछ था उसको बढ़ाने की चेष्टा की है । इसको बढ़ाने में भी कोई सिद्धान्त हो, कोई क्राइटेरिया हो तो बात है, पर सबसे बड़ा क्राइटेरिया, बड़ी से बड़ी दलील मन्त्री महोदय देते हैं वह यह है कि चूंकि दूसरी स्टेट्स में ऐसा हो रहा है, इसलिये हम भी ऐसा कर रहे हैं । तर्क–वितर्क करते समय यदि कोई आदमी यह कहने लग जाय कि चूंकि दूसरा आदमी करता है इसलिये मैं भी ऐसा कर रहा हूँ, दूसरा आदमी हंसता है इसलिये मैं भी हंस रहा हूँ तो कहा जायेगा कि वह बुद्धिहीन है । तो कोई कानून पेश करते समय ऐसी दलील दें कि हम यह यहां इसलिये पास कर रहे हैं कि यह दूसरी स्टेट्स में भी है, तो यह दलील बुद्धि गम्य नहीं, यह कोई सही दलील नहीं ।

मन्त्री महोदय ने कहा कि दूसरी जगह है, मद्रास से मुकाबला किया । मद्रास में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी, उसके चेयरमैन को हटाने के लिये कोई व्यक्ति २५०) रुपया दे, जिसका बजट करोड़ों लाखों पर पहुंचता होगा उसके चैअरमैन को हटाने के लिये २५०) दे दे तो वह ज्यादा नहीं है । उसको आप ग्राम पंचायतों पर लागू कर रहे हैं छोटी छोटी लोकल बॉडीज पर लागू कर रहे हैं । आप कहेंगे कि वहां २५०) हैं, हमने तो १० ही रखे हैं । हमें देखना होगा कि डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन उनके यहां और हमारे यहां हुआ उसमें क्या फर्क है । आपने तो मूलभूत बात पर ही आघात किया है कि इलेक्शन पिटीशन ही नहीं करें ।

(३. २६. म. प.)

(श्री विशम्भरनाथ जोशी, सभापति, पदासीन)

मन्त्री महोदय ने कहा कि जो फ्रिवोलस पिटीशन होंगी वे इससे रुक जायेंगी । मैं कहना चाहता हूँ कि कोर्ट फी कानून का यह सिद्धान्त नहीं होना चाहिये कि किसी चीज को आप प्रोत्साहित करना चाहते हैं या किसी चीज को दबाना चाहते हैं इसलिये यह कानून पास कर रहे हैं । इलेक्शन पिटीशन को डिस्करेज करना चाहते हैं तो रेस्पेक्टिव एक्ट में जो

(श्री तनसिंह)

क्लॉजेज़ इलेक्शन पिटीशन की हैं उनको निकाल दीजिये, "न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी"। पर इसके लिये यह फीस बढ़ा रहे हैं यह किसी प्रकार जस्टीफाई नहीं हो सकतो।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि टैक्स लगाने का एक उसूल होता है। उसके आधार पर विचार किया जाता है कि कौनसी कॉमोडिटीज़ हैं जिन पर टैक्स लगाना चाहिये, कौनसी ऐसी कोमोडिटीज़ हैं जिनको एन्करेज करने के लिये, टैक्सेशन से एग्जेम्प्ट किया जाय ताकि उनका उत्पादन बढे। जिसके पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं, वैज्ञानिक आधार शिला नहीं वह टैक्स लगाना एकदम अनरीजनेबल होगा। मन्त्री महोदय यदि यह चाहते हों कि हमारे खर्च की कमी को पूरा करने के लिये न्यायालयों को बर्डेन्ड करें, न्याय मांगने वालों पर टैक्स लगा कर न्याय मांगने से मना करें तो हम जनता के न्यायसिद्ध अधिकारों पर, मूलभूत अधिकारों पर टैक्स लगा कर कुठाराघात कर रहे हैं।

लेन-देन करने वालों के पास से कुछ रुपया आता है टैक्स के रूप में तो ठीक है, पर इसके लिये दलील दे दी जाय कि चूंकि उसके पास आता है इसलिये उस पर टैक्स लगाते हैं, इस प्रकार की दलील एक राज्य संस्था को नहीं चाहिये। यह दलील तो वह दे सकता है जो दूसरों के माल को हड़पना चाहता है, खाना चाहता है। दूसरे के पास धन है तो वह कोई चोरी किया हुआ नहीं। एडॉप्शन को ही ले लीजिये। यह दलील देना कि चूंकि उसके पास धन आ रहा है। इसलिये क्यों नहीं हम भी ले लें, यह आपकी दलील एक लच्चर दलील और युक्ति से असंगत दलील है। यदि यह कहें कि इलेक्शन पिटीशन को डिस्करेज करना चाहते हैं इसलिये कोर्ट फीस बढ़ा रहे हैं तो यह अच्छा नहीं। यदि यह कहें कि एडॉप्शन से किसी के पास मुफ्त का माल आ रहा है, कुछ दे दे हमें तो क्या हो, तो यह दलील उचित नहीं। यदि किसी के पास मुफ्त का धन आ रहा है तो वह कानून के द्वारा ले रहा है, गैर कानूनी तरीके से नहीं ले रहा है। जो ले रहा है उसको सिद्ध करने के लिये वह आपके पास आता है तो आपको रीजनेबल फीस लेनी चाहिये। डिक्लेरेशन के लिये ५,०००) से ऊपर उसको ५००) रुपया कोर्ट फीस का देना पड़ेगा तो मैं तो समझता हूँ आप अपने आप में स्पष्ट नहीं हैं कि क्या करना चाहते हैं। किसी की गर्दन लम्बी है, इसलिये उसकी गर्दन काट दी जाय, किसी के हाथ लम्बे हैं इसलिये राख में डाल दिये जायं या आग में डाल दिये जाय? जो धन कमाते हैं वे अपने पास धन रखते हैं आप चाहते हैं कि सारा का सारा ही ले लें तो हमारा जीवन ही ले लीजिये, राज्य संस्था ही हमारा भरण-पोषण करती रहे। पर जहां देने का सवाल है आप देने को तैयार नहीं, हमेशा हड़पने, खोसने की बात होती है तो वहां आपकी दलील दूसरी है। तो जिस समय आप कोई चीज दें तो उस समय दूसरी स्टेट्स का मुकाबला करके ज्यादा क्यों नहीं देते?

तो मैं तो समझता हूँ कि जो यह विधेयक हमारे सामने आया है इस पर बहुत गम्भीरता से विचार करना है। माननीय प्रभारी मंत्रीजी ने कहा, इस पर बहुत कम अमेंडमेंट्स आये यह ऐसा इन्नोसेंट बिल है कि किसी को कहना

(श्री तनसिंह)

होता तो अपने अमेंडमेंट दे देता। जिस ढंग से यह बिल आया है मन्त्री महोदय गर्व अनुभव करते हैं कि सीधा सादा बिल है। परिस्थितियां ही ऐसी आई कि अमेंडमेंट नहीं दे सके पर मैं समझता हूँ कि यह बहुत ही कन्ट्रोवर्सियल बिल है, बहुत ही विवादास्पद बिल है, अगर साधारण स्थिति में इस पर बहस होती तो जरूर आठ-दस दिन इसके पास होने में लगते और इस तरह की दलीलें सदन के सामने आतीं कि मन्त्री महोदय को संतुष्ट होना पड़ता। पर दुर्भाग्य की बात है कि कुछ इस प्रकार के कार्यों में सदस्य व्यस्त रहे कि अमेंडमेंट नहीं दे सके। फिर आप स्वयं अमेंडमेंट देने लग गये, कल डेफर्ड क्लॉजेज़ के बारे में कहा था कि विचार करेंगे उन पर भी विचार नहीं किया।

अब माननीय सभापति महोदय, हमारे सामने कोई स्पष्ट मुद्दे नहीं रहते जिस पर हम विवाद करें। लेकिन कुल मिला कर माननीय मंत्री अगर आंकड़े बतावें तो मेरे ख्याल से इससे लाखों रुपयों की आमदनी एक्सचेकर को होगी। आप इससे भले ही संतोष प्राप्त कर लें मगर फिर भी आपके १ अरब २० करोड़ का कर्जा हो रहा है और जिसका ब्याज आप से चुकाया नहीं जा रहा है नहीं चुकाया जा सकेगा। आप यह समझते होंगे कि कोर्ट फीस और दूसरे तरीकों से इस कमी को पूरा कर लेंगे तो आपका यह सोचना गलत है। इसको मैं रीजनेबल नहीं कहता। दूसरे टैक्सेज़ जो आप लगा रहे हैं उसके बाद जो कमी हो रही है और आप इस चीज से पूरा करना चाहते हैं वह पूरा नहीं होगा। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि आप इस व्यवस्था में अपने काले हाथ न करें। कोई भी आपके इस एक्ट का समर्थन नहीं करेगा। वास्तव में जब यह पब्लिक के सामने आएगा तब पब्लिक के लोग इस बात को महसूस करेंगे कि यह लोगों को तकलीफदेह है। अच्छा होता इसको माननीय मंत्री इस पांचवे वर्ष में नहीं पास करते। आगे वे मन्त्री होते या नहीं, जो आते वे जैसा मुनासिब समझते करते। हमारे ऊपर भी यह नहीं रहता कि जाते जाते हमने यह किया। हमारे हाथ भी काले नहीं होते। लोग यह कहेंगे कि जाते जाते उन्होंने ऐसा किया।

टैक्सों के लिये यह कहा जा सकता है और हर आदमी कह सकता है कि टैक्स से विकास योजना में पैसा मिलेगा और कार्य होंगे। लेकिन कोर्ट फीस पर टैक्स बढ़ाना कोई उचित नहीं होगा। मगर माननीय मन्त्री यह समझते हैं कि इसको लगाया ही जाना चाहिये तो मैं यह कहूँगा कि यह राजस्थान की जनता के मूलभूत अधिकारों पर आक्षेप है। मैं माननीय मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वे इस पर विचार करें। मगर माननीय मंत्री महोदय इसको बहुत ही सरलता पर ले रहे हैं, बहुत ही लाइटली ले रहे हैं। इससे क्या असर पड़नेवाला है? मैं समझता हूँ कि उन्हें भी कभी किसी कोर्ट के चंगुल में जाना पड़े तो उन्हें मालूम होगा कि यह कोर्ट फीस कितनी बढ़ी हुई है। जब गांठ से पैसा जाए और निकले तब मालूम हो। जब आपकी गांठ से पैसा नहीं निकलता है तो आपको मालूम नहीं होता।

आज आप पब्लिक की भावना और गरीब आदमी को इससे कितनी दिक्कत होती

(श्री तनसिंह)

है उस दृष्टिकोण से देखें तो आपको मालूम हो सकता है। आप कानून को बनाने की भावना से कह रहे हैं। जब जेब से पैसे देंगे तब आपको मालूम होगा। माननीय मन्त्री नहरी इलाके से आ रहे हैं। वहां पर बहुत टंटे–झगड़े होते हैं। उस इलाके के लोगों को यह महसूस नहीं होता होगा, वे मालदार हैं। इसलिये उनको भी महसूस नहीं हुआ है। लेकिन हमारे यहां के लोग बहुत गरीब हैं और उनकी आमदनी के जरिये हैं वे बहुत ही थोड़े और सीमित हैं। इसलिये वहां पर झगड़े होते रहते हैं और जब झगड़े होते हैं तो कोर्ट फीस इतनी मुंह फाड़े बैठी है कि वे लोग कोर्ट में जावेंगे कहां? इसके लिये आप यह कहेंगे कि इससे लिटिगेशन कम होगा। आप यह क्यों चाहते हैं कि लिटिगेशन कम हो? आपको तो यह चाहिये कि लिटिगेशन जितना आना चाहे आए। आपको चाहिये कि आपकी मशीनरी ठीक ढंग से काम करे और उन लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय मिले। आपको उन्हें सस्ता न्याय देना चाहिये और आप इससे बचना चाहते हैं। अगर यह है तो मैं यह कहूँगा कि यह उचित नहीं है और मैं नहीं समझता कि राज्य-सत्ता का आखिर मतलब क्या है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय मन्त्री इस पर विचार करेंगे और अगर माननीय मन्त्री इस पर विचार नहीं करेंगे तो मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे माननीय मन्त्री पर इसके लिये प्रभाव डालें ताकि वे इस पर अच्छी तरह से विचार करें।

श्री सभापति : श्री दयाकृष्ण विजय।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : सभापति महोदय, हमारे सामने राजस्थान न्यायालय शुल्क तथा वाद मूल्य निर्धारण विधेयक, १९६० तीसरे प्रवचन में चल रहा है। मैं समझता हूँ कि जब यह आम जनता के पास पहुंचेगा तब हमारे राजस्थान की जनता इसको अपने पर एक वज्र प्रहार समझेगी क्योंकि हम समान्यतः विचार करते हैं तो राज्य के तीन प्रकार के काम नजर आते हैं :–

(१) राज्य बाहरी आक्रमण से जनता की रक्षा करे।

(२) समाज की व्यवस्था को बनाये रखने के लिये इस प्रकार की व्यवस्था रखे कि समाज और व्यक्ति के बीच में अच्छे सम्बन्ध हों।

(३) व्यक्ति और व्यक्ति के बीच के सारे सम्बन्ध को सरकार हस्तक्षेप करके समाज की व्यवस्था को ठीक तरह से रखे और किसी प्रकार के झगड़ों का ठीक तरह से निपटारा करना चाहिये।

ये तीन तरीके जुरिस्प्रुडेन्स ने बताये हैं : "Preventive, deterrent and reformative."

इस तरह के चार तरीके हैं जिन पर विचार किया जा सकता है। आप का यह कहना है कि हमने कोर्ट फीस इसलिये बढ़ाई है कि इससे केसेज़ कम होंगे। मैं समझता हूँ कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? जब हम यह कहते हैं कि न्याय सस्ता सुलभ और वाजिब मिलना चाहिये तो मैं समझता हूँ कि सरकार का यह कदम इस सिद्धान्त के विपरीत पड़ता है। आज मुझे याद है और आप सब को याद होगा कि बहुत प्राचीन काल में जो बहुत

(श्री दयाकृष्ण विजय)

बलवान होता था वह दूसरे पर शासन करता था और उसके हाथ में शक्ति होती थी और इससे बचाने के लिये ही ब्रह्मा ने सबसे पहले मनु को राजा बनाया और तभी से न्याय व्यवस्था बनी और राज्य के हाथ में सत्ता आई कि इस प्रकार के शक्तिशाली लोग जो हों वे शक्तिहीन और दुर्बल व्यक्तियों पर अत्याचार न कर सकें इसलिये राज्य उनकी रक्षा करे। यह कर्तव्य राज्य का है। आज से पहले २० वीं सदी में जब हम शक्ति का विचार करते तो उस समय बाहु बल की शक्ति का विचार करते थे। मगर आज हम बाहुबल का विचार नहीं करते बल्कि पैसे की शक्ति का विचार करते हैं। आज जो पैसे वाले लोग हैं गरीबों का शोषण करते हैं अगर वे किसी प्रकार का संरक्षण प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके तरीकों में हम इस प्रकार का अवरोध पैदा कर देते हैं जिसके कारण वे न्याय के दरवाजे पर नहीं पहुंच सकते। तो मैं समझता हूं कि हमारा जो लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय देने का लक्ष्य है वह समाप्त हो जाता है। तरीका यह होगा कि जिसके लिये हम बराबर कहते हैं कि हमारा न्याय सस्ता, सुलभ और निष्पक्ष होना चाहिये, लेकिन जब हम राजस्थान में इस पर विचार करते हैं तो आज ऐसा लगता है कि आज हमारी न्याय व्यवस्था कैसी है ? आज हमारे पर ये चार्जेज़ लगाये जाते हैं कि हमारे यहां पर न्याय बिकता है। इसके अलावा जुडिशियरी और एग्ज़िक्युटिव अलग अलग नहीं होने से कलेक्टर और एस. डी. ओ. के पास बहुत काम होता है और जब कभी मिनिस्टर साहब दौरा करते हैं तो उनके आवागमन में व्यस्त रहते हैं और दूसरी ओर न्याय के लिये आये हुए व्यक्ति अदालतों के दरवाजों पर बैठे बैठे अधिकारियों का इन्तजार करते रहते हैं। इसके अलावा यह भी होता है कि जब कोई वकील हाकिम के सामने बहस करता है तो वे दूसरों से बातें करते रहते हैं, वकील साहब से कहते हैं कि अभी एक मिनट फोन से बात कर लें। इस तरह से एक फोन के बाद दूसरा फोन आता रहता है और वकील लोग वहां पर उनके इन्तजार में खड़े रहते हैं। जिनको बहस करने का अनुभव हो वे जानते हैं। जो वकील लोग वहां पर खड़े रहते हैं वे इस प्रकार से परेशान रहते हैं। हाकिम साहब के सामने कुछ कह नहीं सकते, वकील साहब व फरीक दोनों बड़े परेशान रहते हैं, तारीखों पर तारीखें बदलते जाते हैं और इस तरह से न्याय के नाम पर उनको न्याय नहीं मिलता और उल्टी परेशानी होती है। जो यह सारी स्थिति है उसको हम देखते हैं। इसके बावजूद भी अगर आज कोई व्यक्ति न्याय पाने के लिये पहुँचते हैं तो आपने कोर्ट फीस और स्टाम्प ड्यूटी को बढ़ा कर उनको वहां पर जाने से रोक दिया है। मैं समझता हूँ कि यह जनता के विरोध का कारण है और जनता पर वज्रप्रहार किया गया है। अगर आपको टैक्सेशन में वृद्धि करनी है, यदि आप चाहते हैं कि विकास योजनाओं के लिये येन-केन-प्रकारेण रुपया लाना है और जो कर्जा आपने लिया हैं उसका ब्याज चुकाने की जरूरत है। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि इसके लिये न्याय विभाग उपयुक्त नहीं है। आज की जो स्थिति हैं और जो लोग बलवानों के अत्याचार के खिलाफ न्याय मांगना चाहते हैं उनके विरोध में होगा और वे लोग जो न्याय के दरवाजे पर पहुँचते हैं वह न्याय का दरवाजा उनके लिये बन्द हो

(श्री दयाकृष्ण विजय)

जाएगा और न आपका वह पैसा स्टाम्प ड्यूटी और कोर्ट फीस से पूरा हो सकेगा।

यह तरीका बिल्कुल गलत है। वह समाज विरोधी तरीका है। यदि इसके जरिये जनता से पैसा लेना चाहते हैं, एक्सचेकर को बढ़ाना चाहते हैं, कोई समाज इसका स्वागत नहीं कर सकता है और जब यह एक्ट बन कर जनता के सामने आवेगा तो जनता अपना करम ठोकने के अलावा कुछ नहीं कर सकेगी। जो व्यक्ति न्याय प्राप्त करने के लिए न्याय के दरवाजे पर पहुँच सकता था, उस न्याय के दरवाजे को भी आपने बन्द कर दिया।

आज राजस्थान की ओर निगाह डालें तो ऐसा लगता है कि जनता की क्या हालत है? बड़ी मुश्किल से मध्यम श्रेणी के व्यक्ति जो कुछ कमा पाते हैं और उसको जरा जरासी बातों के लिए टैक्स के रूप में सरकार को चुकाना पड़ता है, उसकी जेब सन्ध्या को खाली हो जाती है। आप इसको विकास का युग कहते हैं, आप कहते हैं कि जनता के जीवन-स्तर को बढ़ा दिया है, वह कागजों में जरूर बढ़ा है, जनता का जीवन-स्तर वास्तव में बढ़ा नहीं है, जीवन स्तर बढ़ाने की कल्पना करने वाला व्यक्ति चुपचाप घर पर बैठ कर आंसू बहाया करता है और आज जनता के मध्यम श्रेणी के व्यक्तियों के लिए यह बड़ी दुर्लभ चीज़ हो गई है। आपने स्टाम्प ड्यूटी, कोर्ट फीस बढ़ाई। इस प्रकार आपने पैसे की वृद्धि की। आप कहेंगे कि उसके लिए तर्क दिया है। दूसरे प्रोविन्सेज़ में भी ऐसा हो रहा है। आखिर दूसरे प्रोविन्सेज़ में सरकार किसकी है? केन्द्र द्वारा ही गाइड होती हैं। सारा का सारा झगड़ा एक पार्टी का है, एक व्यक्ति द्वारा देश के नक्शे को घुमाया जा रहा है और उस व्यक्ति की महत्वाकांक्षा कहिये, उन महत्वाकांक्षाओं की योजनाओं को पूरा करने के लिए आज गरीब जनता का दोहन किया जा रहा है, उसको परेशानी में डाला जा रहा है। टैक्सेज़ का विरोध करने का मेरा और कोई मकसद नहीं है। वे लोगों से लिये जा सकते हैं, उन लोगों से लिये जा सकते हैं जिनकी वास्तविक तौर पर आय है। इसका आम जनता पर भार पड़ेगा जो पहले से ही अधिक टैक्सों से दबी हुई और कई तरीकों से बड़े २ लोगों के द्वारा पहले से ही दबायी जाती रही है, दबी हुई है और उनका आज भी शोषण किया जा रहा है। यह इस तरह का न्याय देने का प्रस्ताव है जिसका सम्बन्ध गरीब और अमीर दोनों से आता है। इसमें विभाजन नहीं कर सकते। स्टाम्प, कोर्ट फीस इस बात को मद्देनजर रखते हुए होनी चाहिये कि आम जनता पर उसका क्या असर पड़ता है. जमीन को लेकर आसामी और टीनेन्ट के बीच का झगड़ा है, उसको उसके लिए कोर्ट फीस देना पड़ेगा और इन सारी बातों को देखते हुए ऐसा लगता है कि छोटे से छोटा आदमी भी इससे प्रभावित होने वाला है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ हम इस दलील से कि कोष में वृद्धि की आवश्यकता है, योजनाओं को हमको पूरा करना है, योजनाओं से भविष्य में खुशहाली आ जावेगी, भविष्य के सुख के लिए आज की पीढ़ी का गला घोट दें, यह कोई राज्य करने का तरीका नहीं है। विकास करना आवश्यक है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि भविष्य की पीढ़ी के

(श्री दयाकृष्ण विजय)

लिए, उसकी खुशहाली के लिए आज की पीढ़ी का गला ही घोट दें।

(समय–समाप्ति–सूचक घन्टी)

मैं एक मिनिट में ही समाप्त करने वाला हूँ।

राज्य का फर्ज तो यह है कि वर्तमान को सुखमय बनायें और भविष्य में काम अच्छा हो सके। पहले वर्तमान पीढ़ी को हमको सन्तुष्ट करना है और उसको सुखी करना है, उसके लिए सारा कार्य होना चाहिये। सदन और उसके बाहर भी बहुत सारी बहस की जाती है, न्याय मंहगा होता जा रहा है, निष्पक्ष रूप से न्याय नहीं मिल रहा है। मैंने कई बार सदन में यह मांग की कि फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट और मुनसिफ को पंचायत समितियों के केन्द्रों पर रख दिया जाय। न्याय पंचायतों के फैसले होंगे, निगरानियां होंगी। या तो वे फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के पास जावेंगी या मुनसिफ के पास जावेंगी। तो क्यों नहीं आप इनको उन केन्द्रों पर केन्द्रित करते हैं? एक व्यक्ति को न्याय प्राप्त करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। न्याय को सस्ता–सुलभ बनाने की बातें तो बहुत सी सरकारें करती हैं, लेकिन प्रेक्टिकल रूप में बात नहीं करना चाहती। लोगों का कर–भार बढ़ता जावे, उसकी जेब खाली होती जावे, लेकिन इस प्रकार की कोई सहूलियत की व्यवस्था करने के लिए सरकार तैयार नहीं होती। यह बात सरकार को मंजूर नहीं। जो बातें व्यवहारिक हैं, सुलभ हैं उनको करने की सरकार बात नहीं करती। यदि हर पंचायत समिति के केन्द्र पर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या मुन्सिफ रख देते हैं तो उनको न्याय मिलने में कुछ तो सहूलियत मिल सकती है। यदि उनको सुविधा मिले और मिलना चाहिये तो कोई न्याय–संगत बात कही जा सकती थी। इन सारी बातों के बावजूद भी यदि आप कोर्ट फीस बढ़ाते हैं, तो निश्चित रूप से जनता पर भार होगा और जनता उसको बर्दाश्त करने की स्थिति में अधिक नहीं है।

श्री सभापति : श्री मुरलीधर व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): माननीय सभापति महोदय, इस विधेयक पर काफी बहस हुई और कई माननीय सदस्यों ने कई संशोधन भी रखे और संशोधन को स्वीकार न करते हुए मन्त्री महोदय ने बहुत सी दलीलें भी पेश कीं। वे कैसी दलीलें हैं कि अन्य प्रान्तों में भी ऐसी कोर्ट फीस हैं और हमारे यहां बहुत कम है और उसके मुकाबले में कुछ कर रहे हैं, ज्यादा अच्छी हैं।

सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि अन्य प्रान्तों में पुराने कानून, जो अन्य प्रान्तों में लागू हैं और आज जब कि हम हमारे राज्य में कोर्ट फीस एक्ट को अमेन्ड करके संशोधन करते हुए नया कानून बनाने जा रहे हैं, प्रवर समिति को भी यह गया और बन कर आया, तो अब जो हमारा तरीका हो, अन्य प्रान्तों में किस प्रकार की व्यवस्था है और वहां किस प्रकार की कोर्ट फीस है और उसकी तुलना इस राज्य से इस तरीके से की जाय वहां उतनी हैं। इसलिए यहां भी यह होना चाहिये, मैं समझता हूँ

(श्री मुरलीधर व्यास)

यह ठीक नहीं है। हमको अन्य प्रान्तों के पुराने सड़े गले कानूनों को, जो अंग्रेजों के जमाने में बने थे, बाद में भी चलते रहे, आज भी कुछ कहीं उनमें संशोधन हो गये हैं और उसी प्रकार आये हैं, उन पुराने कानूनों को नया क्रान्तिकारी परिवर्तन करने के लिये उनकी तुलना करके नया कानून बनाते हैं तो मैं समझता हूँ कि वह न्याय-संगत नहीं है।

एक तरफ केन्द्रीय सरकार लॉ कमीशन अपोइन्ट करती है, इसलिये करती है कि राज्यों में जो न्याय व्यवस्था है वह आज नये युग में किस प्रकार से हो और सारी व्यवस्था देखने और उन पर विचार करने के बाद उस लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी केन्द्रीय सरकार को। लॉ कमीशन की रिपोर्ट है उसमें कमीशन लिखता है कि किसी भी हालत में किसी भी राज्य को न्याय देने के रास्ते को पैसा कमाने का रास्ता नहीं बनाना चाहिये बल्कि वह सस्ते से सस्ता और सुलभ हो ऐसा रास्ता बनाना चाहिये ताकि साधारण से साधारण आदमी को न्याय अच्छे तरीके से मिले। कमीशन इस प्रकार की रिपोर्ट देता है। एक ओर तो केन्द्रीय सरकार इस तरीके से विचार करती है कि नये रूप में नया परिवर्तन होना चाहिये और ऐसा परिवर्तन होना चाहिये जिससे हर आदमी को साधारण तरीके से, सस्ते तरीके से न्याय मिल सके और हर हालत में किसी भी न्याय के दरवाजे पर जाने के लिये वह पैसा मांगने वाला न्याय का दरवाजा बन जाय, ऐसा हर्गिज भी नहीं होना चाहिये। कोई याचक जाकर मांगता है, मांगने वाला देने वाले के पास जाकर मांगता है, खड़ा होता है, जिसके पास याचक बन कर जाता है वह कहता है, तुझसे मैं मांगता हूँ, तू किससे मांगता है, मुझे दे, मैं तेरे से मांगता हूँ। यहां भी वही सवाल है। भिखारी भिखारी को देने कहां जाय ? भिखारी भिखारी से कहता है कि मुझे दे। राजस्थान सरकार ने भिखारी का रूप बना लिया है, तू न्याय लेने आया है तो पहले न्याय लेना है तो हमको दे। याचक याचक से मांगता है, यह ठीक बात नहीं है। आजादी के बाद मुल्क में न्याय-व्यवस्था में भी नया परिवर्तन होना चाहिये। आजादी के मिलने के वक्त हर व्यक्ति से कहा था कि मुल्क आजाद होगा, विकास होगा और नक्शा ही दूसरा होगा।

(४. म.प)

लोगों को यह आशा थी कि मुल्क के आजाद होने के बाद यहां खुशहाली होगी, सस्ता न्याय होगा, देश के अन्दर से गरीबी दूर होगी। इस प्रकार की बातें की जाती थीं। पुराने ढर्रे को इसलिये बदलाना है। इसलिये लोगों ने कुर्बानियां की थीं। आजादी आयगी हमारा वर्तमान ढांचा बदलेगा, आम लोगों का जीवन-स्तर ऊंचा उठेगा, लेकिन हम यह देख रहे हैं कि लगातार इतने वर्षों से जो कानून बनते आ रहे थे वह आम लोगों की सुविधा के दृष्टिकोण से नहीं, कानून का जंगल इस प्रकार से बढ़ता जा रहा है कि दिमाग का संतुलन खो देते हैं। कानूनी जंगल के अन्दर हम इस तरह से पड़ते जा रहे हैं कि उससे निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। जिस राज्य के अन्दर समाज का दिमाग, जनता

(श्री मुरलीधर व्यास)

का दिमाग, असन्तुलित है वहां कानून का जंगल भी उसी रफ्तार से बढ़ता जाता है । और वे कानून ऐसे बन जाते हैं जो हमें शान्ति नहीं दे सकते वे हमें अंधकार की ओर ले जाते हैं । सही मायने में हम देखते हैं तो जिस तरीके से ये कानून बनते जा रहे हैं उनसे हमें कभी शान्ति मिलने वाली नही । अगर सही मायने मे हम इस बारे में सोचें, नया तरीका, नया दिमाग हमें बनाना पड़ेगा । वह पुराना तरीका बदलना होगा । जहां हमें योजनाओं के लिये पैसे की आवश्यकता है विकास के काम के लिये पैसा प्राप्त करना है, लेकिन यह जो तरीका आप अपना रहे हैं, वह तरीका समय के अनुकूल नहीं है । इसके लिये न्याय संगत तरीका अपनाना होगा। आप जिस प्रकार की कोर्ट फीस लागू करके अपनी आमदनी कर रहे हैं वह तरीका कोई तरीका नहीं है । हम राम राज्य की कल्पना करते हैं ! राम राज्य के अन्दर क्या था ? आप न्याय के मामले में राम राज्य की कल्पना कीजिये....

श्री रावल नरेन्द्रसिंह (दूदू) : आप राम राज्य की शरण में आयेंगे तभी काम होगा ।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं उन बातों में जाना नहीं चाहता कि राम राज्य में क्या होता था । जहांगीर के समय को लीजिये, उस समय किसी को न्याय प्राप्त करना होता था तो वह जाकर घंटा बजाता था । फौरन बादशाह उसको बुलाते थे । उसको न्याय प्रदान करते थे । एक वह भी जमाना था । राम राज्य में कुछ बातें हुई । अच्छी हुई । क्या हुई ? उसमें हम जाना नहीं चाहते । लेकिन आखिर आप भी एक राज्य की कल्पना करके चलते हैं तो उसके लिये आपको कौनसा रास्ता तय करना होगा, यह आपके देखने की बात है । आपने समाजवाद का लक्ष्य बनाया है । आप समाजवाद को स्वीकार करते हैं । तो समाजवाद के आधार पर इन कानूनों को तोलना होगा । आप किसी एक लक्ष्य को पकड़ें । उसको चलाने के लिये आपको कानून बनाते समय सोचना पड़ेगा कि जो कानून बनाने जा रहे हैं वह वाकई हमारे जो मूलभूत उद्देश्य हैं उसकी पूर्ति में वह कहां तक फिट बैठता है ? इस तरह से नहीं सोचते हैं तो मनमानी तरीके से हम कानून बनाते हैं, तो वह ठीक बात नहीं है । इसका एक मात्र उद्देश्य पैसा वसूल करना है । आज से दस साल पहले भी इसी तरह से कानून लाये जाते थे और इसी प्रकार के टैक्स लगाये जाते थे । सन् ४६ में जब राजस्थान बना उस समय से लेकर आज तक टैक्सों की भरमार होने लगी । राज्य में कुछ रुपया जमा था । उस पैसे का दस साल में खात्मा हो गया । इसके अलावा १ अरब रुपया गरीबों से टैक्स के रूप में वसूल किया उसका भी खात्मा हो गया । एक अरब से भी ज्यादा रुपया केन्द्रीय सरकार से लिया वह भी रुपया खर्च कर दिया गया । इस तरह से आज हम कर्जदार बन गये हैं । गाढ़ी कमाई का पैसा लिया उसके लेने के बाद हमने किया क्या ?

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू-सु) : सभापति महोदय कोरम नहीं है ।

श्री सभापति : (श्री सचिव से) Let the quoram bell be Seunded.

(गण–पूरक घंटी)

श्री मुरलीधर व्यास : सभापति महोदय, मैं अर्ज कर रहा था....

श्री सभापति : you may resume your seat.

(गण–पूरक घंटी के पश्चात्)

Yes, please resume and conclude within a minute. You have taken your time.

श्री मुरलीधर व्यास : माननीय सभापति महोदय, जब कभी सरकार द्वारा टैक्स की बातें आती हैं तो उसके लिये दलील यह दी जाती है कि हम आम जनता की भलाई के लिये यह सब कर रहे हैं, उसका विरोध किया जाता है। मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ कि हम इसलिये विरोध करते हैं कि आपको शासन करते हुए दस साल हो गये । आपने इतने अर्से में अरबों रुपया टैक्स के रूप में वसूल किया। उसके बाद भी आप जनता की हालत को सुधार नहीं सके। आज भी जनता उसी बुरी परिस्थिति में है। इतने टैक्स लेने के बाद भी कुछ नहीं किया। इन दस वर्षों में जनता के जीवन–स्तर को ऊंचा उठाने के बारे में हमने क्या कदम उठाया ? आज इन दस वर्षों में भी जनता के जीवन स्तर में कोई परिवर्तन नहीं आया, उल्टा पहले से बिगड़ा है। आज हम देख रहे हैं कि इतना टैक्स देने के बावजूद भी बेकारी एवं भुखमरी की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है । इतने टैक्स लगाकर भी हम बेकारी और भुखमरी से छुटकारा नहीं पा सके हैं । जहां तक इस कोर्ट फीस का मामला है इसके अन्तर्गत अर्ज करना चाहता हूँ कि आपको इस तरीके को बदलना होगा, इसके लिये आपको नई व्यवस्था कायम करनी होगी जिससे नये ढांचे के अन्दर लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय प्राप्त हो सके। आज हम देख रहे हैं, जो याचक के रूप में न्याय की याचना करने जाते हैं वहां पहले यह होता है कि याचक से पहले याचना की जाती है कि इतनी फीस पहले देवो, उसके बाद न्याय मिलेगा। एक याचक जो न्याय की याचना करने जाता है, उससे आप याचक के तौर पर पहले उससे फीस की याचना करते हैं, यह ठीक नहीं है। आपको इस व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिये । आज हमने विकेन्द्रीकरण किया है। हमने उस कानून के अन्तर्गत पंचायतों का न्याय पंचायतों का गठन किया है; यह इसलिये कि जनता को वहीं पर सुलभ और सस्ता न्याय मिल सके। तो वैसी हालत में हम एक तरफ तो इस प्रकार के कदम उठा रहे हैं, हमें उसीके अनुकूल कानून बनाने चाहिये। लेकिन दुःख तो इस बात का है कि पुराने ढांचे पर ही अब तक कानून बनते आ रहे हैं, इसलिये मैं समझता हूँ यह बिल्कुल ठीक नहीं है । इस प्रकार के कायदे–कानून को हमें बदलना चाहिये और मेरा तो यह नम्र निवेदन है कि जब हम कोर्ट फीस जैसे कानून को बनाने जा रहे हैं उस समय इन बातों पर अवश्य सोचा जाना चाहिये।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : चेयरमैन महोदय, मैं एक निवेदन जरूर करूंगा कि ऐसा समय का प्रतिबन्ध लगाया जावे तो यह भी सोचा जावे कि दो घन्टे का समय बीच में विचार करने के लिए भी दिया जा चुका है। तो घण्टे दो घण्टे बाद तक भी ठहर सकते हैं। वास्तव में देखा जावे तो इस मामले पर वातावरण सदन का बड़ा क्षुब्ध है।

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

दुनिया में बराबर यह रहा है। अमेरिका और योरप में भले ही डेमोक्रेसी और राजा शाही भिन्न भिन्न समयों में रही हों, पर भारत में दोनों प्रणालियां साथ साथ चली हैं और फली फूली हैं। जिस समय मगध और दूसरे राजाओं के एक तरफ साम्राज्य थे, तो उसी से लगे हुए उसी काल में शाक्य, यौधेय और मालव वगैरह प्रबल गणतन्त्र भी थे। तो कहने का मेरा अर्थ यह है कि उस समय से लेकर आज तक सभी ने; चाहे राजा हो, चाहे गणतन्त्र हो सबने न्याय को ऊंचा और आदर का स्थान दिया है। पर आज अगर इस न्याय का सन्तुलन और तारतम्य देखा जावे तो प्रत्येक मामले में इस पर प्रतिबन्ध और कुंठा जैसी स्थिति हो रही है। इस पर विचार आवश्यक है। देखा जावे तो आज इन टैक्सों से और इस फीसों से बंधा हुआ न्याय जो है इससे जनता बड़ी क्षुब्ध है। ऐसी स्थिति में मन्त्री महोदय इस मसले पर बार बार सोच कर कोई निर्णय लें और वे न्याय के मामले में यह विचार छोड़ दें कि सो काल्ड डेमोक्रेसी में उनका बहुमत है और उनका नम्बर ज्यादा है। मैं निवेदन कर दूं कि आज जितने भी इधर से और उधर से भी जो माननीय सदस्य हैं सब ने इस बारे में कहा है कि यह चीज ठीक नहीं है। आज भी उनके हृदय में वही विचाराधारा है कि न्याय पर बन्धन नहीं लगाना चाहिये। गई गुजरी गवर्नमेंट ने भी जल, हवा व न्याय को कर मुक्त समझा, पर जब डिसिप्लिन के हिसाब से बोल नहीं रहे हैं पर, इसके वास्ते अगर यह कानून आगे जाकर जनता में जावेगा और सवाल पैदा होगा वहां तो उस समय सब यही विचार करेंगे कि यह इस प्रकार का काला कानून है कि गवर्नमेंट किस प्रकार से इसको संचालित करती है। यह तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत है, या जैसे मच्छ मछलियों को पानी में खा जाता है उस तरह की बात है जो आज पैदा हो रही है।

यहां पहले जो बेनेवेलेन्ट ऑटोक्रेट राज्य थे उन्होंने भी इस तरह से न्याय को बेचा नहीं। आज बेचा भी जा रहा है और महंगा भी बेचा जा रहा है। धौलपुर और झालावाड़ के रहने वाले जो दुःखी हैं उनके वास्ते आज जोधपुर जाकर न्याय पाने के बजाय मेरे ख्याल में विलायत जाना ज्यादा त्वरित रहेगा और जल्दी न्याय पा सकेगा। तो वैसी हालत में तो आज भी त्राहि–त्राहि हो रही है।

श्री सभापति : क्या यह रिलेवेन्ट है सबजेक्ट से।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : रिलेवेन्ट है यह महाराज।

तो इस तरह से न्याय के अन्दर बड़ी बड़ी फीसें लगाने की जो बात की जा रही है यह विचार करने की बात है। इससे जनता को दिक्कतें होंगी, इस बात के वास्ते मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस चीज के वास्ते आइन्दा के वास्ते पांच साल पीछे उठाया जावे तो ज्यादा अच्छा होगा। यह वक्त संक्रमण काल का है, संधि का वक्त है। फिर न्याय को बेच बेचकर पैसा इकट्ठा करना हमारी संस्कृति के भी विरुद्ध है, हमारे नैतिक पतन का यह सवाल है। कहां तो यह बात है, अगर आज यहां संसार के अन्दर महामना गांधीजी होते तो वे जरूर कहते कि इस

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

प्रकार का अन्याय का सवाल रहेगा तो मैं भूख हड़ताल करूंगा और इसके वास्ते न्याय पर रुपया इकट्ठा करने का सवाल होता तो उनकी आत्मा बराबर क्षुब्ध होती और आज भी जहां कहीं स्वर्ग में निवास करती है उनको भी शायद इस बात के वास्ते अफसोस ही रहेगा।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : आप भी भूख हड़ताल करते हैं क्या ?

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : भूख हड़ताल तो वे करते हैं जो बांदे होते हैं।

तो मैं बराबर निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पर पुनर्विचार किया जावे। देखा जावे तो महाराजा भगवान् राम ने जिनके कि हम जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं, उन्होंने न्याय के एक जरा से मामले पर....

श्री सभापति : I think, Bhagwan Ram' never belonged to any party.

श्री नरेन्द्रसिंह : वैसे तो कांग्रेस भी रामराज्य की बात और नारा लगाया करती थी ! पर यह रामराज है या क्या है ? यह तो हिस्ट्री और पोस्टैरिटी बतावेगी । तो मेरा निवेदन है कि एक गरीब धोबी के कहने से अपनी गर्भवती स्त्री को छोड़ दिया और इसके अलावा वन–गमन की व्यवस्था की। मैं निवेदन करूंगा कि ब्रिटिश जस्टिस थी, जिस पर एक दिन उनकी ताकत बनी हुई थी और बराबर राज्य कर रहे थे समुद्रों तक वहां पर भी उसी चीज को आज भी उन्होंने उसी तरह रक्खी। तो आप भी न्याय को अनुसरण रक्खें। जिस समय उस सत्ता ने न्याय को छोड़ दिया तो उस सत्ता के साथ इण्डियन ओसन में सारे पॉवर उनके डूब गये। जनता को सताने का सवाल न्याय के मामले में नेपोलियन के वक्त भी नहीं रहा। इसके अतिरिक्त सीज़र और यहां तक कि हलाकू और चंगेजखां और नादिरशाह और औरंगजेब तक ने भी न्याय के वास्ते उनके विचार में जो सिद्धान्त न्याय का था उसको बराबर रक्खा।

तो मैं अपील करूंगा हमारे, मन्त्री महोदय से ही नहीं, सारे मन्त्रि मण्डल से कि इस बारे में गौर करकेइस चीज को हटाने की कोशिश करें।

अब दूसरे भी बोलने वाले हैं ऐसे मामले में वे भी बोलने की कोशिश करें। तो इस वास्ते मैं सभापति महोदय, आपसे भी निवेदन करूंगा कि सबको बोलने का समय दें।

मुझे डर है, जो आपका न्याय पहले ही मंहगा है और मुझे यह डर है कि इस प्रकार न्याय भी सुलभ नहीं हुआ, तो यह पांचवां वर्ष है आपका, जिस प्रकार मिट्टी का कच्चा घड़ा है, उस प्रकार कच्ची नींव पर राज–सत्ता का, डेमोक्रेसी का महल खड़ा किया है, आपने अगर सही न्याय स्थापित नहीं किया तो कहीं वह फूट न जावे। भगवान् करे वह समय पैदा न न हो और मेरे इस कथन के वास्ते हमारा जो मन्त्रि–मण्डल है वह अफसोस न करे। मेरा यही निवेदन है।

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू-सु) : माननीय सभापतिजी, आज जो बिल पिछले सेशनों से प्रवर समिति में जाकर उसके

(श्री लादूराम सुलाणिया)

पश्चात् आज क्लोज़-बाई क्लोज हमारे सदन में निपट कर उस पर थर्ड रीडिंग चल रही है। उस पर मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने अपने अपने विचार इस पर रखे हैं और उसमें जो उनके लास्ट वर्ड हैं उसमें उन्होंने इस बात की ख्वाहिश की है और इस बात का डर माना है कि अगर न्याय मंहगा मिलेगा और जनता उकता जायेगी तो यह कभी रहने वाला नहीं है।

तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे इतिहास इस बात की साक्षी देता हुआ आया है कि जितना पाप किया जाये उसको रोकें नहीं और वह इसलिए नहीं रोकें कि पाप का घड़ा जब तक नहीं भरेगा वह फूट नहीं सकता है तो पाप का घड़ा भर कर फूटे, इसके लिए विशेष कर इस बात को लायें कि हमारी सरकार टैक्स कम लगाये या जनता को न्याय दे या अन्य प्रकार की सुविधायें जनता को दे, बजाय यह कहने के हम यह कहें कि विशेष उनको प्रोत्साहन दे कि आप ज्यादा टैक्स लगायें और जनता को ज्यादा दुखी बनायें और ज्यादा से ज्यादा पाप बढ़ाया जाये और जब उनका अपने आप अन्त होगा, वह समय आयेगा। माननीय सभापतिजी, आज यह बिल पास होगा हम चाहें इसका कितना ही विरोध करें। और जनता की भलाई के लिए हम इस बात की दुहाई देते आये हैं और देते चले जायेंगे, पर मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि न्याय वहां मिलता है जहां न्याय देने वालों की आत्मा में न्याय हो।

जैसा हमारा पुराना इतिहास बताता है उसके आधार पर मैं, सभापति महोदय, आपके द्वारा सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि न्याय देने में और न्याय लेने में जो अन्तर है वह विशेष अन्तर नहीं है, अन्तर उसमें इतना हीं है सिर्फ विचारनेका और न्याय वह देगा जिसके पास न्याय होगा और जिसके पास न्याय हीं नहीं होगा वह क्या न्याय देगा ? मैं यह निवेदन करूंगा कि जो कोर्ट फी हम बढ़ा रहे हैं और एक तरफ इस बात की दुहाई देते हैं कि हम सस्ता न्याय दे रहे हैं वह सस्ता न्याय और बढ़ती हुई कोर्ट फ़ीस पर विचार करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे माननीय मन्त्री महोदय इस बात को सोच कर बढ़ा रहे हैं हर चीज का मंहगावड़ा हो गया है, हर चीज मंहगी बिकती है, तो क्यों नहीं कोर्ट फी भी मंहगी बिके ? मैं इस बात को मानता हूँ कि सारी चीजों के साथ साथ कोर्ट फी को भी मंहगा करें, यह तो उनकी बुद्धि का नमूना है, कोर्ट फीस बढ़े, पर यह थोड़े ही हो कि एक तरफ तो भाव बढ़ें और दूसरी तरफ सरकार बिज़नेस करे और वह बिज़नेस भी ऐसा करे कि जिसके द्वारा उन लोगों का शोषण हो जिनको न्याय चाहिए। शोषण अवश्य करे पर शोषण उनका करें जिनके पेट भरे हुए हैं और जिस सांठे में ज्यादा रस हो उसका रस निकाला जाये। अगर चूंथरे का रस निकाला जायेगा तो माननीय सभापतिजी वह रस ज्यादा निकलने वाला नहीं है। कोर्ट फीस का ऐसा मामला है कि जो लोग दुखी होते हैं, जिन लोगों को न्याय नहीं मिलता है, जो लोग न्याय के लिए तड़पते हैं और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट के दरवाजे खटखटाते हैं,

(श्री लादूराम सुलाणिया)

यह उनका प्रश्न है । उनके अन्दर से हमारी सरकार रस निकालना चाहे तो उनके अन्दर वह रस कहां हैं। उनकी आत्मायें बद्-दुआयें देने के सिवाय उनकी आत्मा में से और कुछ निकलने वाला नहीं है। आज इस बात की दुहाई देते हैं कि न्याय सस्ता मिलेगा, न्याय धेले सेर मिलेगा, जी चाहे जितना लो और वह धेले सेर न्याय इसलिए मिलता है कि सरकार जनता की सरकार है, चुने हुए लोगों की सरकार है, जनता की रक्षा करने के लिए यहां आये हैं और उनको सस्ता न्याय दिलाने का वायदा करके हम यहां आये हैं, चाहे यहां अपोज़ीशन के हों या ट्रेजरी बेचेन्ज़ के हों, सभी यह कह करके आये हैं कि सस्ता न्याय देंगे क्योंकि हम आपके चुने हुए हैं और वहां जाकर आपके अधिकारों की रक्षा करेंगे। लेकिन माननीय सभापतिजी, इस दरवाजे में घुसने के बाद उधर बैठते ही आत्मा के ऊपर पर्दा पड़ जाता है चाहे वह माननीय सदस्य हों या मन्त्री महोदय हों। मैं यह निवेदन करूंगा कि ट्रेज़री बेन्चेज़ पर बैठने वाले माननीय सदस्य जिसका कड़ा विरोध करते हैं और जनता को न्याय दिलाने के लिए डट कर उसका मुकाबला करते हैं जिस समय मत लिया जाता है तो अपनी नीची गर्दन करके जनता के अधिकारों पर पैर रख कर जिधर मन्त्रीजी मोड़ना चाहते हैं उधर ही मुड़ जाते हैं। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि यह जनता की रक्षा करने का उत्तरदायित्व वे भूल जाते हैं, क्योंकि वे मन्त्रीजी की बागडोर में आ जाते हैं। माननीय मन्त्रीजी का भी इसमें कोई कुसूर नहीं है। मैं यहां तक समझता हूँ कि हमारे मन्त्रीजी चाहे जिधर नहीं चल सकते हैं। उनको भी डर है कि हम जनता का वोट लेकर आये हैं और हरिजनों और गरीबों के वोट लेकर आये हैं जो कि न्याय के लिए तड़पते रहते हैं। पर मजबूरी के साथ माननीय मन्त्री महोदय के ऊपर एक लॉ डिपार्टमेंट बना हुआ है और उसके अलावा और भी ऐसे विभाग हैं जो बना कर मन्त्रीजी के सामने मोहर लगाने के लिए रख देते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे माननीय मन्त्रीजी स्वयं ऐसे बिलों को पास करते हैं जिनको वे स्वयं नहीं समझते कि इसका दुरुपयोग होगा या सदुपयोग होगा।

मैं सभापति महोदय, कहना चाहूँगा कि एक लड़का अपना प्रमाण-पत्र लेना चाहता है और उसके लिए वह किसी मजिस्ट्रेट या कलेक्टर के दरवाजे पर जाता है और वह इतना गरीब है कि वह छात्रवृत्ति लेकर पढ़ता है तो उसको ८ आने की कोर्ट फीस लगानी पड़ेगी, तब जाकर उसको एक प्रमाण-पत्र मिलेगा। यह सस्ते न्याय का नमूना है। इसके अलावा मैं यह निवेदन करूंगा कि एक आदमी अगर साइकल का टिकट बनवाने जाता है तो उसको ५ पैसे का टिकट लगाना पड़ता है म्युनिसिपैलिटी में। इस प्रकार से कहीं भी जाते हैं, पंचायत में जाते हैं जहां कि पंचायतें सस्ता न्याय देती हैं वहां एक दरख्वास्त की रसीद करने के लिए ८ आने लेते हैं। इस पर भी हमारे मन्त्री महोदय और हमारी सरकार का दिल नहीं भरा तो उसके लिए यह सोचा है कि तीसरी योजना के अन्दर धन कहां से इकट्ठा किया जाये और उसके लिए एक टैक्स के रूप में यह भी लगाया जाये कि विशेष कोर्ट फीस ली जाये और भिन्न भिन्न

(श्री लादूराम सुलाखिया)

क्लॉजेज़ बनाये जाते हैं कि इस तरह से उनकी कोर्ट फीस ली जायेगी ।

मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि एक ५० मील से दर्ख्वास्त देने के लिए जयपुर की कोर्ट में आता है या जोधपुर की कोर्ट में जाता है या अन्य जहां पर कोर्ट बना रखी है वहां जाता है और ३ (४) रुपया किराया मोटर का देकर आते हैं और वहां आने के बाद वकील की शरण लेते हैं । माननीय सभापति महोदय, मैं यह बता देना चाहता हूँ कि उसके लिए वकील कहेगा कि बहुत सस्ता मुकदमा लड़ा देंगे और उसके अन्दर जो है तुम हमारे मुवक्किल बन जाओ । उसके बाद उसकी फीस होती है १००) रु० और ५०) रु० इस रूप में लेता है कि कोर्ट फीस बढ़ गई है वह मैं अपनी जेब से नहीं लगाऊंगा, मेहनताना लूंगा, सारी कोर्ट फीस हमारे से लेंगे । माननीय सभापति महोदय, मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि विधान सभा के लगाने के बाद में अदालतों में इस बात की भरमार हो जायगी । टैक्सेज़ के नाम पर गरीब जनता से इतना पैसा वसूल कर लिया जायेगा कि वापिस जाने के लिए मोटर का किराया भी नहीं होगा और वह वकील महोदय से किराया मांगेगा और एक रुपया किराये का जब वकील साहब देते हैं तो घर पहुंचता है और वह भी तब देंगे जब कि उससे वायदा करा लेंगे आते ही देने का ।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूँगा कि कोर्ट फीस लगाई जाय । कोर्ट फीस के वगैर गाड़ी चलने वाली नहीं है । फीस इसलिए लगाई जाय कि सरकार का कानून बना रहे और सरकार का खजाना भरने के लिए कोर्ट फीस नहीं लगाई जाय । सस्ते न्याय की जहां तक दुहाई देते हैं, मेरे से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य ने अपने विचारों में बताया कि सस्ते न्याय की एक तरफ दुहाई देकर बढ़ाते जायं और जी भर कर खून पीयें । यह किसी हद तक सत्य नहीं हो सकता ।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

इस बात से जनता को किसी भी प्रकार का संतोष नहीं हो सकता है कि अपने इस राज्य के ऊपर विश्वास करे । तो मैं ऐसे राज्य को नहीं कहना चाहता जिससे यह राज्य टिकेगा नहीं, यह मेरा कहना ठीक नहीं होगा । मैं यह कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा अन्याय जी भर के ढाया जाय । जनता अपने आप आपको जानेगी । यह माननीय सभापति महोदय, पाप का घड़ा जब तक नहीं भरेगा फूटेगा नहीं । वह दिन दूर नहीं है, यह हमारा कहना उचित........

(समय-समाप्ति सूचक घन्टी)

सभापति महोदय, इतनी सख्ती मेरे साथ में नहीं बरती जाय, मैं कहूंगा कि ५ मिनट और दिये जायं ।

श्री सभापति : You have taken your time. Please conclude within a minute.

श्री लादूराम सुलाखिया : मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा । तो मैं यह कहना चाहूंगा कि आज हमारी स्थिति

(श्री लादूराम सुलाणिया)

राजस्थान के अन्य प्रान्तों से ज्यादा दुखी क्यों होती है कि हम नकल करते हैं और अकल से नकल नहीं करते हैं। बम्बई प्रान्त में यह है तो हमारे यहां भी लगाया जाय। अगर पंजाब में लागू किया गया है तो हमारे यहां भी लागू हो । फलां आदमी उल्टा कुर्ता पहिनता है, फलां आदमी उल्टा जूता पहिनता है तो हम भी पहिनें। इस प्रकार का अन्याय हमारी राज्य सरकार करके जनता के अधिकारों का हनन करे, जिन अधिकारों का हम वायदा करके और जिस प्रकार के आश्वासन हम देकर आते हैं उसका यह निभाव नहीं है। यह हमारे लिए इन्सानियत से बाहर है, माननीय सभापति महोदय।

इसके साथ साथ मेरे अपने विचारों के अनुसार यह निवेदन करना चाहूंगा और वह बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसके ऊपर मेरे ख्याल से विचार करें तो कोई गुन्जाइश नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि अगर न्याय देने की माननीय मन्त्री महोदय इच्छा रखते हैं तो माननीय मन्त्रीजी से विशेष तौर से इस बात का उत्तर मिलेगा कि इस बात को पूरा कर लिया है और राज्य सरकार को आवश्यक कदम उठाना है, वह यह है कि हर मामले में हमारी सरकार इस बात की दुहाई देती है कि हम पिछड़े हुए लोगों, गरीब लोगों को जो ऐसे लोग हैं कि जो अपने आप अपने पैरों पर नहीं खड़े हो सकते हैं, जिनको परिगणित जन जाति, हरिजन और बैकवर्ड क्लासेज़ कहते हैं उनके लिए विशेष सुविधा रखनी चाहिये कि कोर्ट फीस जो लगेगी वह उन लोगों से आधी कोर्ट फीस लगेगी। जिस प्रकार से रेलवे कन्सेशन देती है, किसी स्टूडेन्ट से हाफ किराया, आधा किराया लेती है। और एक तारीख से मैं और निवेदन कर दूं कि भारत सरकार ने एक थोड़ा सा इस बात पर ध्यान दिया है कि जितने भी स्टूडेन्ट्स हैं उनको कन्सेशन दिया जाय उसमें शिडूल्ड कास्ट और शिडूल्ड ट्राइब्स के जो स्टूडेन्ट्स होंगे उनसे २५ प्रतिशत किराया लिया जायेगा । इस प्रकार से यदि माननीय मन्त्रीजी इस बात पर ध्यान देते और गौर से इस बात को देखते कि परिगणित जातियों के लिए और जन जातियों के लिए केसेज़ लड़ने के अन्दर आधी कोर्ट फीस लेने का अधिकार होता तो मैं यह मान कर चलता कि यहां के राज्य के अन्दर कुछ न्याय मिलता । मैं यह कहूंगा कि जब यह दुहाई दी जाय कि हम शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए यह करते हैं........

श्री सभापति : The Constitution of this country is based on the principle of equality of all before the law. It is a Constitution, which you have taken a pledge to uphold as a member of this House.

श्री लादूराम सुलाणिया : तो माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : कॉन्स्टीट्यूशन में यह भी है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को स्पेशल फेसीलिटी दे रखी है।

श्री सभापति : In certain other matters, not in all.

श्री लादूराम सुलाणिया : तो मैं यह कहना चाह रहा था कि किसी स्थिति में इस बात का विचार रखते और उनकी आत्मा के अन्दर इस बात का विचार होता कि राजस्थान के पिछड़े हुए लोग, गरीब लोग, चाहे शिड्यूल्ड कास्ट के नहीं हों, जिनकी स्थिति ऐसी है कि केसेज लड़ने में असमर्थ हैं उनको इसमें छूट होती, जांच अवश्य करवाई जाती और तहसीलदार रिकमन्डेशन करता कि गरीब है तो दिया जाय, ऑफिसर पर रखते, पर उसके लिए यह अवश्य रखते तो मैं मान कर चलता कि....

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

वह मैं कह रहा था....

श्री सभापति : Well, you have taken 3 minutes instead of one.

आपने भाषण में काफी समय ले लिया है। आपको बोलने के लिए एक मिनट दिया गया था उसके बजाय ३ मिनिट ले लिये हैं।

श्री लादूराम सुलाणिया : मुझे मालूम नहीं था। आपने हिन्दी में बताया होता तो मैं रिक्वेस्ट करता कि ५–६ मिनट दिये जायं। मैं १, २ मिनट में भाषण समाप्त कर दूंगा। Only two minutes.

श्री सभापति : आप वाइन्ड अप कर लें एक मिनट में।

श्री लादूराम सुलाणिया : मैं कहना यह चाह रहा था कि सरकार इस बात की दुहाई देती है कि पुलिस केसेज में और फौजदारी के केसेज में शिड्यूल्ड ट्राइब्स और शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग केसेज तहसीलदार से इजाजत लेकर दावा कोर्ट में दायर करें तो तमाम खर्चा दिया जायेगा। तो, माननीय सभापति महोदय, यह बताना चाहूँगा कि जितने भी परिगणित लोग हैं वे तहसीलदार के पास इजाजत ले लें तो सरकार खर्चा दिलाये कि वह केस दायर करे, तो मैं निश्चय कह सकता हूँ कि इस प्रकार का कोई भी केस आज तक हरिजन, शिड्यूल्ड कास्ट्स या शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को वह सुविधा नहीं मिली है....

श्री सभापति : It is not relevant to the Bill.

श्री लादूराम सुलाणिया : इस तरह की बात अन्याय ही नहीं अन्याय का तुर्रा है। इससे हरिजनों को नहीं पनपने दिया जायेगा....

श्री सभापति : It is all irrelevant.

श्री रघुवीरसिंह (राजगढ़) : माननीय सभापति महोदय, एक देहाती कहावत है कि "मूंड़ मुड़ाते ही ओले पड़े।" वह कहावत मेरे ख्याल से हमारे माननीय प्रभारी मंत्रीजी के ऊपर चरितार्थ होती है। मंत्री महोदय अभी आये ही थे कि उनके पल्ले ऐसा बिल पड़ गया कि जो मेरे ख्याल से राजस्थान के इतिहास, राजस्थान के विधान के इतिहास और राजस्थान की जनता के इतिहास में हमेशा के लिए काले अक्षरों से लिखा जायेगा। लिटिगेन्ट पब्लिक जब

(श्री रघुवीरसिंह जावली)

जब अदालतों में जायेगी तो बड़ी कराहट और बड़े दुःख के साथ उनका नाम याद करेगी और उन्हीं का नाम याद नहीं करेगी साथ ही साथ हम लोग जो बैठे हैं इस विधान सभा के सदस्य वे सब भी उस दोष के भागी बनेंगे, क्योंकि मैं यह समझता हूँ, सभापति महोदय, मेरा विचार है कि इस कानून को जितना महत्व दिया जाना चाहिए था उतना महत्व नहीं दिया गया, उतने गौर से नहीं सोचा गया, और जैसा कि एक चलता फिरता कानून बनता है उस प्रकार से यह कानून आज पास किया जा रहा है। लेकिन इसको जिस वक्त इसकी प्रतिक्रिया होगी और जिस वक्त जनता को मालूम पड़ेगा और जब जनता की जेब खाली की जायेगी फीस के नाम पर तब लोग वहां पर वास्तव में गाली देंगे और वास्तव में दुखी होंगे और कहेंगे और वे वास्तव में हम सब को कलंकित करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है।

मैं सभापति महोदय, यह निवेदन करूंगा कि हो सकता है, यह ठीक है, हमारी राजस्थान सरकार सोच सकती है कि हमने एक न्याय का स्टेन्डर्ड कायम कर दिया है, हमने न्याय को सुलभ कर दिया, हमने अदालतों की कार्यवाही ऐसे स्टेन्डर्ड पर ला दी जिसमें और इम्प्रूवमेन्ट की गुंजाइश नहीं रहती इसलिये हमको हक है कि हम कोर्ट फीस बढ़ा दें लेकिन जब हम दूसरी तरफ देखते हैं या उस तरफ नज़र डालते हैं कि अदालतों की क्या दशा है, आज न्याय कितना मंहगा पड़ रहा है तब मैं तो यह निवेदन करूंगा कि इस सदन में बार बार मांग होने पर भी अब तक जुडीशियरी और एग्जीक्यूटिव के सेपरेशन का सवाल नहीं उठाया और आज भी पुराना दौर चल रहा है। कौनसी ऐसी नई बात कर दी है न्याय के लिये, कौनसा नया कदम उठा लिया है जिसके लिये हम मांग करते हैं कि कोर्ट फीस में वृद्धि की जाय या बढ़ायी जाय? यह कोई समझ में आनेवाली बात नहीं है। अदालतों में जाकर देखने से पता लगता है कि साधारण केसेज़ में भी दो दो, चार चार, छः छः और आठ आठ महीनों तक पेशियें पड़ती रहती हैं और लोग परेशान हो जाते हैं। पार्टीज़ आती हैं और उनको इत्तिला देदी जाती है कि आज मजिस्ट्रेट साहब मीटिंग में बिजी हैं इसलिये आगे की तारीख लगावें। यह गौर करने की बात है कि जहां न्याय का इस प्रकार का हाल है तब इस प्रकार का नया एडीशनल भार किस प्रकार से डालना चाहते हैं और यह कहां तक न्याय संगत है।

आप विचार करें, आज तक डिक्लेरेटरी सूट चाहे कितने ही का हो १०) रु. की फीस पर लड़ लिये जाते थे, लेकिन आज आप यह कर रहे हैं कि फीस मार्केट वेल्यू पर ली जायेगी जो हजारों, लाखों या करोड़ों भी हो सकती है। तो इतने रेडिकल चेन्जेज कर रहे हैं और उसके लिये कोई रीज़न नहीं देते। ऐसा कोई हमारे पास रेशेनल सोचने का तरीका नहीं है जिससे सोच सकें। अब वह जरूरी क्यों हो गया तो उसके लिये मंत्रीजी ने आज तक कोई रीजन नहीं दिया। एम्स एन्ड ऑब्जेक्ट में नहीं दिया कि क्या जरूरत थी कि इस कोर्ट फीस के शिड्यूल को इतना बढ़ावें इसका क्या कारण है। कारण जब कभी बहस में आता है तो एक जबाब दिया जाता है कि हमारे यहां की कोर्ट फीस अन्य राज्यों से

(श्री रघुवीरसिंह जावली)

अभी भी कम है। ठीक है, कम है। वहां कब बढ़ गई और क्यों बढ़ी, वहां का स्टेन्डर्ड क्या है, लिविंग का क्या स्टेन्डर्ड है ? आमदनी का स्टेन्डर्ड है इस पर विचार किये बिना यह सोचलें कि क्योंकि हमारी कोर्ट फीस और राज्यों से कम है इसलिये बढ़ाना चाहिये, यह तो न्याय संगत तरीका सोचने का नहीं है। मैं तो यह निवेदन करूंगा हमारे प्रभारी मंत्रीजी से कि कृपा करके इस कलंक को हटावें और किसी और के मत्थे मंड दें तो उनके लिये भी भलाई है और हमारे लिए भी भलाई है। मेरा यह दृढ़ निश्चय है कि जनता को पता लगेगा कि कोर्ट फीस में इतनी वृद्धि हो गई है जिसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक तरफ तो आप सस्ते न्याय की दुहाई देते हैं और दूसरी तरफ equal opportunities for all, कहा opprtunity रह जाती है ? एक गरीब के यहां कोई एडॉप्शन में जाये तो उसको सम्पत्ति मिलेगी उसका कुछ भाग ले लें तो क्या है ? लेकिन वह आपकी सम्पत्ति थोड़े ही है वह उसके बाप, दादा या चाचा ताऊ की है, आपकी सम्पत्ति तो है नहीं और वह उसको मिलेगी कब ? उसको मिलेगी तो बाद में, लेकिन आप पहले ही उससे ले लेंगे। एक गरीब लड़का है, वह चाहता है कि उसके चाचा या ताऊ की जायदाद मिले तो उसके लिये उसे कोर्ट में जाना पड़ेगा और वहां पर वह यह प्लीड नहीं कर सकता कि जब उसको जायदाद मिल जायेगी तब बाद में उसमें से कोर्ट फीस ले लें। वह बाद में नहीं दे सकता........

श्री सभापति : He can file a proper suit. proper suit can be filed for any relief.

श्री रघुवीरसिंह : तो मैं यह निवेदन करूंगा कि इसमें ऐसे प्रोविजन्स हैं जिनको याद करके कई लोग गालियें देंगे। आपको ही नहीं बल्कि हमको भी देंगे। गालियें ही नहीं देंगे, बल्कि खिलाफत करेंगे। हम और आप ही नहीं बल्कि सभापति महोदय आप भी खाली नहीं रहेंगे। वे लोग जो दुराशीष देंगे उससे आप भी बचेंगे नहीं........

श्री पी. के. चौधरी : 'Sabhapati' is not responsible for the passing of the Bill. सभापतिजी की कोई जिम्मेदारी नहीं है।

एक माननीय सदस्य : जिम्मेदार इसलिये है कि उनकी अध्यक्षता में यह पास हो रहा है।

श्री रघुवीरसिंह : इसलिये मैं निवेदन करूंगा, मंत्रीजी सलाह तो कर रहे हैं शायद उनके मन में आजा ये और इसको सस्पेंड कर दें फिर भी मैं यह निवेदन करूंगा कि वे हम सबको इस कलंक से बचाना चाहें तो अच्छा है, उनको भी यश मिलेगा और हम इस कलंक से बचे रहेंगे। मंत्रीजी को ऐसी सलाह दें तो अच्छा है।

श्री सभापति : Hon'ble mininster in Charge.

श्री रामचन्द्र चौधरी (पृथक राजस्व मंत्री) : माननीय सभापतिजी, सदन के उस ओर से आने वाले कुछ माननीय सदस्यों ने आपत्ति उठाई है और जो कुछ मैं सुन पाया उससे तो ऐसा मालूम होता है कि इस बिल

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

के दायरे से बहुत दूर चले गये, कई चंगेज़खां आये, कई दूसरे आये, कहीं हरिजन आये, कहीं महात्मा गांधी आये........

श्री तनसिंह (बाडमेर) : चंगेजखां तो अब आ रहे हैं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : इस बिल से उनका क्या ताल्लुक था, यह मेरी समझ में नहीं आया।

श्री तनसिंह : चंगेजखां के दादा पैदा होगये हैं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : कुछ ने कहा हाउस पर कलंक लग जायेगा, कुछ ने कहा गरीब लोग बोझ से दब जायेंगे और बहुतसी दलीलें पेश की। मैं निवेदन करूं कि कोर्ट फीस और सूट वेल्युएशन एक्ट सन् १८७० में बना था, आज से ६० साल पहले। उस समय जो कोर्ट फीस लगाई थी वही चली आ रही है और आज जिसको बढ़ाने का जिक्र है वह किस कदर बढ़ाई जा रही है, यह हमने साफ बताया है। जिस कदर आपके सामने यह बिल पेश किया था यदि उसी रूप में पास होता तो ज्यादा से ज्यादा १० लाख रुपयों की आमदनी आ सकती थी। लेकिन इसमें कई तरमीमें हुई हैं और मेरा ख्याल है अब ६–७ लाख से ऊपर आमदनी नहीं जाने वाली है। जहां ४२–४३ लाख का बजट है वहां उसमें ६–७ लाख बढ़ोत्तरी हो रही है तो १।६ भाग बढेगा। ६६ साल के जिस कोर्ट फीस एक्ट को तरमीम करना चाहते हैं उसमें १।६ भाग की बढोतरी हो जाय। आज से ६० साल पहले जो था उसको बढ़ाने से कौनसा कलंक आ जायेगा, गरीब आदमी किस तरह दब जायेंगे, किस तरह मौत हो जायेगी, यह समझ में नहीं आ रहा है।

श्री रघुवीरसिंह (राजगढ़) : धीरे धीरे समझ में आ जायेगा, ८ महीने बाद।

श्री रामचन्द्र चौधरी : गेलेरीज़ को बताने के लिये कह सकते हैं लेकिन दर-असल यह ऐसी बात है जो तथ्य पर आधारित नहीं है। आप यह कहते हैं कि गरीब आदमी दब जायेंगे लेकिन मैं कहता हूँ कि कोर्ट फीस किसी सही आदमी पर कभी नहीं लगती। जो आदमी दावा करेगा वह कामयाब होगा तो उस आदमी पर पड़ेगी जो कानून की लापरवाही करता है। जो आदमी सही तरीके से कोर्ट फीस अदा करेगा उसको कामयाबी पर वह मिलेगी उस पर एक भी पैसे की फीस लगनेवाली नहीं है। जितनी कोर्ट फीस अदालत में दाखिल करेंगे उतनी उसको वापिस मिलेगी........

श्री रघुवीरसिंह : लेकिन दाखिल करने के लिये पहले लायेगा कहां से ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जिसको दावा करने के लिये जाना पड़ेगा उसके बारे में यदि आप यह कह दें कि छूट कर दें तब तो कोई भी अदालत फंक्शन नहीं कर सकेगी क्योंकि व्हिशियस दावे होंगे कि कितनी ही अदालतें बढ़ाई जाय वे काम नहीं कर सकेंगी इसलिये यह तो जरूरी है कि कोर्ट फीस लगाई जाय। बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिक्र किया कि यह कानून पता नहीं कब किस वख्त अंग्रेजों के जमाने में बनाया.

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

गया था उनकी नकल अगर हम करें तो क्या अच्छा लगेगा ? तो मैं यह आपको बताऊं कि जब तक अंग्रेजी राज्य यहां था तब तक एक ही कोर्ट फीस एक्ट सारे हिन्दुस्तान में रायज था, अलग अलग नहीं था....

श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा) : रियासतों में अलग थे ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : रियासतों के थे, लेकिन उसको ही अडॉप्ट कर रखा था ।....

श्री तनसिंह : एक नहीं था ।

श्री सम्पतराज जैन : उनमें बहुत अन्तर था ।

श्री दलीपसिंह(बारां): कई रियासतों में थे ।

श्री सम्पतराज जैन : झालावाड़ में, कोटा में अलग अलग थे ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मद्रास में १९५५ में एक्ट तरमीम किया गया, आंध्र में १९५६ में एक्ट में तरमीम की गई, मैसूर में १९५८ में एक्ट में तरमीम की गई, बम्बई में १९५९ में तरमीम की गई । इस तरह से इन चार–पांच सालों में ही इस एक्ट में तरमीम करके कोर्ट फीस बढ़ाई गई है । यहां अपने मन से कोर्ट फीस नहीं बढ़ाई गई है । जब राजस्थान फाइनेन्स इन्क्वायरी कमेटी ने विचार करके अपनी रिपोर्ट दी, उसमें उन्होंने यह सिफारिश की है कि राजस्थान में भी, जिस तरह मद्रास ने अपने कोर्ट फीस एक्ट को तरमीम करके कोर्ट फीस की बढ़ोत्तरी की है उसी तरह से कर सकते हैं और करना चाहिए । उसमें भी यह लिखा है कि ऐसा कर दिया जायेगा । फिर भी जो कोर्ट फीस से होने वाली आमदनी है वह जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस पर खर्चा होता है उससे बढ़ने वाली नहीं है । इसी तरह कल भी मैंने निवेदन किया था कि बढ़ी हुई कोर्ट फीस, जो आज इस कोर्ट फीस बिल के जरिये पास कर रहे हैं उतनी उसकी वसूली हो जाय तब भी हमारी कोर्ट फीस की आमदनी है वह एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस पर खर्च होने वाली रकम से कम रहने वाली है । जो फीस आने वाली है इन बढ़ी हुई दरों से, सारी मिला कर हमारे यहां ५२ लाख १५ हजार रुपया वसूल होगा और वह भी उस सूरत में होता है, जब कि ओरीजिनल राजस्थान कोर्ट फीस एण्ड सूट्स वेल्यूएशन बिल पास करते हैं । लेकिन उसमें हमने काफी तरमीम की हैं और खर्चा हमारा ५५ लाख इस वक्त भी है । मैं ऐसा मानता हूँ कि कोर्ट फी एण्ड सूट्स वेल्यूएशन को हमको आमदनी का जरिया नहीं बनाना चाहिए और आमदनी का जरिया बनाने का हमारा ध्येय भी नहीं है क्योंकि जिस तरह आपने देखा होगा कि दूसरी मदों में या टैक्सों में और दूसरी चीजों में जो बढ़ोतरी की गई है वह कहीं कहीं सो पर्सेन्ट बढ़ गई है, कहीं वह दुगुनी हो गई है, कहीं तिगुनी हो गई है और इस तरह से बढ़ोतरी की गई है, लेकिन इस कोर्ट फीस एक्ट के जरिये जो तरमीम आई है, उसमें १५ पर्सेन्ट, २० पर्सेन्ट से ज्यादा बढ़ोतरी अब भी नहीं होगी । इसलिए मैं आप से निवेदन करना

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

चाहता हूँ कि जो हम धारणायें इस बिल की बाबत बनाते हैं वह तथ्यों पर आधारित नहीं होगी।

एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि डिक्लेरेटीर सूट्स पर आज तक हम १०) रुपये पर दावे, चाहे वह कितना ही बड़ा सूट हो, कर सकते थे, अब हजारों रुपये लगेंगे। ऐसा भी संकेत नहीं है, क्योंकि मिश्रर डिक्लेरेटरी सूट्स होंगे उन हर बीस रुपये में दावा अलाऊ किया है....

श्री तनसिंह : २० रुपये हैं कम से कम।

श्री रामचन्द्र चौधरी; ऊपर है कॉन्सिक्वेन्शियल रिलीफ पर....

श्री रघुवीरसिंह : नहीं, नहीं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : जब किसी पजेशन या दूसरे कॉन्सिक्वेन्शियल रिलीफ को चाहते हैं' तो पहले जो फीस देनी पड़ती थी वह आज भी देनी पड़ेगी।

श्री तनसिंह : सिम्पल डिक्लेरेटरी सूट्स पर है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : सिम्पल डिक्लेरेटरी सूट्स पर २५) रुपये से ज्यादा नहीं होगा जब तक कि कॉन्सीक्वेन्शियल रिलीफ उसमें....

श्री रघुवीरसिंह : यह स्पष्ट है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : जी हां। जो क्लॉज़ २४ है, उसका पार्ट (डी) है, उसमें आया है सिम्पल डिक्लेरेटरी सूट्स पर २५) से ज्यादा नहीं होगा....

श्री रघुवीरसिंह : Subject to a minimum fee of twenty five...

श्री रामचन्द्र चौधरी : वह कॉन्सीक्वेन्शियल रिलीफ पर है।

श्री तनसिंह : Insert item (d), यह अमेंडमेंट है न :—

"Where the prayer is for a declaration with reference to any property and no consequential relief is prayed for, fee shall be computed on the market value of the property, subject to a minimum fee of twenty rupees.' तो मार्केट वेल्यू पर है, मैं....

श्री रामचन्द्र चौधरी : कॉन्सीक्वेन्शियल रिलीफ पर पहले....

श्री रघुवीरसिंह : कॉन्सिक्वेन्शियल रिलीफ नहीं है, सिम्पल है।

श्री तनसिंह : आप कह रहे हैं वह जो आपका अमेंडमेंट है उसके विपरीत चीज़ है। आप कह रहे हैं कि केवल डिक्लेरेटरी सूट्स पर अगर कॉन्सीक्वेन्शियल रिलीफ न मांगे तो २०) रुपये लेंगे। यह बात नहीं है, आपने अमेंडमेंट दिया है, वह यह है :

"Where the prayer is for a declaration with reference to any property and no consequential relief is prayed

(श्री तनसिंह)

for, fee shall be computed on the market value of the property, subject to a minimum fee of twenty rupees." वैसे आर्ग्युमेंट्स आप कुछ भी दें....

श्री रामचन्द्र चौधरी : Yes.

श्री रघुवीरसिंह : आपके वर्ड्स के खिलाफ आपके आर्ग्युमेंट्स हैं।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : आप विचार कर रहे हैं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि जो इसमें हमने कोर्ट फीस बढ़ाई है वह तो फाइनेन्स इन्क्वायरी कमेटी की....

श्री तनसिंह : वह आप दलील दे दें।

श्री रामचन्द्र चौधरी : रिपोर्ट के अनुसार व दूसरी स्टेट्स को देख कर, उनकी तुलनात्मक रीडिंग करके तब बढ़ाई है और जहां हो सकता था, जहां कर सकते थे वहां कम की है। मैं आप सब माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इसमें जैसा कि मैंने आप से निवेदन किया कि कोर्ट फीस एक्ट के मुताबिक जो फीस बढ़ेगी वह करीब १५ पर्सेन्ट, २० पर्सेन्ट से नीचे नीचे रहेगी। उस सूरत में जो एक्ट १८७० में बना था उस समय जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की कॉस्ट थी वह कई गुना आज बढ़ गई है। इन सब बातों को देखते हुए और दूसरे प्रोविन्सेज़ को देखते हुए माननीय सदस्य इस बिल को पारित करें।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान कोर्ट फीस एण्ड सूट्स वेल्युएशन बिल, १६६० को, एज़ अमेंडेड, पारित किया जाय?

(विराम)

विधेयक, एज़ अमेंडेड, पारित हुआ।

(विराम)

The House is now adjourned to meet tomorrow at 8 A. M.

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० ४ बज कर ४८ मिनट पर, शुक्रवार, दिनांक ७ अप्रेल, १६६१ के प्रातः ८ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

Page No 92

संक्षिप्त विवरण

(गुरुवार, ६ अप्रैल, १९६१)

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक

६९८९ आयुर्वेद विभाग द्वारा श्रेणीबद्ध वैद्य ।

ग्राम बागावास (बैराठ) के चन्द्रा मीणा की 'चोर विरोधी अभियान' के अन्तर्गत पिटाई ।

सोमेसर पंचायत के सरपंच द्वारा बूसी—सोमेसर सड़क की पट्टी पर नाजायज़ ढालियों का निर्माण ।

तहसील करोली में बरखेड़ा नदी पर बांध का निर्माण ।

बीकानेर जिले के कृषकों में वितरित नालीदार चद्दर ।

ग्राम सिढ़ां (जोधपुर) से फरार किये गये बिश्नोई जाति के लड़के की नाबरामदगी ।

म्युनिसिपल बोर्ड्स के अन्तर्गत इन्जीनियरिंग डिपार्टमेंट खोलना ।

बीमा विभाग में फर्दर डिवलेरेशन के पश्चात् अधिक बीमे का अनुबन्ध ।

स्कम्भ

तहसील अलीगढ़ में सर्किल इन्सपेक्टर श्री जगन्नाथप्रसाद द्वारा सरपंचों की गिरफ्तारी ।

जयपुर शहर के सिटी कैम्प के शरणार्थियों को कच्चा बंधा रोड पर बसाने सम्बन्धी योजना ।

कानूनों व नियमों सम्बन्धी सरकारी विज्ञप्तियों व आज्ञाओं में समय समय पर परिवर्तन व संशोधन होने से कठिनाइयां ।

भूमि अवाप्तिकरण अधिनियम के तहत भूखण्ड की अवाप्ति सम्बन्धी प्रस्ताव का प्रत्याहरण ।

तहसील करौली की भैंसावटी की नदी पर बांध का निर्माण ।

स्टेट गैरेज की गाड़ी नं० आर०-जे० एल० ३५३६ का श्री पूनमचन्द विश्नोई द्वारा बिना टोकन के प्रयोग ।

बांसवाड़ा जिले में खोली जाने वाली चीप कार्ड बोर्ड फैक्टरी ।

नागरिक रसद विभाग के कर्मचारियों की स्थाई विभागों में नियुक्ति ।

राज्य क्रय–विक्रय संघ को मिले ऋण की अदायगी ।

मिनिस्टीरियल ग्रेड्स के वेतन में अन्तर ।

कृषकों को जंगलात से पत्थर लाने हेतु पर्मिट प्राप्ति का स्थान ।

स्टेट रोडवेज बस का जयपुर–देहल सड़क पर एक्सीडेन्ट ।

पंचायत समिति–ओसियां द्वारा बाहरा खुर्द एवं बाहरा कला ग्रामों की पाठशालायें बन्द किया जाना ।

राजस्थान नहर ।

उनियारा नगरपालिका को सीमा ।

बूंदी में सहायक जिलाधीश व मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट को पुनः चालू कराना ।

ग्राम पंचायत बर (पाली) की अंकेक्षा प्रतिवेदन पर कार्यवाही ।

तहसील नोहर के भाखरा क्षेत्र में असिंचित घोषित भूमि के मालिकों को १५० बीघा भूमि दिलवाना ।

जोइन्ट फार्मिंग सोसाइटी, सरकाबाद (टोंक) ।

धौलपुर नगरपालिका का चुनाव ।

तहसील नोहर की ग्राम पंचायतों के अंकेक्षा प्रतिवेदन में अंकित एतराजात की विभागीय जांच ।

स्थगित प्रश्न
२२–३–६१

बीकानेर शहर के बीच में स्थित श्मशान घाट तथा धोबी घाट का स्थानान्तरण ।

स्थगित प्रश्न
२३–२–६१

रतनगढ़ म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन श्री मोहनलाल सारस्वत के विरुद्ध हुई शिकायतों पर कार्यवाही ।

विधायी कार्य—विचारार्थ लिया गया विधेयक

राजस्थान न्यायालय शुल्क तथा वाद-मूल्य निर्धारण विधेयक, १९६० ७०५२

— उपरोक्त विधेयक पर अग्रेतर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ :—
खण्ड २७ से ४४-स्वीकार किये गये।

खण्ड-४५–प्रवर समिति द्वारा विलोपित किया गया था ।

खण्ड ४६ से ६३—स्वीकार किये गये।

खण्ड ६४—संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड ६५ से ७३—स्वीकार किये गये।

खण्ड ७४—संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड ७५—स्वीकार किया गया।

अनुसूची १ व २—संशोधित रूप में स्वीकार की गई।

अनुसूची ३—स्वीकार की गई।

आस्थगित खण्ड ६ व २४—संशोधित रूप में स्वीकार किये गये।

खण्ड २५ व २६—स्वीकार किये गये।

खण्ड १ आदि—स्वीकार किये गये।

तत्पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित किया गया।

सदन की बैठक ४ बज कर ४५ मिनट पर शुक्रवार, दिनांक ७ अप्रेल, १९६१ को प्रातः ८ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

शुक्रवार, दिनांक ७ अप्रेल, १९६१ की कार्य-सूची

१. विधेयकों का पुरः स्थापन :

(क) राजस्थान सरकार अनुदान विधेयक, १९६१।

(ख) राजस्थान राज्य पशु-मेला-विधेयक, १९६१।

२. जयपुर मातमी रूल्स (वैधकरण) विधेयक, १९६१ (विचार-विमर्श एवं पारित)।

३. मारवाड़ विवाद-निधि प्रशासन विधेयक, १९६१ (खण्डशः विचार-विमर्श एवं पारित)।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७८६ का उत्तर देखिये)

सन् १९५८ से १९६० तक बीकानेर जिले में चद्दरों के अलॉटमेंट, प्राप्ति तथा वितरण की तालिका

वर्ष	अलॉटमेंट				प्राप्ति				वितरण				शेष			
	ट०	ह०	क्वा०	पौं०	ट०	ह०	क्वा०	पौं	ट०	ह०	क्वा०	पौं०	ट०	ह०	क्वा०	पौं०
१			२				३				४				५	
१९५८	५५	१५	१	२०	८२	४	०	०	८८	१२	२	१९	—	—	—	—
१९५९	११०	०	०	०	२०	१५	१	२६	२०	१५	१	२६	—	—	—	—
१९६०	८०	०	०	०	२०	१४	३	३	—	—	—	—	२०	१४	३	३
													इन चद्दरों का वितरण किया जा रहा है।			
योग	२३५	१५	१	२०	१२३	१४	१	१	१०९	८	०	१७	२०	१४	३	३

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७९३ का उत्तर देखिये)

LIST OF PLOTS THE ACQUISITION OF WHICH WAS STARTED AND WITHDRAWN

S. No.	Plot No.	Name of the Owner.	Date of allotment	Present position of the plot	Remarks.
1	2	3	4	5	6
1.	A-2	Maharaja Shri Umed Mills Ltd., Pali.	27-5-1954	Compound wall & Servant quarters constructed.	Purchase from Shri Mangtu Ram Jaipuria on 14-2-1952.
2.	A-3	Shri Badri Dass Goenka	24-3-44	Compound wall constructed.	
3.	A-5	Shri Padam pat Singhania	12-9-43	- do -	
4.	B-1,2,3	M/s. Jaipur Metal Industries	11-2-44	Building under construction.	

1	2	3	4	5	6
5.	B-4	Shri Bhagirath Kanodia	29-1-45	Compound wall construc- ted.	
6.	B-5	Shri K. Bajaz	19-2-44	- do -	
7.	C-52	Shri Shiv Ram Poddar.	16-4-44	No Constructin.	
8.	E-1	Shri Bhagirath Prasad, Bimal Kumar Periwal	5-12-45	- do -	Purchase from Shri Umraomal Parakh on 19-1-51.
9.	E-4	Smt. Saira Begum	5-12-45	Construction started.	
10.	F-1	Trustees of Residency Mosque	7-10-44	No Construction.	
11.	F-53	Shri Shankar Swaroop Bhatnagar	28-4-45	Construction started.	Purchase from Shri Ismail Gardener on 7-4-60.
12.	F-99	Shri Deep Chand.	8-9-44	- do -	Purchase from Shri Abdul Aziz on 26-9-57

परिशिष्ट

1	2		4	5	6
13.	F-100	Shri Fez Rasool.	8-9-44	No. Construction.	
14.	F-128	Shri Nanla Bux.	8-9-44	- do -	
15.	C-53	Shri G. L. Mehta.	19-4-43	- do -	Purchase from M/s. Bansidhar Ghan-Shyam Dass.
16.	C-29	Seth Hanuman Dass	17-11-43	Constructed.	
17.	C-57	Mrs. Trishla Patni.	20-4-44	No Construction	
18.	C-61 & 62	Th. Chandrapal Singh	15-6-44	C-61 No Construction. C-62 Constructed.	
19.	F-170	Shri Shiv Ram	6-2-46	Constructed.	
20.	F-57	Shri Khaju S/o Shri Khuda-Bux.	8-9-44	- do -	

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८११ का उत्तर देखिये)

पंचायतों की सूची

क्रमांक	पंचायत का नाम	वर्ष
१	२	३
१.	भूकरका	१९५७–५८
२.	विसरासर	,,
३.	विरकाली	,,
४.	फेफाना	,,
५.	दलपतपुरा	,,
६.	जबरासर	,,
७.	पोहडका	,,
८.	पाण्डूसर	,,
९.	ललानिया	,,
१०.	पल्लू	,,
११.	सिरगसर	,,
१२.	मोहेर	,,
१३.	ललाना	,,
१४.	हरदासवाली	,,
१५.	न्यालखी	,,
१६.	परलिका	,,
१७.	रामगढ़	,,
१८.	मेघाना	,,

Page No 100

१	२	३
१६.	जसाना	१६५७–५८
२०.	धालका	,,
२१.	बड़विराना	,,
२२.	गरिखाना	,,
२३.	तहसील पंचायत नोहर	,,
२४.	रावतसर	,,
२५.	हरदासवाली	१६५८–५६
२६.	तहसील पंचायत नोहर	,,
२७.	ललाना वास उतरादा	,,
२८.	मोहेर	,,
२६.	भूकरका	,,
३०.	पोहड़का	,,
३१.	परलिका	,,
३२.	सिंरगसर	,,
३३.	रामगढ़	,,
३४.	पाण्डूसर	,,
३५.	दलपतपुरा	,,
३६.	रावतसर	,,
३७.	मोरखाना	,,
३८.	विरकाली	,,
३६.	त्रिसरासर	,,
४०.	जवरासर	,,

१	२	३
४१.	पल्लू	१६५८–५६
४२.	त्योलखी	,,
४३.	ललानिया	,,
४४.	मेघाना	,,
४५.	फेफाना	,,

शुद्धि-पत्र

(गुरुवार, ६ अप्रेल, १९६१)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
६९९२	१३	डॉ० ब्रहादुरसिह	डॉ० ब्रहादुरसिंह
,,	अन्तिम पंक्ति	रूिल्स वचाराधीन	रूल्स विचाराधीन
६९९३	अन्तिम से ३	श्री भैरोंसिह	श्री भैरोंसिंह
६९९७	६	डॉ० वहादुरसिंह	डॉ० ब्रहादुरसिंह
७००१	१७	सिढ़ा	सिंढ़ा
,,	१८	विश्नोई	ब्रिश्नोई
,,	अन्तिम से ६	सिढा	सिंढ़ा
७००२	९	कीई	कोई
७००४	१	ब्रोड्र्स	ब्रोर्ड्स
७००७	स्कम्भ	००७	७००७
७००७	११	रावराजा श्री सरदारसिह	रावराजा श्री सरदारसिंह
७००८	५	किस	जिस
७०१२	२०	acqwire	acquire
७०१४	५	श्री भैरोंसिह	श्री भैरोंसिंह
,,	१७	प्लॉट	प्लॉट्स
७०१६	१९	सिचाई मन्त्री	सिंचाई मन्त्री
७०२०	९	के	से
,,	१३	श्री भैरोंसिह	श्री भैरोंसिंह
७०२३	१५	श्री वद्रीप्रसाद गुप्ता	श्री ब्रद्रीप्रसाद गुप्ता
७०२६	६	उसने	उसमें
७०२७	अन्तिम से ८	नहीं	नहीं
७०३६	अन्तिम से ७	श्री भैरोसिह	श्री भैरोंसिंह
,,	अन्तिम से ६	मुकनमें	मुकदमे
७०३७	अन्तिम से ५	वत	यत
७०४०	६	डॉ० ब्रहादुरसिह	डॉ० ब्रहादुरसिंह
,,	अन्तिम से ४	,,	,,
७०४१	अन्तिम से ५	,,	,,
७०४३-४४	शीर्षक	४ अप्रेल, ६१	६ अप्रेल, ६१
७०४४	२	Wantls	wants

१	२	३	४
७०४८	१६	रजिनल	रीजनल
७०४९	३	इन्सतेक्टर	इन्सपेक्टर
७०५२	अन्तिम से ४	१९६०	१९६१
७०५३	१	yov	you
७०५५	शीर्ष	(श्री रामचन्द्र चौधरी)	(श्री रामचन्द्र चौधरी)
,,	१०	समितियों में	समितियों हेतु
७०५६	४	ड	डॉ०
७०५८	अन्तिम से ६	विनेयक	विधेयक
७०६०	२	Sessione	Sessions
,,	अन्तिम से २	क्लॉज़	क्लॉज़ ७५
७०६२	१५	फी है	कोर्ट फी है
७०६३	शीर्षक	न्यायाल	न्यायालय
,,	शीर्ष	(श्री रामचन्द्र चौधरी)	(श्री उपाध्यक्ष)
७०६४	१८	Rupaees	Rupees
७०६७	शीर्षक	न्यायाल	न्यायालय
७०६८	२१	enact-feli	enact-fee
७०७०	१२	डॉक्युमेंसट	डाक्युमेंट्स
,,	२३	आइटम	आइटम्स
७०७२	१	जो जो	जो कि
,,	अन्तिम से २	डॉ० बहादुरसिह	डॉ० बहादुरसिंह
७०७४	१	डॉ० बहादुरसिह	,,
७०७५	अन्तिम से ७	you	your
,,	अन्तिम से ३	Honble Ministe	Hon'ble Minister
७०७६	७	amendnents	amendments
७०७७	२२	चुनान	चुनाव
७०७९	८	श्री तनसिह	श्री तनसिंह
,,	१३	t he	the
,,	अन्तिम से ६	क्लास १ व क्लास २५०) रु०	क्लास १ व क्लास २–५०) रु०
७०८१	१५	श्री तनसिह	श्री तनसिंह
७०८३	शीर्षक	राजस्थान न्यायालय शुल्क	न्यायालय शुल्क तथा वाद-मूल्य

१	२	३	४
७०८६	६	(पृथक रास्व मंत्री)	(पृथक राजस्व मन्त्री)
,,	१२	thef ollowing	the following
,,	१४	tne	the
७०८७	५	Panchnyat Somiti	Panchayat Samiti
,,	१६	डॉ० ब्रहादरसिह	डॉ० ब्रहादुरसिंह
७०८८	१५	डॉ० ब्रहादुरसिह	डॉ० ब्रहादुरसिंह
७०६१	१८	Panchayaott	Panchayat
७०६३	अन्तिम से २	श्री ब्रिश्वम्भरनाथ	श्री ब्रिशम्भरनाथ
७०६५	३	आगाये	आयेगा
७१०१	१२	डॉ० ब्रहारदुसिह	डॉ० ब्रहादुरसिंह
७१०५	अन्तिम से ६	श्री शिवनाथसिह	श्री शिवनाथसिंह
७१०७	१८	शिड्यू लू	शिड्यूल
७१०८	शीर्षक	विधारण	निर्धारण
७१०६	१०	—	(विराम)
,,	अन्तिम पंक्ति	Subjie to	Subject to the
७११०	शीर्षक	ब्रिधेयक	विधेयक
,,	८	श्री रामचन्द्र चधौरी	श्री रामचन्द्र चौधरी
,,	२१	डॉक्यूमेन्टस	डॉक्युमेन्ट्स
,,	अन्तिम से ३	,,	,,
७१११	३	session	Section 4
७११२	४	श्री तनसिंह	श्री तनसिंह (बाड़मेर)
,,	८	डाक्यूमेंट	डॉक्युमेंट में
,,	११	I	It
,,	१४	श्री तनसिह	श्री तनसिंह
७११४	शीर्षक	ब्रिधेयक	विधेयक
७११६	,,	,,	,,
७११६	शीर्षक	वात	वाद
७१२१	२	डॉ० ब्रहादुरसिह	डॉ० ब्रहादुरसिंह
७१२२	स्कम्भ	—	७१२२
७१२५–२६	शीर्षक	६ अप्रल	६ अप्रेल
७१२६	,,	वाय	वाद
७१३६	१४	दबी हुई	दबी हुई है
७१४१	अन्तिम पंक्ति	अच्छा	अच्छी

१	२	३	४
७१५१	शीर्षक	न्यावालय	न्यायालय
७१५३	१५	१०० ०	१००) रु०
७१५४	शीर्षक	निर्धांरण	निर्धारण
,,	अन्तिम से ३	श्री लादराम सुलाणिया	श्री लादूराम सुलाणिया
७१५७	अन्तिम से ६	श्री लादूम सुलाणिया	श्री लादूराम सुलाणिया
७१६०	शीर्षक	भिधेयक	विधेयक
,,	१३	इसलिये	इसलिये चलो
७१६१–६२	शीर्षक	५ अप्रेल	६ अप्रेल
७१६३	५	श्री तनसिह	श्री तनसिंह
७१६७	६	डिकलेरेटीर	डिक्लेरेटरी
७१७०	शीर्षक	विधेयका	विधेयक
७१७४	११	२३–२–६१	२३–३–६१
७१७६	अन्तिम से ३	मारवाह	मारवाड़
७१७९	५	Constructn	Construction

अनुपूरक शुद्धि-पत्र

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
मुख-पृष्ठ	५	विधेयक, १९६०	विधेयक, १९६१
७०५७	अंतिम से ३	प्रश्न यह है कि क्लाज ६३	क्लॉज़ ६३
७०६४	शीर्षक	निर्धारण विधेयक, १९६१	निर्धारण विधेयक, १९६०
७०८७	स्कम्भ	७.८७	७०८७
७०८८	शीर्षक	निधरण विधेयक, १९६०	निर्धारण विधेयक, १९६०
७१०८	,,	निधारण विधेयक	निर्धारण विधेयक
७१२८	,,	निर्धारण विधेयक, १९६१	निर्धारण विधेयक, १९६०
७१३६	,,	निर्धारण विधेयक, १९६९	निर्धारण विधेयक, १९६०
७१४६	,,	,, ,, १९६१	,, ,, ,,
७१६६	,,	,, ,, ,,	,, ,, ,,